खण्ड-343, अंक-3
सोमवार, 8 माघ, शक संवत् 1901
(28 जनवरी, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 343 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	195–198
प्रश्नोत्तर	199–246
गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विधान सभा के सामने सदस्यों एवं पत्रकारों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	246–247
उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की चयन समिति द्वारा कृषि सेवा में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के पदोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	247–248
डीजल के अभाव के कारण बस्ती जनपद में असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	248
बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा नदी से कटान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	248–249
हरदोई तहसील के ब्लाक बावन में शारदा सहायक नहर के कट जाने से कतिपय ग्रामों को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	249
ग्राम हसियापुर थाना वल्दी सराय, जिला सुल्तानपुर में कुमारी शकुन्तला तथा अजय कुमार की बलि चढ़ाये जानें के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	249–250
नारायणपुर, जिला देवरिया में ग्रामीणों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री द्वारा भिन्न-भिन्न वक्तव्य देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	250–256
नारायणपुर, जिला देवरिया में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	256–263
नारायणपुर, जिला देवरिया में घटी घटना के संबंध में चर्चा	263–275
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	275
प्रदेश में डीजल की कमी के संबंध में औचित्य का प्रश्न	275–279
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गई) ..	279–280
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गई)	280
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 सें संबंधित शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	280
नगर महापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी)	281

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गई)	281
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	281
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1977–78 (वाणिज्यिक), 1977–78 (सिविल), वित्त लेखे 1977–78 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	281
जनपद बांदा की तहसील नरैनी के कृषकों की फसल को कुछ अराजक तत्वों द्वारा बरबाद किये जाने के संबंध में वक्तव्य	281–282
ग्राम कुण्डेश्वरी, जनपद नैनीताल में भंडार गृह निर्माण हेतु राज्य भण्डारागार निगम द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत हुई चर्चा में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में शोधन वक्तव्य	282–283
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	283
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) ..	283–303
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	304
नत्थियां	305–310

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(सोमवार दिनांक 28 जनवरी, 1980)

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—334

अजबसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्दसिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी देवी, श्रीमती
गौरी शंकर भैया, श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहैरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगाराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह भाटी, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री

बूज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण "निर्मोही", श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव,श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री

यशपालसिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
रामआसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री

राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
रामसजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम विहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरिकिशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

नोट :—नियोजन राज्य मंत्री श्री महिपाल सिंह शास्त्री तथा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री त्रिलोक चन्द्र भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार 28 जनवरी, 1980

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव की मांग

**1—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं समेत सभी स्वायत्त शासी संस्थाओं का चुनाव तुरन्त कराने में शासन के सामने क्या कोई कठिनाई है ?

सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

महापालिकाओं के नगर प्रमुखों तथा अन्य स्थानीय निकायों के अध्यक्षों सीधे चुनाव का प्राविधान इस समय है। इस संबंध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुये कि ये चुनाव सीधे न कराकर पहले की भांति अप्रयत्क्ष रूप से कराये जायं इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। इस संबंध मे कार्यवाही की जा रही है जिसके पूरा होने के उपरान्त स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन कराने की कार्यवाही की जयेगी।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का फैसला अंतिम रूप से कर लिया गया है और यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और उस निर्णय पर अब क्या कार्यवाही हो रही है ? यह चुनाव निश्चित रूप से कब करा दिये जायेंगे ?

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, इस संबंध में माननीय सदस्य के प्रश्न की पूरी सूचना मैं दे दूंगा, जिसमें चुनाव क्यों टाले गये इसका भी उत्तर आ जायेगा। स्थानीय निकायों के पिछले सामान्य निर्वाचन 1971 में हुये थे। जून, 1976 में उनका निर्वाचन पुनः होना था लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस चुनाव को एक साल के लिये स्थगित करने का निर्णय लिया। जून, 1977 में निर्वाचन इसलिये नहीं हो सके क्योंकि उस समय लोक सभा तथा विधान सभा के निर्वाचन हो रहे थे। तत्पश्चात कक्ष परिसीमन और मतदाता सूची तैयार न होने के कारण चुनाव नहीं कराये जा सके। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 31 अक्टूबर, 1978 तक चुनाव करा लिये जायें क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा के कारण चुनाव कराना संभव नहीं प्रतीत हुआ। जून, 1978 में शासन को कुछ आवेदन मिले जिसमें यह जिक्र था कि अनेक स्थानों पर नगरपालिकाओं के कक्षों का परिसीमन ठीक से नहीं हुआ और उसमें विसंगतियां हैं। अतः चुनाव निदेशालय के पास इन सब आवेदनों को पुनः प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे कि संदर्भित विसंगतियां को दूर किया जा सके। 24 अगस्त, 1978 को मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया था कि स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 9 फरवरी, 1979 तक करा दिये जायेंगे। यह भी निर्णय हुआ था कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी जाये और घटी हुई आयु के आधार पर मतदाता सूचियां बनायी जाये 4 जनवरी 1979 को मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया कि स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन, फरवरी, 1979 में करायें जायें। 19 जनवरी, 1979 को मंत्रि परिषद ने यह निर्णय लिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिये जायें और चुनाव की अगली तिथि बाद में निश्चित की जायेगी। बाद में 24 जून, 1979 को चुनाव

कराने का निश्चय हुआ लेकिन पुनः अध्यक्षों, नगर प्रमुखों के सीधे चुनाव की प्रक्रिय बदलकर अप्रत्यक्ष चुनाव कराने के प्रत्यावेदन प्राप्त हुये जिसके लिये नियमों में संशोधन हेतु समय की आवश्यकता हुई । इसी समय अलीगढ़ में साम्प्रदायिक घटनायें भी हुईं । अतः चुनाव पुनः स्थगित कर दिया गया । इसी समय लोक सभा के चुनाव के बाद यह शिकायतें मिली हैं कि भारी पैमाने में मतदाता सूची में नाम काट दिये गये हैं। चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है । इस पर कार्यवाही पूरी होने के बाद चुनाव की तिथि निश्चित की जायेगी

माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न किया कि चुनाव प्रक्रिया को बदल दिया गया है या नहीं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

जब सूचना की आवश्यकता है तो इसे मान्यवर, स्थगित कर दिया जाय या मेरे प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से दिलवा दें कि मंत्रि मंडल नें इस संबंध में कोई निर्णय अब तक लिया है या नहीं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, चुनाव के संबंध में निश्चित सूचना जितनी भी हो सकती थी, उससे माननीय सदस्य और इस माननीय सदन को मैंने अवगत करा दिया । फिर भी माननीय सदस्य की यह इच्छा है कि यह स्थगित कर दिया जाय, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, यह स्थानीय निकायों का प्रश्न जून, 1977 जब से यह सरकार सत्ता में आई है कई बार हाउस में अवधि बढ़ाने का प्रश्न आ चुका है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुझे कुछ ऐसा संदेह हो रहा है कि क्या इन चुनावों को बार-बार थोथी दलीलों को लेकर टाला जा रहा है । कहीं यह कारण तो नहीं है कि मंत्रि परिषद् के मेम्बरों में आपस में कोई बात हो । यदि ऐंसा नहीं है, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन चुनावों के बारे में निश्चित क्या मत है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, निसंदेह यह जरा खेद का विषय है कि यह चुनाव स्थगित होते रहे। अब 30 सितम्बर, 1980 तक चुनाव अवश्य हो जाना है । मंत्रि परिषद में इसमें कोई मतभेद नहीं है । पहले एक विचार था कि नगर महापालिका और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष हों, फिर उस बार कोई मंत्रि परिषद् के नहीं बल्कि बहुत लोगों का ऐसा विचार था कि पहले भी यह परीक्षण किया जा चुका है कि सीधे चुनाव होंगे तो फिर सदस्यों के बीच में टकराव हो सकता है । इसलिए फिर यह विचार बना कि चुनाव जैसे पहले होता था, सदस्यों का चुनाव हों और अध्यक्षों का चुनाव सदस्यों द्वारा हो और उसमें आवश्यक भी था कि अनावश्यक अविश्वास के प्रस्ताव न आये । कुछ इस प्रकार के प्रतिबन्ध उसमें लगाये गये । तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अन्तिम तिथि है, उसके बाद इस सदन में कोई भी इसके लिए फिर अवधि नहीं मांगी जायगी और 30 सितम्बर, तक पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि, जैसा कि उन्होंने उत्तर में कहा कि वोटर लिस्ट जो बनी है, उसमें गड़बड़ी बहुत है, नं0 1-लोक सभा के चुनाव में वोटर लिस्ट जो बनी उसमें बहुत गड़बड़ी थी । नं0 2 जो सरकार ने 18 वर्ष के लोगों को

वोटर बनाने का निर्णय किया है । नं0 3-परिसीमन का, जिसका जिक्र उन्होंने किया, इसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है। क्या वोटरलिस्ट बना दी गयी है 18 वर्ष वाली ? जो लोक सभा के लिये गलत सूची बनाई गयी है, उसके लिये जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ? परिसीमन के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीकृष्ण श्रीवास्तव—

मान्यवर, यह प्रक्रिया चल रही है, और जिस प्रकार का आपने प्रश्न किया है कि, मैं पूर्ण विवरण दूं कि क्या कार्यवाही हो चुकी, तो फिर मान्यवर सूचना की आवश्यकता पड़ेगी तभी उत्तर आ सकता है । कार्यवाही इस पर हो रही है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, कि स्थानीय निकायों के चुनावों में चेयरमैन और मेयर के डायरेक्ट चुनाव हों या इनडायरेक्ट चुनाव हों । 1975 में इसकी एक सदन की प्रवर समिति बनी थी, उस प्रवर समिति ने डायरेक्ट चुनाव की संस्तुति की थी । सरकार ने वह संस्तुति मान ली। क्या विशेष कारण थे कि उस प्रवर समिति की संस्तुति को मानकर डायरेक्ट चुनाव मान लिया गया फिर इनडायरेक्ट चुनाव कराने में क्या विशेष बात थी, जो इनडायरेक्ट चुनाव कराने के निर्णय लिये गये ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, अभी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया । यह केवल इसका संबंध मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की राय नहीं थी बल्कि प्रदेश भर से अनेकों इस प्रकार के प्रतिवेदन जनता से प्राप्त हुये और इन प्रतिवेदनों को देख कर जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये पुनः विचार किया गया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर जिले के बी0 डी0 ओ0 एवं ए0 डी0 ओ0 पंचायत का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

*1—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर में कितने बी0डी0ओ0 तथा ए0डी0 ओ0, पंचायत ऐसे हैं जो अपने निर्धारित समय से अधिक समय सहारनपुर में ही नियुक्त चले आ रहे हैं ? उनके स्थानान्तरण जिले तथा मण्डल से बाहर न करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

सहारनपुर जनपद में कोई विकास खंड अधिकारी ऐसा नहीं है जो निर्धारित अवधि से अधिक उक्त जनपद में कार्यरत हो। केवल एक ए0 डी0 ओ0 पंचायत वर्ष 1968 से कार्यरत हैं। इनका स्थानान्तरण पूर्व में दो बार किया गया था, मगर प्रशासकीय कारणों से रोक दिया गया था ।

हरिजन कूप निर्माण हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि

*2 श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि हरिजनों के लिए पीने के पानी के कुएं जब हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाये जाते थे तो उन पर एक हजार रुपया प्रति कुआं अनुदान मिलता था

और जब यह सामुदायिक विकास विभाग द्वारा बनाये जाने लगे तो उन पर 3,000 रुपए प्रति कुआं अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

पशुधन मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

जी हां।

जी नहीं। ईंट, सीमेन्ट बालू, तथा मजदूरी आदि में निरन्तर वृद्धि के कारण हरिजन पेयजल कूप पूर्ण नहीं हो पाते थे। अतः ग्राम्य विकास विभाग हरिजन बस्तियों में जल सुविधा सृजन हेतु अब कूप निर्माण का पूर्ण व्यय स्वयं वहन करता है। कुओं के व्यास गहराई तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ग्रामीण अभियंत्रण द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार वर्तमान निर्माण व्यय की अधिकतम सीमा रु0 4,750 से रुपया 12,750 तक प्रति कूप निर्धारित की गयी है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह माना है कि जब हरिजन विभाग द्वारा कुयें बनाये जाते थे तो एक हजार रुपये इसके लिये दिया जाता था, अब जब ब्लाक के जरिये से बनाना शुरू हुआ, तो 4,750 से 12,750 रुपये रखा है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से यह हरिजन विभाग से लेकर, ब्लाक को देने और एक हजार से बढ़ाकर 4,750 और 12,750 रुपये की धनराशि उन कुओं के लिये किसके द्वारा लिये गये निर्णय, किस सिद्धान्त से हुआ, किस समय निर्णय लिया गया और निर्णय का क्या आधार है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया पहले हरिजन विभाग केवल अनुदान देता था एक हजार रुपया, वह कुयें बनवाता नहीं था, परन्तु उससे कुयें बन नहीं पाते थे। फिर शासन ने यह निर्णय लिया कि हरिजन विभाग से नहीं ग्राम्य विकास द्वारा कुयें बनाये जाय। अनुदान न दिया जाय। अब उसमें लागत के बहुत से कारण हैं मैंने पढ़ा ईट, सीमेंन्ट, बालू बहुत सी चीजें बड़ी महंगी हो गई है। इसके बाद कुओं का व्यास उनकी गहराई उनका क्षेत्रफल विस्तृत कर दिया गया। यह मैंने न्यूनतम और अधिकतम सीमा माननीय सदस्य को बताया इसके अन्दर लागत आ रही है और ग्राम्य विकास विभाग कुओं को बनाता है, उनको पूर्ण रूप से बनाकर जनता को उपयोग के लिये दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात और बता दें, अगर आपके पास सूचना हो, जैसा प्रश्न है कि यह निर्णय कब लिया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह

जुलाई 1979 में निर्णय लिया गया।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं माननीय, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 12,750 रुपये लागत कुओं की रखा है, वह कौन से क्षेत्रफल का है और उस क्षत्रफल के कितने कुएं बने हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य, यह बुलन्दशहर और पश्चिमी इलाकों से अधिक डिफरेन्ट हैं। यह बुन्देलखण्ड की लागत है, वहां कुओं को गहराई 75 फीट और 6 फीट का व्यास है। वहां बहुत गहराई के कुएं बनते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों को बतायेंगे कि क्या कारण थे कि हरिजन विभाग, जो कुएं निर्मित करता था, उसकी कीमत बढ़ाकर 4 हजार से 12 हजार हो गई ?

इसके निर्माण के लिए रु0 4 से 12 हजार है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं उसे हरिजन विभाग निर्मित कराता है। ग्राम विकास विभाग द्वारा क्यों निर्माण कराया जा रहा है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शम्भू नाथ चौधरी जी यह आपका सुझाव है, इसको नहीं माना जा सकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मेरा सुझाव नहीं है, मेरा मूल प्रश्न यह है कि पहले जब हरिजन कल्याण विभाग द्वारा कुओं का निर्माण होता था, उसी माध्यम से अब भी होना चाहिए अब सामुदायिक विकास विभाग क्यों बनवाता है, इसके क्या कारण ह ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग पहले कुएं बनवाता नहीं था, केवल अनुदान देता था। चूंकि हरिजन कल्याण विभाग के पास कोई तकनीकी संगठन नहीं था, इसलिए हमें यह करना पड़ा।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक हजार रुपये का अनुदान कुओं के निर्माण के लिए जो हरिजन विभाग को दिया जाता था, उसका प्राविधान क्या सन् 1978 क बजट में किया गया था और कब ग्राम्य विकास विभाग द्वारा हरिजन कल्याण विभागक कुओं के निर्माण कार्य को करने का निर्णय लिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह जो पानी पीने के कुएं हैं, उसका डाइमेन्सन भी वही है, जो इरीगेशन परपज के हर एक कुओं के लिए होता है और उनकी जगत उसी हिसाब से कितनी कम या अधिक होती है ? और क्या मंत्री जी यह भी स्पष्ट करेंगे कि एक्कोमोडेशन के आधार पर जितनी लागत सिचाई के कुओं पर आती है क्या उतनी ही इन पानी पीने के कुओं पर भी आती है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय, आज कल की कीमतों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वैसे जहां तक मैं समझता हूं कि पानी पीने के कुओं की लागत में और इन कुओं की लागत में कोई अन्तर नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कूप निर्माण हेतु धन हरिजन कल्याण विभाग को दिया जाता है। जब अनुदान इसी विभाग को जाता है तो निर्माण दूसरे विभाग द्वारा क्यों कराया जाता है? दूसरी बात म यह जानना चाहता हूं

कि क्या हरिजन कल्याण विभाग अपन फण्ड का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग, इसका कंट्रोल अपने विभाग क कमचारियों द्वारा कराया जाता है य नहीं कराया जाता है, तो क्या कारण है कि हरिजन कल्याण विभाग के रुपयों से दूसरे विभागों द्वारा काम कराया जाए ? इसकी क्या वजह है, तकनीकी वजह है या इस अनुभाग का अधिकार नही रहा इसके ऊपर ?

(सदन से बिजली चली गयी)

(बिजली आने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न, स्पष्ट नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

वाराणसी डिपो द्वारा बसों की नीलामी से प्राप्त धनराशि

*3—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री को यह ज्ञात है कि वाराणसी डिपो द्वारा वित्तीय वर्ष 1979–80 या उससे कुछ माह पहले 3 (तीन) मरसरीज बसें नीलाम हुई हैं ? यदि हां, तो तीनों बसें कितनें रुपयों में नीलामी हुयी ? नीलाम लेने वाले व्यक्ति का नाम और पता क्या है ? क्या यह सही है कि बस बिना नीलाम का धन पाए नीलाम लेने वाले को दे दी गयी ? यदि हां, क्यों ?

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

जी नहीं ।

14 फरवरी, 1979 को 13 बसें कुल रु0 1,99,200 केवल में नीलाम की गयी है । नीलाम लेने वाले व्यक्तियों के नाम व पतों की सूची संलग्न है । नीलाम का धन पाये बिना नीलाम लेनें वालों को बसें नहीं दी गयी ।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 305 पर)

श्री राजकिशोर तिवारी—

जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि बिना धनराशि लिये बसें नीलाम लेने वालों को नहीं दी गई तो जो धनराशि जमा हुई है वह किस-किस तारीख को जमा की गयी ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि नीलाम में सबसे ज्यादा बोलने वालों को रुपया जमा करना होता है । संलग्न सूची में अलग-अलग नम्बर दिये हैं और 13 क्रेताओं के नाम दिये हैं । सारा धन परिवहन निगम के एकाउन्ट में जमा है । इनमें से 11 ने पहले जमा कर दिया था और एक ने 5 दिसम्बर, 1979 को तो एक ने 12 दिसम्बर, 1979 को धनराशि जमा की ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

13 बसों का नीलाम एक लाख में हुआ है । (एक लाख नहीं दो लाख की आवाजें) इसमें सबसे पुरानी और सबसे नयी बस किस माडल की थी ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

वह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

नीलामी के लिए कोई टेन्डर काल किया था ? टेन्डर उस आशय की कि रेट कोटेशन । जब कि चेसिस का दाम 45 हजार और बाडी का दाम 33 हजार है और नीलाम 26 हजार में किया जो बहुत कम है । इसमें अधिकारियों ने बंगलिंग की है ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

टेन्डर खरीदने के लिये होता है मान्यवर, नीलामी के लिये नहीं ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

13 बसों की नीलामी हुई है और नियम यह है कि जो बसें कण्डम होती है, नीलामी कर दी जाती हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस-किस तारीख को कण्डम घोषित की गई ये बसें ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, यह सही है कि जो बसें कंडेम घोषित करदी गयीं थीं, जिन्हें नीलाम किया गया है और नीलाम के संबंध में जो प्रक्रिया है , उसका पालन किया गया है । कौन-सी बस किस तारीख को कंडम घोषित की गयी, इसकी अलग अलग-सूचना नहीं है ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने बताया कि फरवरी में नीलाम हुआ और अदायगी दिसम्बर में हुयी तो इस 10 महीने की देरी का क्या कारण है ? क्या मंत्री महोदय खुद नहीं सोचते कि 13 बसों की कीमत 1 लाख 99 हजार बहुत कम है । बस की न्यूनतम कीमत क्या थी ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

सबसे अधिक कीमत की जो बस थी वह बेची गई है 24 हजार 700 रुपये में।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

आधार कीमत सरकार ने क्या तय की थी ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि जो बसें अनुपयुक्त घोषित कर दी जाती हैं, उनके नीलाम के संबंध में बाकायदा सूचना प्रसारित की जाती है और तिथि निश्चित की जाती है । नीलामी के दिन क्रेता वहां पहुंचते हैं । नीलामी के नियमों के अनुसार जब बोली, बोली जाती है, तो जो हाइयेस्ट बिडर है, उसकी बिड स्वीकार की जाती है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इस सवाल में बहुत कुछ रह गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर काफी अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं । आप चाहें तो लिखकर भेजें, आप नियम 49 में चर्चा मांग लीजिये ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

10 महीने की देरी क्यों हुयी, इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जितनी सूचना उनके पास थी आपको दे दी ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं । नीलाम फरवरी में हुआ और पेमेंट दिसम्बर में हुआ । इसका इन्टरेस्ट लिया गया या नहीं । देरी क्यों हुयी ?

(श्री श्याम देव का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मैं इस सवाल पर वाक आउट करता हूं, जो प्रश्न है उसका उत्तर आप नहीं दिलवा रहें हैं ।

(श्री श्यामदत्त पालीवाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या मंत्रीजी को मालूम है कि वाराणसी में कुछ अवांछनीय तत्व और वहां के सरकारी अधिकारी मिलजुल कर जो बसें कण्डम नहीं होती हैं, उनको नीलाम करने योग्य घोषित करके बहुत बड़ा घपला करते हैं । क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि ठेकदारों में कितने अवांछनीय तत्व हैं और नीलाम करने वाले अधिकारी कितने दिनों से वाराणसी में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

(मंत्री महोदय से) क्या कोई ऐसी शिकायत आयी है ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मेरे पास ऐसी कोई शिकायत उपलब्ध नहीं है । अगर माननीय विधायक के पास कोई ऐसी जानकारी हो तो मुझे दें मैं उसकी निश्चित रूप से जांच करा लूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, पूछा कुछ गया है और बताया कुछ गया है । प्रश्न है कि क्या 3 मरसरी बसें नीलाम हुयी है । क्या यह सही है कि बस बगैर धन लिये लोगों को दे दी गयी । 14 फरवरी को नीलाम हुआ और दिसम्बर में पेमेंट हुआ । केवल 3 बसों के बारे में प्रश्न पूछा है और जवाब कुछ और दिया गया है

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर तो दिया गया कि नीलामी का धन पाये बिना नीलाम लेने वालों को बसें नहीं दी गयीं ।

श्री रियासत हुसैन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों में नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन---

इसी सवाल से संबंधित है, मान्यवर, ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री रियासत हुसैन---

एक स्पष्टीकरण दिला दीजिये । माननीय मंत्री जी ने जो जबान दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं-नहीं, आप बैठिये । मैं श्री ओझा को बुला चुका हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

जो प्रश्न हुआ और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया । उससे यह बात तो साफ हो गयी है कि कहीं न कहीं घोटाला है । क्या माननीय मंत्री जी इस घोटाले को देखेंगे और दूसरे अधिकारियों से जांच करायेंगे ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय---

माननीय ओझा जी ने कहा कि कहीं न कहीं घोटाला है । हमको तो कहीं घोटाला दिखाई नहीं पड़ता (शोर) ।

(अनेक सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

यह तारांकित प्रश्न है । इस पर 7-8 अनुपूरक प्रश्न हो चुके हैं । अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 , जिला एटा के विरुद्ध प्राप्त याचिकायें

*4---श्री मानपाल सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष, 1979 में एटा केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, एटा की वार्षिक सामान्य सभा तथा संचालक मण्डल के विभिन्न अवैध संकल्पों को निष्प्रभावी कराने हेतु, उप निबंधक सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, आगरा को कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कर दी जायगी ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)---

इस सम्बन्ध में वर्ष 1979 में तीन याचिकायें उप निबन्धक को प्राप्त हुई थी इनमें से एक याचिका में वांछित कार्यवाही पूर्ण हो गई । शेष दो याचिकाओं पर कार्यवाही होना लम्बित है क्योंकि उक्त याचिकाओं में ऐसे संकल्पों तथा बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु याचना की गई है जो कि जिला मजिस्ट्रेट एटा के न्यायालय में विचाराधीन है । इन याचिकाओं पर तभी प्रभावी कार्यवाही करना सम्भव होगा जबकि जिला मजिस्ट्रेट एटा के न्यायालय से उक्त विषय संबंधी वाद का निर्णय हो जाय ।

अल्मोड़ा जिले की ग्राम सभा जेठाई के प्रधान के विरुद्ध अभ्यावेदन

*5---श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा, ब्लाक बागेश्वर के ग्राम सभा जेठाई के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित दिनांक 14 अप्रैल, 1977 का कोई अभ्यावेदन सचिव, ग्राम्य पंचायत को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उक्त मामले में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

जी हां। उक्त आशय का दिनांक 14 अप्रैल, 1977 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। मामले का विधिक परीक्षण किया गया जिससे यह पाया गया कि परगनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा ग्राम प्रधान को अपने पद पर बहाल कर दिये जाने के आदेशों से विधिक दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।

श्री अठई राम---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान के ऊपर क्या-क्या आरोप थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, प्रधान के विरुद्ध 13 आरोप लगाये गये थे । अगर आदेश हो, तो मैं इनको पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री अठईराम से) क्या आप जानना चाहते हैं ? पढ़वा दूं ?

श्री अठई राम---

पढ़वा दीजिये। क्या-क्या आरोप थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

13 आरोप थे।

1---प्रधान ने सन् 1962 में बनी, पेयजल योजना को छोड़कर उसके स्थान पर सन् 1972-73 में सिंचाई गूल योजना बनाई, जिसकी अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी।

2---उक्त सिंचाई योजना के निर्माण में मस्टर रोल आदि सही ढंग से नहीं रखे गये थे

3---उक्त सिंचाई गूल निर्माण के पश्चात् बचे 1,600 रुपये की धनराशि का कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया और उसका दुरुपयोग किया गया।

4---ग्राम के मंदिर के आंगन निर्माण हेतु एकत्रित चन्दा का 375 रुपये की धनराशि का गबन किया गया।

5---विभिन्न वर्षों में जलकर से प्राप्त धनराशि की रसीद पृथक-पृथक करदाता को काट कर नहीं दी गयी।

6---ग्राम के पशुओं द्वारा फसल का नुकसान करने पर ग्राम वासियों से मुआविजा वसूल किया गया।

7---हरिजनों से बेगार लेना तथा उनकी मजदूरी का भुगतान न करना।

8---राशन कार्ड तैयार करने के लिये अनुचित रूप से धनराशि वसूल करना।

9---ग्राम सभा की 25 रुपये से अधिक धनराशि को अनधिकृत रूप से अपने पास रखना।

10---गूल मरम्मत में 114 रुपये का फर्जी व्यय दिखाना।

11---ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से न करना तथा पंचायत के अभिलेखों को अपूर्ण रखना।

12---स्कूल भवन निर्माण के लिये व्यक्तिगत रूप से छपाई गयी रसीदों पर चन्दा वसूल करना तथा उसका लेखा-जोखा न रखना

13—कुछ हरिजनों को राशन कार्डों पर दूध माह राशन स्वयं प्राप्त करना ।

श्री अठई राम—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब प्रधान को मुमत्तल कर दिया गया है, तो अब उस जगह पर किस व्यक्ति को चार्ज देकर काम लिया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य, वही प्रधान काम कर रहे हैं, केवल उनको कड़ी चेतावनी देकर अपने पद पर बहाल कर दिया गया है ।

*6—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस ले लिया ।]

राज्य सड़क परिवहन निगम का लाभ एवं किराये के वृद्धि का प्रस्ताव

*7—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978–79 में 91 लाख रुपया परिवहन को लाभ में से कितना परिवहन विभाग की बसों द्वारा हुआ तथा कितना लाभ अण्डरटेकिंग बसों से हुआ ? क्या यह सही है कि परिवहन विभाग में गबन व भ्रष्टाचार के कारण उक्त वर्ष करीब 2 करोड़ का घाटा हुआ था अन्डरटेकिंग बसों के मालिकों को डेढ़े लाभ के साथ परिवहन विभाग को 3 करोड़ का लाभ हुआ ? यदि हां, तो परिवहन विभाग के घाटे को पूरा करने के लिये शासन बसों का किराया बढ़ाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो परिवहन विभाग को घाटा होने तथा किराया बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वर्ष 1978–79 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 1.13 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ । यह बताना संभव नहीं है कि निगम की बसों तथा निगम के नियंत्रणाधीन बसों से अलग-अलग कितना शुद्ध लाभ हुआ । यह सही नहीं है कि परिवहन निगम में गबन व भ्रष्टाचार के कारण घाटा हुआ । इस वर्ष केवल 1.49 लाख रुपये के गबन के मामले पकड़े गये ? निगम ने किराये में वृद्धि का प्रस्ताव व्यय कमदों में मूल्य वृद्धि से बढ़ हुये भार की परिपूर्ति के लिये शासन को भेजा है । यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीनहै ।

जिला पंचायत अधिकारी, गोरखपुर श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय, के मुकदमें का निर्णय

*8—श्री ओमप्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत अधिकारी, गोरखपुर (श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय) ने शासन के विरुद्ध यू0पी0 पब्लिक सर्विस ट्रीब्यूनल के वाद संख्या 552/एफ–111 वर्ष 1978 चन्द्र शेखर पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास एक मुकदमा दाखिल किया था जिस पर न्यायाधिकरण ने 9 जनवरी, 1979 को शासन के विरुद्ध निर्णय दिया और शासन ने 60 दिन के अन्दर कोई अपील भी नहीं की है ? क्या न्यायाधिकरण के दिन क 9 जनवरी, 1979 के निर्णय की प्रतिलिपि शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही

एटा जिले की कासगंज मण्डी के लिये नवीन मण्डी स्थल के चयन का प्रस्ताव

*9—श्री मानपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा की सबसे प्रमुख मण्डी कासगंज के मण्डी यार्ड का चयन नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत मौजा जखारुद्रपुर, परगना बिलराम, जनपद एटा में किया जा चुका है जिसका प्रस्ताव मण्डी समिति, कासगंज द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को गत माह भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कब तक मण्डी का निर्माण करा दिया जायगा ? क्या यह सही है कि चयन किए गए स्थल में कुछ लोग गड्ढा खोदकर तथा अतिक्रमण करके मण्डी यार्ड स्थल को क्षति पहुचा रहे हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

नवीन मंडी स्थल कासगंज के निर्माण हेतु जिला चयन समिति ने अभी कोई स्थल चयनित नहीं किया है। मंडी समिति ने इस प्रस्ताव ग्राम जखारुद्रपुर एवं कुतुबपुर स्थित 51.17 एकड़ भूमि के संबंध में भेजा था जिसके बारे में सभापति मंडी समिति से अनुरोध किया गया है कि वे जिला स्तरीय चयन समिति का विधिवत् अनुमोदन कराकर प्रस्ताव भेजें। जिलाधिकारी से भी इसके लिये अनुरोध किया गया था परन्तु अभी तक न सभापति ने और न ही जिलाधिकारी ने चयन समिति द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रस्ताव भेजा है। चूंकि अभी मंडी स्थल के बारे में कोई विधिवत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अस्तु मंडी निर्माण की तिथि बताना सम्भव नहीं है। इसी कारण गड्ढा खोदने के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

गोरखपुर जिले के बीज भण्डार, भौवापार, परतावल व दरहटा में गबन

*10—श्री ओमप्रकाश—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के भौवापार, परतावल तथा दरहटा बीज भण्डार भारी गबन के कारण नवम्बर, 1978 से वह बन्द है और अब तक इन बीज भण्डारों के गबन की जांच कर कर उनको चालू कराने के लिये परियोजना अधिकारी कृषि (श्री विश्वकर्मा) ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा एक वर्ष पूर्व ही इन बीज भण्डारों पर भारी गबन की लिखित शिकायत की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ? उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

सम्भावित दुर्विनियोग को दृष्टिगत रखते हुए गोरखपुर जनपद के भौवापार बीज भण्डार दिनांक 11-1-79 से परतावल बीज भण्डार दिनांक 12-9-78 से एवं दरहटा बीज भण्डार दिनांक 12-4-79 से बन्द किय गये थे। भौवापार तथा परतावल बीज भण्डार का चार्ज नये प्रभारियों को दिलाया जा चुका है। दरहटा बीज भण्डार का चार्ज भी दो राजपत्रित अधिकारियों के सामने पूर्ण कराया जा चुका है। प्रश्नकर्ता द्वारा एक वर्ष पूर्व इन बीज भण्डारों पर गबन सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री ओमप्रकाश उर्फ राममिलन सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भौवापार बीज भंडार के इंचार्ज श्री बलराम मिश्र पर 22 हजार रुपये का गबन का चार्ज था, तो उनकी दुबारा दूसरे बीज भंडार पर नियुक्ति क्यों की गयी ? क्योंकि नियम है कि जिसके ऊपर गबन के चार्ज होंगे उनको बीज भंडार का चार्ज नहीं दिया जायेगा तो उनको क्यों दुबारा बीज भंडार पर नियुक्त किया गया ?

श्री शिवमंगल सिंह—

मान्यवर, भौवापार के बीज भंडार के इंचार्ज को निलम्बित कर दिया गया है। इसलिये उनको दुबारा चार्ज देने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

मैं जानना चाहता हूं कि जब श्री बलराम मिश्र पर गबन का आरोप था और वह निलम्बित हो चुका है, तो फिर उसको दुबारा चार्ज क्यों दिया गया, चार्ज देने वाले कौन अधिकारी थे और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवमंगल सिंह---

मान्यवर, वह कर्मचारी तो निलम्बित है ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, क्या मंत्री जी इसमें किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायेंगे कि श्री बलराम मिश्र के ऊपर जबकि 22 हजार रुपये गबन के चार्जेज हैं, जिसको मंत्री जी सस्पेन्डेड बता रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के अनुसार वह दूसरे बैंक भंडार के इंचार्ज हैं ?

इसके अन्दर क्या माननीय मंत्री जी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे और अगर यह चीज आ जाय जो चार्जेज में दी है, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह---

सूचना प्राप्त होगी, तो जांच करा लूंगा और यदि शिकायत होगी, तो हटा दूंगा ।

सहायक लेखाकार, कृषि निदेशालय के स्थायीकरण की मांग

11---श्री अठईराम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे सहायक लेखाकार कृषि निदेशालय में कार्यरत हैं जो वर्ष 1963 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त थे परन्तु मार्च, 1973 में सहायक लेखाकार की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत भी उनका स्थायीकरण अब तक किसी भी पद पर नहीं हुआ ? क्या यह सही है कि काम चलाऊ प्रबन्ध में कार्यरत असफल घोषित सहायक लेखाकारों का, जिन्होंने 1 अप्रैल, 1974 को तीन वर्ष की लगातार सेवाएं पूरी कर ली थीं, स्थायीकरण कनिष्ठ/ज्येष्ठ लिपिक के पदों पर किया जा चुका है ?

श्री शिवमंगल सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अठई राम---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न 9-7-79 का है और इसकी सूचना अब तक नहीं है । कब तक इसकी सूचना एकत्र कर ली जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें काफी विलम्ब हो चुका है । माननीय सदस्य का प्रश्न 9-7-79 का है तो क्या कारण है इसका और वह पूछ रहे हैं कि कब तक सूचना एकत्र हो जायगी ।

श्री शिव मंगल सिंह---

इसमें जो सूचना प्राप्त करनी है वह 1963 से प्राप्त करनी है और कौन-सा कनिष्ठ लिपिक किस जिले में किस स्थान पर था, कब उसकी लेखाकार में पदोन्नति हुई, करीब-करीब प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों से यह संबंधित है, इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है । मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी इसकी सूचना एकत्र करके आपको उत्तर दे दूं ।

[दिनांक सोमवार 28 जनवरी, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परिवहन विभाग के वरिष्ट लिपिक, श्री बनवारी लाल सैनी, की सेवा समाप्ति

*1—श्री राम आसरे वर्मा, (जिला हरदोई)—श्री मान पाल सिंह

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेडर नं0 74/13 लेड एनाल्ड के विवाद में वरिष्ठ लिपिक (श्री बनवारी लाल सैनी) को दिनांक 19-8-77 से निलम्बित कर दिया गया है? यदि हां तो क्यों? क्या अन्य अधिकारियों को भी इस संबंध में निलम्बित किया गया? यदि नहीं तो क्यों? सरकार को इन्हें प्राविजनली तौर पर काम पर लेने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां। बनवारी लाल सैनी जो पहले निलम्बित थे उन्हें अब 27-11-79 के आदेश द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है। श्री सैनी के विरुद्ध यथानियम अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उन्हें दण्ड दिया गया है अतः इस स्तर पर उन्हें सेवा में वापिस लेने का अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अपराध कोई करे और सजा किसी को मिले। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या बनवारी लाल सैनी को बिना कारण बताओ नोटिस दिये और उनसे स्पष्टीकरण लिये बिना निलम्बित किया गया है। साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में सात अन्य अधिकारी भी इनवाल्व हैं। यदि वे इनवाल्व हैं, तो वे कौन-कौन हैं और उनका इनवाल्वमेंट कितना है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्री सैनी को पहले निलम्बित किया गया और इनका जवाब भी मिल गया तथा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, उसके बाद ही इनकों सेवा से विधिवत् पृथक किया गया। इसके अतिरिक्त श्री सैनी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में निलम्बन के विरुद्ध एक दावा भी दायर किया था और वह दावा भी उनका अस्वीकार कर दिया गया है।

दूसरा प्रश्न वर्मा जी का शायद सात अधिकारियों से संबंधित है तो इस संबंध में मान्यवर, चार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है। एक हैं तत्कालीन उप प्रधान प्रबन्धक, भंडार, श्री के0 सी0 खरे, दूसरे यांत्रिक अभियन्ता श्री आर0 के0 मित्तल, तीसरे कल पुर्जा नियंत्रण अधिकारी श्री ए0के0 अनुरोगी। इनको आरोप-पत्र दे दिया गया है और उसका उत्तर भी मिल गया है। विभागीय कार्यवाही चल रही है। चौथे अधिकारी हैं श्री के0 आर0 रामानुजम, उप प्रधान प्रबन्धक, एम0ई0। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हैं इस बीच यह सेवा से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं।

श्री उदय—

श्री बनवारी लाल सैनी का निलम्बन किया गया और बाद में आरोप-पत्र दिया गया, तो इन अधिकारियों के खिलाफ इतने बड़े-बड़े आरोप थे; इनको अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जैसा मैंने पहले उत्तर दिया, श्री बनवारी लाल सैनी को निलम्बित करने के बाद उनको आरोप-पत्र दिया गया और उसका उत्तर भी प्राप्त हो गया और इन अधिकारियों के विरुद्ध सारी जांच चल रही है और उनका उत्तर भी आ गया है और यदि कुछ निकल गया, तो निश्चित रूप से जो कुछ भी कार्यवाही नियमों के अन्दर होगी, चाहे निलम्बन हो, चाहे निष्कासन हो की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्लर्क तो निलम्बित होकर घर बैठ गया और अफसरान को अभी चार्ज शीट दी जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस क्लर्क पर क्या आरोप थे और अधिकारी उससे किस प्रकार सम्बन्धित थे और किस तारीख को अधिकारी को चार्ज शीट दी गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध आरोप यह था कि जो टेंडर है उसमें हेराफेरी तथा जालसाजी की गयी। अधिकारियों के विरुद्ध लैक आफ सुपरवीजन के चार्जेज हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या इवाल्वमेंट का चार्ज था और उनको कब चार्ज शीट दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले का उत्तर तो दिया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

लेकिन यह उत्तर नहीं आया कि अधिकारियों के विरुद्ध कब चार्ज शीट दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह लम्बा प्रश्न है।

श्री राम आसरे वर्मा—

इस पर एक सप्लीमेन्टरी मुझे और कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें। मैं प्रश्न संख्या 3 ले रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायगा। मेरी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होती है।

सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, गोरखपुर मण्डल के नियमितीकरण की मांग

*2—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग ने शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 1978 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि ऐसे लोगों को, जो 1-1-77 से पूर्व किसी भी पद पर 3 वर्ष लगातार काम कर चुके हों उन्हें स्थायी कर दिया जाय ? यदि हां तो गोरखपुर मण्डल में कुल कितने ऐसे सहायक विकास अधिकारी पंचायत राज कार्यरत हैं जो 10 वर्ष से अधिक की सवा कर रहे हैं और उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है ? इनकी नियमितीकरण में क्या बाधा है ?

श्री बनारसी दास—

यह आदेश केवल 1-1-77 से पूर्व तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में है।

नोट:—[× × ×] यह अंश भी उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गोरखपुर मंडल में ऐसे तदर्थ रूप से नियुक्त केवल 3 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) वर्ष 1972 से कार्यरत हैं ऐसे तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों का नियमितीकरण की कार्यवाही शासन द्वारा किए गए प्राविधानों के अनुसार की जा रही है।

यह आदेश पदोन्नतियों पर लागू नहीं है।

रोडवेज कर्मचारी संघ, वाराणसी को प्रदान की गयी मान्यता

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे सोमवार (4-6-79) के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 50-51 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज कर्मचारी संघ, वाराणसी को मान्यता दे दी गई है? यदि नहीं, तो सर्वाधिक सदस्य संख्या होने के बाद भी मान्यता न देने का कारण क्या है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ वाराणसी को दिनांक 2 जून, 1979 को निगम के बोर्ड की 54वीं बैठक में अस्थायी मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब सर्वाधिक संख्या सदस्यों की इस यूनियन की है, तो उसको बाद भी अस्थायी मान्यता उसे देने का क्या कारण है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यता देने के कुछ नियम होते हैं। इस यूनियन के सर्वाधिक श्रमिक सदस्य नहीं हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ वाराणसी के सबसे अधिक सदस्य जिनकी संख्या 26,753 है, जैसे ही यह यूनियन शर्तें पूरी कर लेगी, इसको भी स्थायी मान्यता दे दी जायगी, लेकिन शर्तें पूरी करने में उसे कुछ समय लगेगा इसलिय तब तक क लिय उस अस्थायी मान्यता दे दी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह पूरा प्रश्न वाराणसी मंडल के बारे में किया गया है। पहले प्रश्न के उत्तर में संख्या स्पष्ट दी गई है कि सर्वाधिक संख्या इसी यूनियन की है लेकिन इसके बावजूद भी इसको अस्थायी मान्यता किस कारण से दी गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जिस संस्था की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह है उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज कर्मचारी संघ। जैसा मैंने निवेदन किया कई शर्तें मान्यता देने के लिये हैं। जैसे सत्यापन करने की सूचना नहीं आयी। संघ के पदाधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी शर्तों को पूरा करवा दें, तो तुरन्त इसको स्थायी मान्यता दे दी जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

किसी भी ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिये कौन-कौन सी शर्तें हैं और संदर्भित संस्था के लिये कौन सी शर्तें हैं, जिनको वह पूरा नहीं कर पाई है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जानकारी की बात है।

XXX

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जानकारी की बात नहीं है। ऐसा दलगत राजनीति को कारण किया जा रहा है। इसका उत्तर दिलवाने की कृपा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके पास यदि सूचना नहीं है, तो वैसे बता दें और यदि आपके पास यह सूचना उपलब्ध हो कि क्यों अस्थायी मान्यता दी गई तो वह बता दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जो इनकी संख्या है उसको नियमानुसार सत्यापित करके शासन को उसकी सूचना नहीं दी गई है। जैसे ही वह सूचना आ जायेगी, स्थायी मान्यता दे दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पत्रावली देख लें मंत्री जी ने कहा है कि सर्वाधिक संख्या इसी संघ की प्रमाणित रूप से पायी है और अब कह रहे हैं कि प्रमाणित संख्या नहीं आयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको लिखकर भेज दें, मैं देख लूंगा।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लिये गये विकास खण्ड

*4—श्री बाबूलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1979–80 में प्रदेश के 876 ब्लाकों में से 434 ब्लाकों में सघन एकीकृत ग्राम विकास परियोजना लागू की जा रही है? यदि हां, तो सभी ब्लाकों में योजना लागू करने में क्या कठिनाई है?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1979–80 में केवल 92 विकास खण्ड एकीकृत ग्राम्य बिकास योजना में लिये गये हैं। इन्हें लेते हुए प्रदेश के 876 विकास खण्डों में से अब तक 476 विकास खण्डों में यह योजना लागू हो चुकी है।

योजना भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है और उनके निर्देशानुसार ही कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न प्रदेशों के लिये प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा आवंटित विकास खंडों की संख्या के अनुसार योजना का प्रसार किया जाता है। इसलिए प्रदेश सरकार स्वतः सभी विकास खण्डों में योजना लागू नहीं कर सकती।

गोरखपुर जिले में गेहूं के बीज का वितरण एवं नीलामी

*5—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के परियोजना अधिकारी, कृषि ने बाढ़ क्षेत्र में तकाबी पर वितरण हेतु एफ0सी0आई0 गोरखपुर से 140 रु0 प्रति क्विंटल के भाव से 1601 क्विंटल गेहूं प्राप्त करके आठ सौ एक क्विंटल गेहू वितरण किया और अवशेष आठ सौ क्विंटल गेहू मण्डल के ही अन्य जिले देवरिया तथा बस्ती के कृषि अधिकारियों की मांग पर न देकर 22 रु0–28 रु0 क्विंटल कम दाम पर (112 रु0–118 रु0 प्रति क्विंटल) नीलाम करके शासन का लगभग 40,000 रु0 का नुकसान किया? क्या सरकार यह 40,000 रु0 का नुकसान जिम्मेदार अधिकारी से वसूल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—

गोरखपुर जनपद में 1601 कुन्तल गेहूं का बीज तकावी पर वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम से लिया गया। बस्ती एवं देवरिया जनपद की कोई मांग नहीं थी। गोरखपुर जनपद में केवल 795 कुन्तल की मांग के अनुसार बीज वितरित किया गया। शेष 806 कुन्तल का नीलामी द्वारा निस्तारण किया गया, जिसके फलस्वरूप विक्रय एवं नीलामी दर में अन्तर के कारण रु0 18,908 रु0 की हानि हुई।

बसूली का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन 806 क्विंटल गेहू की नीलामी किस-किस रेट पर की गई और किस-किस रेट तर वह खरीदा गया था?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, जो गेहूं नीलाम किया गया था वह विभिन्न तारीखों में विभिन्न बेसिस पर किया गया था।

मात्रा जो नीलामी की गई	कुल विक्रय मूल्य	नीलामी की दर रु0 पै0	नीलामी की धनराशि	नीलामी की तिथि	अति रुपयों में
112,40,500	157,36.70	117.00	13151.38	27-2-79 7-3-79 26-2-79	2585.32
20,30,000	28,42.00	123.00	2499.00	20-2-79	342.10
166,80,000	233,52.00	115.00	19,182-00	17-2-79 23-2-79	4170.00
70,57,500	98,80.60	118.00	8,327.93	15-2-79 25-2-79	1552.67
100,35,000	140,49.00	119.00	11,941.65	17-2-79 20-2-79	2107.35
124,35,000	17,424.00	118.00	14,437.36	17-2-79 22-2-79	2,98,6.64
26,39,800	3694.60	103.00	2718.17	17-2-79	976.43
8,35,30	1169.00	90.00	751.50	9-3-79	417.50
221,71,825	4020.55	113.00	3245.15	17-2-79	775.39
50,75,30	7105.00	121.00	6140.75	15-2-79	964.25
70,55,30	9877.00	120.00	8466.00	15-2-79	1411.00

श्री उपाध्यक्ष—

अभी यह सूची क्या लम्बी है। आप माईक से पढ़िये।

श्री शिवमंगल सिंह—

दोहल बतला दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो सूची है इसे आप माननीय सदस्य को भेज दीजिये ।

श्री शिवमंगल सिंह---

मैं कुल टोटल बतला दूं। वह इस प्रकार है ।

कुल क्षति जो हुई वह 18908.41 पैसे और कुल मात्रा जो नीलाम हुई वह 806,76,895

श्री ओम प्रकाश--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । एफ0सी0आई0 से किस रेट पर खरीदा गया? जो यह सूचना पढ़ रहे हैं इसकी कोपी हमको मिलनी चाहिये थी वह हमें क्यों नहीं दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी, सूची इनके पास भेज दीजिये ।

श्री ओम प्रकाश---

उपाध्यक्ष जी, इसे स्थगित कर दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी आदि के खड़े होने पर) मैं इस पर इजाजत नहीं देता । वह सूची भेज देंगे मैंने कह दिया है ।

जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, एक प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, मैं अब इजाजत नहीं देता। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*6---श्री नारायण सिंह भैंसोरा

(3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

अल्मोड़ा जिले के कौशानी-सोमेश्वर व विजयपुर कांडा में विकास खण्ड के सृजन की मांग

*7---श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 5 मार्च, 1978 को जो प्रार्थना पत्र दो विकास खण्ड (1---कौसानी सोमेश्वर, 2---विजयपुर कांडा) जिला अल्मोड़ा में खोलने हेतु मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री एवं ग्राम्य विकास मंत्री को दिया गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो इन विकास खण्डों को कब तक खोला जायगा ?

श्री बनारसी दास---

नये विकास खण्ड खोले जाने हेतु पत्र 2 जून, 1978 का है लेकिन विचारोपरान्त अल्मोड़ा जनपद म किसी नए विकास खण्ड के सृजन की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

नोट : तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त ।

पशुधन विकास सहायक संघ का ज्ञापन

*8—श्री देवबहादुर सिंह—

क्या सरकार को प्रश्नकर्ता ने एक ज्ञापन पशुधन विकास सहायक संघ का भेजा था जिस पर आवश्यक कार्यवाही करने का लिखित उत्तर तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम नरेश सिंह यादव ने अपने पत्र संख्या एम 54 / 9 / सी0 एम0 लखनऊ, दिनांक 20 अक्तूबर, 1978 द्वारा प्रश्नकर्ता को भेजा था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पशुधन विकास सहायक संघ के ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां। ज्ञापन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' अग पृष्ठ 306 पर)

यात्री बसों पर कथित चुंगी की समाप्ति

*9—श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यात्री बसों पर स्थानीय निकायों की चंगी तथा आक्ट्राय टैक्स किस तिथि से समाप्त किया गया है और क्या उसी तिथि से यात्री बसों के किराये में आनुपातिक कमी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

स्थानीय निकायों द्वारा यात्री बसों पर चुंगी अथवा आक्ट्राय नहीं लगाया जाता था। अतः इसके समाप्त किये जाने या उसके एवज में यात्री बसों क किराये में कमी करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कृषि फार्म, देवरिया द्वारा गेहूं के बीज की नीलामी

*10—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1977-78 व 78-79 में देवरिया के जिला कृषि अधिकारी ने राजकीय कृषि फार्म का हजारों क्विन्टल गेहूं बीज बिना निविदा के अवैध रूप से नीलाम करवा दिया, जिससे फाउन्डेशन बीज के इच्छुक किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण घटना की जांच गुप्तचर विभाग से करवा ली जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं। देवरिया जनपद में वर्ष 1977-78 व 78-79 में प्रक्षेत्रों पर उत्पादित पंजीकृत गेहूं बीज में से केवल क्रमशः 389 एवं 254 कुंतल गेहू को बीज के रूप में उपयोग करने योग्य नहीं था, का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमानुकूल नीलाम एवं निस्तारण किया गया। किसानों की आवश्यकतानुसार जनपद में बीज वितरण किया गया। अतः कृषकों को बीज न मिलने और उनमें असंतोष व्याप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जांच का प्रश्न नहीं उठता।

डेयरी डेवलपमेन्ट सहकारी संस्थाओं को दिया गया ऋण एवं घाटा

*11—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी डेरी डेवलपमेंट सहकारी संस्थाओं को 10 करोड़ रुपया कर्ज दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं में

लगभग आठ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो इस घाटे के लिये कौन जिम्मेदार है ? सरकार घाटे की रोक थाम के लिये कौन सा कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

प्रदेश के सभी डेरी डेवलपमेन्ट सहकारी संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ रुपया कर्ज दिया गया था । उक्त संस्थाओं में लगभग पांच करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ।

घाटे का कारण डेरी प्लान्टस को उनकी क्षमतानुसार दूध उपलब्ध न होना है । प्लान्ट्स को चलाने के लिए प्रबन्धतंत्र पूरी क्षमता के आधार पर तैनात किया जाता है और दूधकी उपलब्धता कम होने से ऊपरी व्यय कम नहीं हो सकते हैं । प्लान्ट्स के उनकी क्षमतानुसार दूध उपलब्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के क्षेत्रीय संगठनकर्ताओं की नियुक्ति

*12--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक आर्गेनाइजरों के रिक्त पदों पर वर्ष 1978 में शासन द्वारा सीधे जो नियुक्ति की गयी है उनमें कितने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति में पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के प्रार्थना-पत्र पर विचार न करके शासन की आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

वर्ष 1978 में क्षेत्रीय संगठनकर्त्ताओं के पदों पर कुल 71 नियुक्तियां की गई, जिनसे अनुसूचित जाति के 6, पिछड़ी जाति के 11 एवं अल्पसंख्यक जाति का एक अभ्यर्थी सम्मिलित था ।

अनुसूचित जाति के कोटे की कमी को, समस्त रिक्तियों पर विधिवत् चयन करके वर्ष 1979 में पूरा कर लिया गया है।

*13--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

(3सरे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*14--श्री राजकिशोर तिवारी---

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

कृषि विभाग के कर्मचारियों का सेलेक्शन ग्रेड

*15--श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ग–2 के जिन 21 कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना स्वीकार किया था, क्या उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी नहीं । सेलेक्शन ग्रेड अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर देय है । अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची विवादग्रस्त थी जिससे सेलेक्शन ग्रेड का लाभ देने में गतिरोध हुआ । ज्येष्ठता सूची को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है और सेलेक्शन ग्रेड शीघ्र देने की कार्यवाही की जा रही है ।

परिवहन निगम में सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारियों की नियुक्ति

*16--श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन सहायक क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों के पदों की भर्ती हेतु फरवरी, 1979 में किये गये साक्षात्कार में हुई अनियमितताओं की ओर प्रश्नकर्ता द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर चयनित सूची निरस्त की गई ? क्या यह सही है कि उक्त सूची को पुनः नियमित करके नियुक्तियां कर दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इन अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने की कृपा करेंगी ? नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां। सहायक क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों के पदों की भर्ती हेतु फरवरी, 1979 में की गयी कार्यवाही की समीक्षा करने पर उसे विधि सम्मत पाया गया, अतएव इसी सूची के अनुसार परिवहन निगम द्वारा नियुक्तियां की गयी हैं।

इस कारण इन नियुक्तियों को रद्द करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आगरा एवं फिरोजाबाद में पशुओं की बीमारी एवं औषधियों की व्यवस्था

*17--श्री रघुबर दयाल बर्मा (जिला आगरा)--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद आगरा और फिरोजाबाद में सितम्बर और अक्टूबर, 1979 में पशुओं की बीमारी मुंहपका, खुरपका, घुघी और दस्त की रोक थाम के लियें आगरा और फिरोजाबाद के पश अस्पतालों में दवायें उपलब्ध थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

आगरा जनपद में आगरा एवं फिरोजाबाद में स्थित पशु चिकित्सालयों पर माह सितम्बर; अक्टूबर, 1979 में पशुओं की बीमारी मुंहपका, खुरपका और दस्त की चिकित्सा एवं रोकथाम के लिये औषधियां उपलब्ध थी। अतिरिक्त औषधियों की पूर्ति बाद में भी की गई।

*18--श्री श्रीनारायण--

(प्रदेशीय सरकार से असंबद्ध होने के कारण निरस्त)

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल की सेवा नियमावली में पिछड़ी जाति का आरक्षण

*19--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या यह सत्य है कि संस्थागत सहकारी सेवा मंडल, लखनऊ ने सेवा नियमावली में पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति व प्रोन्नतियों में आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन सरकार से करने के लिये इस वर्ष प्रस्तावित किया है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा संशोधन प्रस्ताव दिनांक 9-5-78 के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

बीज एवं तराई विकास निगम लि0, के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जिले

*20--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तराई डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि0, पोस्ट हल्दी, जिला नैनीताल के उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लि0 के रूप में परिवर्तन होने के बाद प्रदेश के किन-किन जनपदों को निगम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया है और उनके चुनाव करने का आधार क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 के उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम लि0 के रूप में पुनर्गठित हो जाने पर नैनीताल रामपुर, बरेली, कानपुर, जालौन व फैजाबाद जनपद, द्वितीय राष्ट्रीय बीज परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उक्त निगम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित होंगे।

भूमि विकास बैंक द्वारा भूमि नीलामी की सूचना पर प्रकाशन व्यय की वसूली

*21--रामदत्त जोशी--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋणी किसानों की भूमि नीलामी की सूचनायें जो अखबारों में वित्तीय वर्ष 1978-79 में प्रकाशित कराई गई, क्या उन्हीं ऋणी किसानों से वसूल की गई जिनकी भूमि की नीलामी सूचनायें अखबारों में प्रकाशित हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 सहकारी भूमि विकास बैंक नियमावली, 1971 के नियम 37, 38 एवं 39 के अधीन नीलामी के प्रकाशन पर जो व्यय होता है वह ऋणी किसान से वसूल किया जाता है क्योंकि इस प्रकार का प्रकाशन ऋणी द्वारा नियमानुसार समय से ऋण अथवा उसके किसी भाग का भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप कराना पड़ता है। वैसे अधिकतम तीस रुपये तक ही यह व्यय ऋणी किसान से लिया जा रहा है।

हैदरगढ़--लखनऊ मार्ग, थाना कैण्ट, लखनऊ के अन्तर्गत बस की लूट

*22--श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री रामजनम (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यात्री बस गाजीपुर स लखनऊ आती हुई हैदरगढ़--लखनऊ मार्ग पर थाना कैण्ट लखनऊ क्षेत्र में रलवे क्रासिंग के समीप दिनांक 2 अक्टूबर, 1979 को सायंकाल 7 बजे लूट ली गयी जिसकी विधिवत् सूचना सम्बन्धित कोतवाली में दर्ज है ? क्या इस घटना से सम्पूर्ण लखनऊ महानगरी में आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार घटना का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सयालढोन--घेटी मार्ग, जिला अल्मोड़ा का निर्माण

*23--श्री पूरन चन्द्र--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1979 में जो कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा घेटी, पो0 मिलकोट, विकास खण्ड गरुण बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा में पैदल मार्गों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था वह कार्य किन परिस्थितियों में अधूरा छोड़ दिया गया है और अब यह कार्य कब तक पुनः प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री बनारसी दास--

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में सयालढोन से घेटी तक सम्पर्क मार्ग स्वीकृत था जिसकी कुल लम्बाई 2 किलोमीटर थी। यह कार्य अधूरा नहीं छोड़ा गया। उक्त सम्पर्क मार्ग पर निर्माण कार्य जुलाई, 1979 में पूर्ण किया जा चुका है।

*24--श्री राजकिशोर तिवारी--

[3-9-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित]

कृषि विभाग में कृषि सेवा वर्ग एक के रिक्त पद

25--श्री मकबूल अहमद--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ग 1 के कितने स्थान रिक्त हैं और उन्हें पदोन्नति द्वारा न भरे जाने के क्या-क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 के 102 पद इस समय रिक्त है जिनमें से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या केवल 17 है। शेष 85 पदों को सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध भरा जाना है जिसके लिये अधिगाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। फिलहाल सभी 102 रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से भरने की कार्यवाही की जा रही है।

खण्ड विकास अधिकारी, वजीरगंज, जिला गोण्डा के विरुद्ध शिकायती पत्र

*26--श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला देवरिया)--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0डी0ओ0 वजीर गंज जनपद गोण्डा के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र वर्ष 1978-79 में प्रश्नकर्ता तथा अन्य विधायकों से शासन को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

खण्ड विकास अधिकारी वजीरगंज के विरुद्ध शिकायत-पत्र जिलाधिकारी गोण्डा को जो अन्य माननीय विधायकों से प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य-मुख्य आरोप, अन्त्योदय योजना, गेहूं, खाद तथा सीमेन्ट वितरण में अनियमितता किए जाने तथा मृतकों के नाम दिखाकर गलत तरीके से रुपया कमाने तथा श्रम के बदले खाद्यान्न योजना में गड़बड़ी किए जाने का लगाया गया है।

2--इन आरोपों में से अन्त्योदय योजनान्तर्गत कृषकों के गलत चयन पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्रम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। सीमेन्ट वितरण के संबंध में आवश्यक जाँच अभी की जा रही है।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत दिया जानेवाला अनाज

*27--श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सही है कि अनाज के बदले काम योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण-कार्य हेतु श्रमिकों को निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दिया जाता है ? क्या शासन किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेगी तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री बनारसी दास---

जी नहीं। श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य हैं। श्रमिकों को कार्य की माप के अनुसार निर्धारित मात्रा में अनाज दिया जाता है।

गोवंश के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी राजाज्ञा

*28---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना गोवंश के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी राजाज्ञा जिला अधिकारियों को कब प्रेषित की गई? इस आशय का अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया है?

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह आदेश दिनांक 29-8-79 को भेजे गये और उसी दिन से निर्यात पर प्रतिबन्ध लागू हो गया।

नया बाजार, लखनऊ में गबन एवं घाटा

*29---श्री बाबूलाल वर्मा---

क्या सरकार को जानकारी है कि लालबाग लखनऊ स्थित सुपर मार्केट (नया बाजार) में जुलाई, 1979 से अक्टूबर, 1979 तक कई लाख रुपये के गोल माल करने का मामला विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा पकड़ा गया? क्या यह सही है कि अब तक सुपर मार्केट का लाखों रुपयों का घाटा हो चुका है? यदि हां, तो अब तक कितने मामले पकड़े गये तथा अब तक कितने लाख का घाटा हो चुका है? सरकार ने सारे मामले में क्या कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जुलाई, 1979 से अक्टूबर, 1979 तक नये बाजार, लखनऊ से सम्बन्धित 69 गबन और दुरुपयोग के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिन पर विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा विवेचना की जा रही है। विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार कुल 73 अपहरण के मामले प्रकाश में आये हैं। 31-12-79 तक कुल 28 लाख 46 हजार 222 रुपये 84 पैसे का घाटा हो चुका है।

इन मामलों में निम्नलिखित कार्यवाही की गई:---

1---उक्त मामलों में 3 लाख 67 हजार 982 रु0 44 पैसे की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई जा चुकी है।

2---दोषी पाये गये 78 व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यस्थ निर्णय के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

3---दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अभिभार की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

4---संस्था के संचालक मंडल को निलम्बित करके उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा क्षेत्र, के कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची एवं अभ्यर्थियों की आयु सीमा

*30---श्री मैनेजर सिंह तथा श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला बलिया)---

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आगरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जूनियर क्लर्क, बुकिंग क्लर्क एवं कार्यालय सहायक द्वितीय के लिए जून, 72 की लिखित

परीक्षा तथा अक्टूबर, 1973 के साक्षात्कार के पश्चात् तैयार की गयी सूची के आधार पर सन् 1976 की नियुक्तियों में सूची में नाम होने पर भी उन अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया जो सन 1972 की परीक्षा तथा सन 76 की नियुक्तियों के बीच समय के लम्बे अंतर के कारण को सवा में ओवरएज हो चुके थे ? यदि हां, तो क्या सरकार आयु में छूट देकर चयन किये हुए अभ्यर्थियों को सेवा में लेगी ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हां । लिखित परीक्षा 1972 में तथा साक्षात्कार 1973 में सम्पन्न हुआ । इस परीक्षा के बाद एक प्रतीक्षा सूची 1975 में प्रकाशित की गई । इसकी वैधता 1-5-76 को समाप्त हो गयी । इनमें से शासन स्तर पर एक अभ्यर्थी का मामला आयु सीमा में छूट देने के लिये विचाराधीन है ।

*31---श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

*32---श्री मानपाल सिंह तथा श्री राम अवसर वर्मा---

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

*33---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध कथित अनियमित टी0ए0 लेने का आरोप

1---श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या शासन को यह जानकारी है कि वर्तमान कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध उप निदेशक कृषि, फैजाबाद ने बहराइच व गोण्डा में अनियमित ढंग से टी0ए0 बिल के लेन-देन में वर्ष 1978-79 में जांच की और टी0ए0 बिल में गम्भीर अनियमितायें पायीं ? यदि हां, तो अनियमित टी0ए0 बिल लेने व देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह---

वर्तमान कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध उप निदेशक (कृषि) फैजाबाद ने बहराइच व गोंडा में अनियमित टी0ए0 लेने देने के संबंध में, वर्ष 1978-79 में कोई जांच नहीं की । अतएव, कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा, अटेसुवा, जिला लखनऊ के प्रधान का निलम्बन

2---श्री मन्नू राम (जिला बलिया)---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 19 मार्च, 1979 को प्रधान ग्राम सभा अटेसुवा, तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ को संबंधित परगनाधिकारी द्वारा निलम्बन किये जाने के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या निलम्बन के पूर्व ही दिनांक 22 सितम्बर, 1978 को प्रधान के मुख्य कागजात जमा हो चुके थे, जिनकी नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 1976 को जांच व 22 सितम्बर, 1979 को आडिट भी हो चुका था, जिसमें प्रधान को निर्दोष पाया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

श्री करीम बख्श, प्रधान ग्राम सभा अटेसुआ द्वारा निलम्बन के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिनाक 19-3-79 को प्राप्त हुआ है। निलम्बन के पूर्व दिनांक 22-9-78 को मुख्य कागजात जमा नहीं हुये थे बल्कि आडिट 22-9-78 को हुआ था। प्रधान से कागजात मांगने पर प्रधान ने स्वय उन कागजात का चोरी होना बताया जिसकी जांचथानाध्यक्ष इटौजा द्वारा करके दिनांक 28-1-79 को फाईनल रिपोर्ट लगा दी गई।

बांदा जिले के तहसील करवी के कतिपय विकास खण्डों में लगाये गये पंपिंग सेट एवं दी गयी सब्सिडी

3---श्री रामसजीवन (जिला बांदा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले की तहसील करवी के विकास खण्ड चित्रकूट, पहाड़ी, मानिकपुर तथा नरैनी में सन् 1978 और 1979 में कितने किसानों के नकद धन लगाकर पैंपिंग सेट खरीदे थे और अनुदान (सब्सिडी) के लिए प्रार्थना-पत्र संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में दिये थे ? उनमें से कितनों को सब्सिडी दी गयी और कितनों को नहीं दी गयी ? सब्सिडी न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास---

बांदा जिले की तहसील करवी के विकास खण्ड चित्रकूट पहाड़ी तथा मानिकपुर है। नरैनी विकास खण्ड तहसील नरैनी में आता है।

वर्ष 1977-78 में :---विकास खण्ड चित्रकूट के अन्तर्गत 22 व पहाड़ी के अन्तर्गत 8 व मानिकपुर के अन्तर्गत 5 तथा नरैनी के अन्तर्गत 10 कृषकों द्वारा नगद धन लगाकर पम्पसेट खरीदे गये।

वर्ष 1978-79 में :---विकास खण्ड चित्रकूट के 9 पहाड़ी के शून्य व मानिकपुर के 10 नरैनी के 4 कृषकों द्वारा नकद धन लगाकर पम्पसेट खरीदे गये।

वर्ष 1977-78 में विकास खण्ड चित्रकूट के 22 कृषको के विरुद्ध 10 कृषक लघु सीमान्त कृषक है जिन्हें शासनादेशों के आधार पर अनुदान देय नहीं है। शेष 12 की कार्यपूर्ति रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त हुई है जिसके कारण वित्तीय वर्ष में अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका। पहाड़ी विकास खण्ड के 8 मामलों के विरुद्ध 4 मामलों पर अनुदान स्वीकृत किया गया। परन्तु बजट के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका शेष 4 मामलों पर सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) द्वारा प्रमाणीकरण नहीं किया गया। विकास खण्ड मानिकपुर के 5 मामलों पर अनुदान संबंधी औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होने के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ।

विकास खण्ड नरैनी के 10 मामलों के विरुद्ध 7 कृषकों को अनुदान का भुगतान कर दिया गया। शेष 3 में से एक कृषक द्वारा बाउचर एवं रसीद नहीं प्रेषित की गयी तथा 2 कृषकों द्वारा कार्यपूर्ति रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण बजट के अभाव में अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया।

वर्ष 1978-79 में :---विकास खण्ड चित्रकूट में जिन 9 कृषकों द्वारा नगद धन लगाकर पम्पसेट क्रय किये गये उनके कार्यपूर्ति की रिपोर्ट न मिलने के कारण अनुदान स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। विकास खण्ड मानिकपुर के जिन 10 कृषकों द्वारा नगद धन लगाकर पम्पसेट क्रय किये गये थे उनमें से एक मामले में अनुदान स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा चुकी है। परन्तु बजट के अभाव में अनुदान का भुगतान नहीं किया जा सका और एक मामले मे कार्य तो पहले कराया गया परन्तु रजिस्ट्रेशन बाद में कराया गया जो

नियमानुसार नहीं है और इस मामले में अनुदान देय नहीं है। शेष 8 मामलों में कृषकों द्वारा कोई वाउचर तथा कार्यपूर्ति रिपोर्ट न प्राप्त होने एवं कार्य प्रारम्भिक कार्य समाप्त होने की कोई सूचना विकास कार्यालय से प्राप्त न होने के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। इसी प्रकार विकास खंड नरैनी की जिन 4 कृषकों द्वारा नगद धन लगाकर पम्पसेट क्रय किया गया 3 कृषकों के कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र विकासखंड नरैनी कार्यालय में कृषकों द्वारा प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। शेष एक मामले में अनुदान स्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण की गई परन्तु बजट के अभाव में अनुदान का भुगतान नहीं हो पाया।

वर्ष 77–78 एवं 78–79 में जिन मामलों में अनुदान स्वीकृत किया गया परन्तु बजट के अभाव में अनुदान का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे मामलों में वर्ष 79–80 के बजट से अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

मीसा बन्दी श्री भुवाल सिंह, ग्राम जवन्सीपुर, जमालपुर, जिला जौनपुर को दिया गया बास का परमिट

4––श्री ऊदल––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, वाराणसी ने जून, 1978 में मीसा बन्दियों के लिए चार बस परमिट दिए हैं और उसमें तीन एक ही घर के श्री भुवाल सिंह, तीरथराज सिंह व श्रीमती मालतीसिंह पति तीरथ राजसिंह, गांव जवन्सीपुर, जमालपुर, जौनपुर को दिया गया है? क्या यह भी सत्य है कि श्री भुवाल सिंह, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में राजनैतिक बन्दी के रूप में मीसा में नहीं बन्द थे? यदि हां, तो उपरोक्त परमिट किस आधार पर दिए गए हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

जी हां।

यह सत्य है कि श्री भुवाल सिंह उत्तर प्रदेश के किसी जिले में मीसा बन्दी नहीं थे वरन् वे महाराष्ट्र प्रदेश में मीसा के अन्तर्गत बन्दी थे। पुलिस कमिश्नर, ग्रेटर बम्बई से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भुवाल सिंह मीसा के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर कब्जा करने और उस पर अनधिकृत रूप से भवन निर्माण करने की कार्यवाही के लिए मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये थे। इससे स्पष्ट है कि वे राजनैतिक आधार पर मीसा में निरुद्ध नहीं किये गये थे। शासन के निदेशानुसार मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों के लिए स्टेट कैरेज परमिटों का कोटा निर्धारित है। निरुद्ध के आदेशों में किसी आधार का उल्लेख न होने के कारण श्री भुवाल सिंह तथा उनके दो आश्रितों ने तथ्यों को छिपाकर तथा गलत सूचना देकर धोखे से संभागीय परिवहन प्राधिकरण वाराणसी से परमिट प्राप्त कर लिये। अतएव इन्हें मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 की धारा–60 (डी) के अन्तर्गत निरस्त करने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण, वाराणसी को परिवहन आयुक्त द्वारा लिखा गया है।

श्री गिरिजा शंकर, भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक खण्ड सुल्तानपुर के विरुद्ध गबन के आरोप

श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम आसरे वर्मा––

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक खण्ड–3, सुल्तानपुर (श्री गिरिजा शंकर) जब व जनपद उन्नाव में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, कृषि बीज भंडार, भगवन्त नगर पर लगभग अट्ठाइस हजार तथा

कृषि बीज भंडार, मायर पर लगभग पैंतीलीस हजार रुपये का गबन किए व कराये तथा जब जनपद बाराबंकी में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तब बफर गोदाम, रायबरेली में एक लाख से अधिक गबन तथा जनपद गाजीपुर के कार्यकाल के दौरान मूंगफली की खरीदारी में घोर अनियमितताएं एव भ्रष्टाचार किये? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? क्या उक्त अधिकारी के अपराधों व भ्रष्टाचारों की जांच सतर्कता विभाग, पुलिस भ्रष्टाचार निवारण संगठन तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखो द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को कुछ विधायकों के अनेकों पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अबतक कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर बीज भंडार पर रुपया 28,252 व पैसे 28 तथा मायर बीज भंडार पर रुपया 45,000 का गबन सम्बन्धित प्रभारियों द्वारा किया गया था। इसके सम्बन्धमें सम्बन्धित प्रभारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही तथा अपराधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद रायबरेली के कार्यकाल में यूरिया के स्टाक की प्राप्ति व भंडारण एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में रुपया 73,949,44 की हानि पायी गयी। इसमें परिवेक्षीय दायित्व निर्धारण हेतु तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी श्री गिरिजा शंकर तिवारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है. जनपद गाजीपुर के कार्यकाल में क्रय किये गये मूंगफली के प्रकरण में पाई गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री तिवारी के विरुद्धकार्यवाही करने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा हे। श्री तिवारी के विरुद्ध माननीय सदस्य श्री हरि केवल प्रसाद के शिकायती पत्र दिनांक 28-11-78 पर प्रारम्भिक जांच करायी जा रही है। जांच निष्कर्ष तथा उस पर लिये गये शासन द्वारा निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

कृषि विभाग के कर्मचारी, श्री एस0 के0 सिंह के विरुद्ध गबन का मुकदमा एवं उनकी पदोन्नति

6--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 को हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाम एस0 के0 सिंह की स्पेशल अपील नं0 2 सन् 1976 के मामले में शासन के पक्ष में फैसला होने के बाद भी श्री एस0के0 कृषिनिरीक्षक को पुनः निलम्बित करने के बजाय उन्हें वर्ग एक में पदोन्नति दे दी गयी है। यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह---

श्री एस0 के0 सिंह को गबन के सन्देह में निलम्बित किया गया था। इसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जो स्वीकृत हो गई। अतः उन्हें बहाल कर दिया गया। शासन द्वारा मामले में स्पेशल अपील दायर की गई जिसमें फैसला शासन के पक्ष में हुआ। श्री सिंह को पदोन्नति के मामले को अपील पर हुये निर्णय के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सका। जिससे त्रुटिवश उन्हें वर्ग--1 में पदोन्नति मिल गई। बाद में जानकारी पर होने उन्हें वर्ग 2 में प्रत्यावर्तित कर दिया गया ।

बीकापुर तहसील, जिला फैजाबाद में अन्त्योदय परिवारों का चयन

7--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में 1978-79 में जनपद की तहसील बीकापुर में आधे से कम ही निर्धारित लक्ष्य के अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया है? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं। बीकापुर तहसील में कुछ 625 आबाद राजस्व गांवों में 3125 अन्त्योदय परिवारों के चयन के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 78-79 में 2026 अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया था जो लक्ष्य का 64.83 प्रतिशत रहा। वर्ष 79-80 में लक्ष्य पूर्ण हो चुका है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिला परिषद्, फैजाबाद की सड़कों के हस्तान्तरण की मांग

8--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

प्रथम सत्र 1979 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं 0 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नगत सड़कों पर किए गए लाखों रुपयों के मिट्टी के काम को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में इन सभी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करके उनके समुचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों और प्रदेश के अन्य जिलों की जिन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया गया है, उनके लिए निर्धारित मा.क क्या था और प्रश्नगत सड़कों के मामलों में क्या कमी है?

श्री बनारसी दास--

जिला परिषदों की उन्ही सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जा सकता है जो जिला स्तरीय प्रगति समीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हो। प्रश्न गत सड़कों के हस्तान्तरण के संबंध में उक्त समिति की अभी संस्तुति प्राप्त नहीं हुयी है अत: इनका हस्तान्तरण संभव नहीं है।

श्री बलराम मिश्रा, प्रभारी, कृषि बीज भण्डार, भौवापुर, गोरखपुर के विरुद्ध गबन का आरोप

9--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बलराम मिश्रा, प्रभारी कृषि बीज भंडार, भोवापार, जनपद गोरखपुर द्वारा उनके कार्यालय में 1971-72 में 22 हजार रुपए का गबन किया गया था? क्या यह भी सही है कि श्री मिश्र को पुन: गबन में दोषी पाये जाने के बावजूद भी बीज भंडार माधवपुर पर नियुक्त किया गया एवं पनियारा बीज भंडार का भी चार्ज साथ-साथ दिया गया, जहां श्री मिश्र द्वारा 33,640 रुपये से अधिक का गबन किया गया? यदि हां, तो पुन: माधवपुर एवं पनियारा में किस अधिकारी द्वारा श्री मिश्र की नियुक्ति की गयी? उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री शिव मंगल सिंह--

श्री बलराम मिश्र, प्रभारी कृषि बीजभंडार भौबापार जनपद गोरखपुर द्वारा वर्ष 1971-72 में 22001.33 रु0 का गबन किया गया था। उसके बाद तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा श्री मिश्र की नियुक्ति माधवनगर बीज भंडार पर की गयी और कुछ समय पश्चात् पनियारा बीज भंडार का चार्ज भी उन्हें साथ साथ दिया गया। उक्त दोनों बीज भंडारों पर भी श्री मिश्र द्वारा 36,189.45 रु0 का गबन किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अधिकारी को दायित्व निर्धारण हेतु जांच कराई जा रही है।

श्री राज बल्लभ यादव, प्रभारी, बीज भण्डार, देबरा, जिला गोरखपुर, के विरुद्ध गबन का आरोप

10--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के पांचवें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ढ़ोबरा बीज भंडार, जनपद गोरखपुर में श्री राजबल्लभ यादव की पुर्नियुक्ति के लिए कौन अधिकारी दोषी था? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह--

ढेबरा बीज भंडार जनपद गोरखपुर में श्री राजबल्लभ यादव की नियुक्ति तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी श्री लेख राम सिंह द्वारा की गयी थी । उनके दायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्त र्गत निर्मित सड़कों को पक्का किये जाने का विवरण

11--श्री रामदत्त जोशी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का काम कराने में कितने मूल्य के खाद्यान्न पारिश्रमिक के रूप में वितरित किए गए और इस प्रकार के अपूर्ण निर्मित सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई में से कितने किलोमीटर मार्गों का पक्का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 30 अप्रैल, 1979 तक कराया जा चुका है और उसका जिलेवार विवरण क्या है ?

श्री बनारसी दास--

वर्ष 1978-79 में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का कार्य तथा अन्य योजनाओं पर कराये गए कार्यों पर 8,92,86,942 रु0 मूल्य का खाद्यान्न श्रमिकों को पारिश्रमिक के रूप में वितरित किया गया तथा निर्मित किए गए सम्पर्क मार्गों को 30 अप्रैल 1979 तक सीलिंग स्तर या उससे ऊपर के स्तर तक 676 किलोमीटर मार्गों को पक्का किया गया । अपूर्ण निर्मित सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 30 अप्रैल, 1979 तक पक्के किए गए मार्गों का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 307 पर)

कृषि बीज भण्डार, कैसरगंज, बहराइच में गबन

12--श्री कमल प्रसाद वर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज गोदाम, कैसरगंज, जनपद बहराइच में लगभग 10,000 रु0 (दस हजार रुपए) कैश सेल में इस वर्ष गबन किया गया है ? यदि हां तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

राजकीय कृषि बीज भंडार कैसरगंज जनपद बहराइच में वर्ष 1978-79 में नकद बिक्री करके 10371.01 रु0 का गबन एवं दुर्विनियोग किया गया है । सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त धनराशि राजकीय कोषागार बहराइच में जमा कर दी गई है । कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है ।

एटा-सहावर-अमापुर-कासगंज तथा कासगंज अमापुर-अपरौली मार्ग पर दिये गये बस के परमिट

13--श्री मानपाल सिंह--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा में अमापुर-कासगंज रोड पर कासगंज अमापुर अथवा अतरौली-अमापुर वाया कासगंज तथा एटा कासगंज वाया अमापुर-सहावर के नाम से सैकड़ों परमिट दिए जा चुके हैं ? क्या यह सही है कि इतनी गाड़ियों के परमिट होने पर भी कासगंज-अमापुर मार्ग पर कुल तीन-चार गाड़ियां चल रही हैं जिससे जनता के यातायात की भारी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

आगरा संभाग में एटा-सहावर-अमापुर-कासगंज तथा कासगंज-अमापुर-अतरौली दो अलग-अलग वर्गीकृत मार्ग हैं जिनमें क्रमश: 12 व 30 बसों की संख्या निर्धारित है तथा 8 एवं 20 स्थायी परमिट वैध हैं और इन्हीं परमिटों से आच्छादित वाहनों का संचालन प्रश्नगत मार्गों पर हो रहा है ।

प्रश्नगत मार्गों के आस-पास की स्थानीय जनता द्वारा यातायात सम्बन्धी किसी प्रकार की असुविधा की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कासगंज-अमापुर मार्ग के भाग पर जो कुल 16 किलोमीटर है उक्त 28 गाड़ियां पास हैं जिनमें से 7 गाड़ियों द्वारा 14 सिंगिल ट्रिप प्रतिदिन नम्बरवार लगाये जाते हैं ।

इलाहाबाद जिले में जर्सी सांड से उत्पन्न बछियों एवं बछड़ों की संख्या तथा कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर सांड की व्यवस्था की मांग

14---श्री अठई राम---

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि इलाहाबाद जनपद में 1977 व 1978 तथा जून, 1979 तक कुल कितनी गायें जरसी बीज से गर्भाधान की गयीं तथा अबतक कुल कितनी बछियां तथा बछड़े जर्सी पैदा हुए? प्रत्येक अस्पताल के विवरण सदन के पटल पर रखेगें?

श्री बनारसी दास---

इलाहाबाद जनपद में वर्ष 1977-1978, 1978-79 तथा 1979-80 में जून 1979 तक जर्सी सांड के बीर्य से गर्भित गायों तथा अनुसरण के उपरान्त उत्पन्न बछियों एवं बछड़ों की संख्या निम्नवत है :---

	1977-78	1978-79	1979-80 जून, 1979 तक
1- गर्भित गायें	8779	8956	2955
2- उत्पन्न बच्चे			
(अ) बछड़े	878	1695	530
(ब) बछियां	763	1496	439

पशु अस्पतालों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर किये गये कृत्रिम गर्भाधान की संस्थावार सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ 308-309 पर)

15---श्री देव कुमार---

क्या यह सही है कि समस्त सांड़ जिले में ही रखे गये है जहां से बीज का सीमन देहात के ब्लाकों अस्पताल में तीसरें दिन पहुंचते हैजिससे बीज खराब हो जात है? यदि हां, तो सरकार हर तहसील के अस्पतालों में सांड़ों को रखकर बीज की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

सांड़ जिले में ही रखे जाते हैं, जहां से प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र को दूसरे या तीसरे दिन वीर्य की पूर्ति चालक्षणुता जांच करके की जाती है जिससे वीर्य खराब होने तथा गर्भधान फेल होने की संम्भावना नही रहती है और वीर्य गर्भाधान के योग्य बना रहता है। सांड़ों को प्रत्येक तहसील के अस्पतालों पर रखकर वीर्य आपूर्ति की व्यवस्था करना व्यावहारिक न होगा क्योकि अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि दो या चार साड़ों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की अपेक्षा वीर्य संग्रह केन्द्र पर अधिक सांड़ रखकर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को वीर्य की आपूर्ति अधिक उपयुक्त रहती है।

श्री राम स्वरूप झा, असिस्टेन्ट एग्रीकल्चर इंजी नियर उप निदेशक (पशुपालन) कार्यालय, लखनऊ की पेंशन

16---श्री देव कुमार---

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री राम स्वरूप झा, असिस्टेन्ट एग्रीकल्चर इन्जीनियर उप निदेशक (पशुपालन) कार्यालय, महानगर लखनऊ को उनकी पेंशन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नही, तो क्यों और भुगतान कब तक किया जायेगा?

श्री लक्ष्मण सिंह---

जी नहीं। पेंशन के भुगतान हेतु आवश्यक आदेश कृषि निदेशक को भेज दिये गये हैं।

जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

17---श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगें कि 31 मार्च, 1978 से 31 मार्च, 1979 की अवधि में फैजाबाद जनपद की किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी धनराशि का विभिन्न प्रकार का निर्माण कार्य जिला परिषद फैजाबाद द्वारा कराया गया है? क्या यह भी सही है कि कुछ विधान सभा क्षेत्रों में ऐसे निर्माण कार्य कराये गयें है जो जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे और विधान सभा क्षेत्रों में जिला परिषदों की सड़कों पर पुलियों पुलों का निर्माण तथा मिट्टी भराई का कार्य अभी तक अर्थाभाव के कारण नही हो सका है? यदि हां तो इस भेदभाव पूर्णनीति को अपनाने के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बनारसी दास---

जिला परिषद फैजाबाद द्वारा विभिन्न विधान सभा क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण संलग्न है।

बीकापुर तहसील में चपरघटा नामक स्थान पर जनता को यातायात में भारी असुविधा थी। वहां के क्षेत्रीय विधायक तथा समस्त गांव सभाओं के प्रधानों के अनुरोध पर जनहित में जिला परिषद द्वारा केवल पाइल ब्रिज बनवाया गया है जो जनपद फैजाबाद में ही स्थित है।

जिला परिषद ने अपनी आर्थिक स्थित के अनुसार जिले के और विधान सभा क्षेत्रों मे विभिन्न निर्माण कार्य कराये है। अतः जिला परिषद द्वारा कोई भेदभाव पूर्ण नीति नहीं अपनाई गयी है। फलस्वरूप किसी के दोषी होने, उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नही उठता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे 310 पृष्ठ पर)

18---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

[3 रें सोमवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले के भीटी--महरुआ मार्ग का दोषपूर्ण निर्माण एवं ठेकेदार को किया गया भुगतान

19--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में जिला परिषद की भीटी-महरुआ रोड पर 1 किलोमीटर पर खड़ंजा लगाने का ठेका एक ठेकेदार श्री वर्मा को दिया था जिन्होंने निकृष्टतम कोटि का पीला ईटा लगा दिया है ? और उनका एग्रीमेन्ट इसी कारण रद्द कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि इसके बावजूद उक्त ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

जी हां । ठेका 20,442.00 रुपये का था पीला ईंटा लगवाने के कारण ठेकेदार द्वारा कराये गये वास्तविक कार्य का मूल्य रु0-13,963-04 होता है। इसमें से केवल रु0-12,199-83 का ही भुगतान किया गया है ।

दोषपूर्ण कार्य के कारण श्री वर्मा का ठेका निरस्त कर दिया गया है तथा उनकी जमानत की धनराशि जब्त करली गई है। चूकि भुगतान वास्तविक कार्य से कम ही किया गया अत: जिला परिषद् का कोई कर्मचारी दोषी नही है ।

फैजाबाद जिले के पहितीपुर-मंशापुर मार्ग को पहुंचाई गयी क्षति

20--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पहितीपुर से मंशापुर मार्ग के 31/2 किलो मीटर पर मिट्टी भराई का काम पूरा हो गया था, लेकिन कुछ अवांछनी तत्वों ने कतिपय राजनैतिक लोगों के संरक्षण में उक्त सड़क के कुछ भाग को गोड़ कर अपने खेत मे मिला लिया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां ।

सर्व श्री राम कुमार, राजमणि, श्याम लाल, सीताराम, राम केदार पुत्र धर्मराज, राम गरीब धर्मराज पुत्र विन्देश्वरी ने दिनांक 26-4-79 को सड़क की मिट्टी काटकर निम्नलिखित व्यक्तियों के खेत में डाल दी है ।

मार्ग के पश्चिमी भाग से

1-गरीव पुत्र केशरी	निवासी	खजूरडीह
2-श्याम लाल पुत्र दुखी	,,	,,
3-राम मिलन पुत्र बलई	,,	,,
4-राम करन पुत्र भरोसे	,,	,,
5-पंचम पुत्र केशरी	,,	,,
6-काली चरन पुत्र खेलावन	,,	,,
7-मनोहर पुत्र ठुन्नी	,,	,,

मार्ग के पूर्वी भाग से

1-राजमनि पुत्र भागी	,,	,,
2-चिथरू पुत्र नोखई	निवासी	औरंग नगर
3-सवई पुत्र नन्हकू	,,	,,

4–बरसाती पुत्र नन्हकू	निवासी	श्रीरंग नगर
5–कलपदीन पुत्र भायी	निवासी	खजूरडीह
6–राजाराम पुत्र गयादीन	,,	,,
7–करम राज पुत्र विन्देश्वरी	,,	,,
8–कालीचरन पुत्र खेलावन	,,	,,
9–झूरी पुत्र गया दीन	,,	,,
10–पंचम पुत्र केशरी	,,	,,
11–धर्मराज पुत्र विन्देश्वरी	,,	,,

खण्ड विकास अधिकारी कटेहरी ने दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश दे दिये हैं ।

कृषि पूर्ति संगठन योजना के तकावी लिपिकों के स्थायीकरण की मांग

21––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि पूर्ति संगठन योजना में 16 वर्षो से कार्यरत तकाबी लिपिकों को स्थायी घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इन तकाबी लिपिकों की छटनी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों और क्या इनके समायोजन की अग्रिम व्यवस्था कर ली गयी है ?

श्री शिव मंगल सिंह––

जी नही, क्यों कि तकाबी लिपिकों के पद अभी स्थायी नहीं हुए हैं। पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इन लिपिकों की छटनी का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

22––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

[तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रण्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित]

निरंजनपुर, जिला सहारनपुर की कृषक सेवा सहकारी समिति के सचालक श्री पृथ्वी सिंह व श्री दुर्जन सिंह पर बकाया धनराशि के विरुद्ध शिकायती पत्र

23––श्री राज कुमार शर्मा––

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि निरजंनपुर जिला सहारनपुर की कृषक सेवा सहकारी समिति के संचालन श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री तुलसी 2,000 रूपये असल के पुराने बकायेदार है तथा श्री दुर्जन सिंह पुत्र श्री जागन 300 रु0 असल व 300 सूद के कर्जदार हैं और ये दोनों समिति के संचालक पद पर सरकार द्वारा मनोनीत हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी हां, प्रश्नगत समिति के श्री पृथ्वी सिंह व दुर्जन क्रमश: रु 2,000 व रु0 300 के बकायेदार हैं समिति के संचालक पद पर निबन्धक द्वारा किया गया उक्त व्यक्तियों का नामांकन निरस्त किया जा चुका है ।

24––श्री राजकुमार शर्मा––

क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने इस शिकायत के पत्र 3–6–78, 29–8–78, 4–10–78, 15–12–78, 27–12–78 तथा 4–2–79 को मंत्री जी को लिखे थे और 30–4–79 को श्री धर्मपाल सिंह, अध्यक्ष कृषक सेवा सहकारी समिति ने इसी शिकायत का पत्र निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को लिखा था ? इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

संदर्भित शिकायती पत्रों की जांच कराई गई थी तथा यह विदित होने पर कि कृषक सेवा सहकारी समिति निरंजनपुर की प्रबन्ध कमेटी में मनोनीत संचालकों में से सर्वश्री पृथ्वी सिंह व दुर्जन बकायेदार हैं इस दोनों संचालकों का मनोनयन निरस्त किया जा चुका है।

जिला पिथौरागढ़ के जिला पशु चिकित्सालय अधिकारी, डा० खुल्बे के विरुद्ध शिकायतों की जांच

25—श्री नारायण सिंह मैसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी (डा० खुल्बे), के कार्य-कलापों की अनियमितता एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों भेड़ पालकों आदि के दस महीने में लगभग 150 स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में पशु विकास सहायकों के जिला संघ द्वारा जनता द्वारा तथा जनपद के समस्त विधायकों द्वारा उक्त डा० खुल्बे के विरुद्ध दिसम्बर, 1978, जनवरी, अप्रैल, मई तथा जून, 1979 में शिकायतें की गयी थी ? यदि हां, तो ये शिकायतें क्या-क्या हैं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? उक्त डाक्टर के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करने का क्या कारण था ? क्या सरकार इनकी शिकायतों की जांच कर दोषी अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां। अन्य शिकायतों में डा० खुल्बे के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे:—

1—कर्मचारियों को समय पर वेतन न दिया जाना।
2—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अनावश्यक स्थानान्तरण करना।
3—श्री नारायण सारकी, पशुधन विकास सहायक का छः माह के अन्दर 3 बार स्थानान्तरण करना।
4—श्री हर्ष सिंह धनिक, पशुधन विकास सहायक को भेड़ पालन प्रशिक्षण में दो बार भेजना।
5—जिला पशुधन अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने लाभ हेतु सांड़ों का क्रय करना।
6—कुक्कुट निरीक्षक विष द्वारा जाली रसीद बनाया जाना।

उक्त शिकायतों की जांच उप निदेशक पशुपालन, नैनीताल द्वारा कराई गई थी। सभी शिकायतें निराधार पाई गई।

सहायक विकास अधिकारी, श्री राम सिंह भाकूनी, जिला पिथौरागढ़ का स्थानान्तरण

26—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी (कृषि) (श्री राम सिंह भाकूनी) जनपद पिथौरागढ़ के 8 नवम्बर, 1978 से मई, 1979 अर्थात् 7 माह में 5 बार स्थानान्तरण आदेश किए गये थे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अकबरपुर–गौहनियां मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में जिला परिषद् की अकबरपुर-गौहनियां रोड के 4 किलोमीटर पर मण्डी समिति अकबरपुर द्वारा मिट्टी भराई का काम

किया गया है, लेकिन उस पर सोलिग का काम केवल इसलिये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार-बार के अनुरोध के बावजूद आज तक मण्डी समिति अकबरपुर ने सोलिग के लिये पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रान्सफर नहीं किया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिये कौन दोषी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त सड़क पर सीलिग का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह---

जनपद फैजाबाद में जिला परिषद् की अकबरपुर-गौहनियां रोड के 4 किलोमीटर पर मंड़ी समिति अकबरपुर, द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया गया है किन्तु मण्डी समिति अकबरपुर द्वारा प्रश्नगत कार्य में खंडजा लगाने हेतु चयनित नहीं किया गया है ।

खण्ड विकास अधिकारी, मलिहाबाद के विरुद्ध आरोप-पत्र

28---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के मलिहाबाद के ग्रामसेवक संघ ने मलिहाबाद के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार 300 रु0 प्रति कन्टल की दर से लेने, सीमेन्ट की चोर बाजारी, श्रमिको कों अन्न वितरण में धांधली के आरोप पत्र जुलाई, 79 के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी, लखनऊ को दिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करवायी गयी है ? क्या आरोप सत्य पाये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसीदास---

जी हां, शिकायती पत्र की जांच अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) लखनऊ द्वारा करायी गयी लेकिन कथित आ ोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

पशु चिकित्सकों का स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता

29---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी---

क्या पशुपालन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में कितने पशु चिकित्सक सेवारत हैं ? उनमें से कितनों की स्थानान्तरण जून-जुलाई, 1979 में किया गया है ? इन डाक्टरों के स्थानान्तरण मे कितना धन उन्हें, यात्रा भत्ता हेतु दे दिया गया है और कितना शेष है ? क्या इतने बड़े पैमाने मे गत 10 वर्षों में कभी स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां तो, कब ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

पशुपालन विभाग मे 1415 पशुधन विकास अधिकारी सेवारत है। इनमें से जून-जुलाई 1979 में 450 पशु चिकित्सकों का स्थानान्तरण किया गया था, जिनमें 183 स्थानान्तरण निजी प्रार्थना पर थे एवं 267 स्थानान्तरण जनहित में हुये हैं । जनहित मे किये गये स्थानान्तरण पर हुये यात्रा भत्ते के व्यय की धनराशि की सूचना तथा गत 10 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किये जाने की सूचना एकत्र करने मे अत्याधिक समय और व्यय निहित है जो इससे होने वाले लाभ की अपेक्षा अधिक होगा । इसलिये यह सूचना एकत्र करना वांछित नहीं प्रतीत होता ।

कानपुर, कृषि विश्वविद्यालय के डाक्टर हरगोविन्द सिंह का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

30---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी---

क्या कृषिमन्त्री बतलाने की कृपा करेगें कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि डाक्टर हरगोविन्द सिंह, कानपुर विश्वविद्यालय में पादप प्रजनन विभाग के अध्यक्ष पद पर सेवारत

[श्री गिरीशचन्द्र तिवारी]

हैं, जबकि 1974 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उन्हे उक्त पद के लिये अयोग्य घोषित किया था ? यदि हां, तो उन्हे उक्त पद पर क्यों रखा जा रहा है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सहकारी बैंक, एटा के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

31--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एटा जनपद में अनेक सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायतों की रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1975 को कोतवाली एटा में मूलराज सिंह, सीनियर आडिटर स्पेशल इन्वेस्टीगेशन ब्रांच, कोआपरेटिव ने लिखाई थी ? उस रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा करवाई गई और अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री मूलराज सिंह सीनियर आडिटर, पुलिस की विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) द्वारा दिनांक 30-11-75 को जो रिपोर्ट, कोतवाली कासगंज में लिखायी गयी थी वह जिला सहकारी बैंक लि0, एटा के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध थी । उसकी जांच विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) आगरा मंडल आगरा द्वारा की जा रही है, और मामला पुलिस विवेचना के अन्तर्गत है । श्री मूलराज सिंह द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप बैंक का संचालक मण्डल निवन्धक, सहकारी समितियां द्वारा भंग कर दिया गया तथा सचिव श्री बी0बी0 पाण्डेय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर के पश्चात् उन्हें अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।

डा0 जय कृष्ण, पशुधन विकास अधिकारी एवं जिला पशुधन अधिकारी, जिला बदायूं के विरुद्ध शिकायत-पत्र की जांच

32--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी--

क्या पशुधन विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी मिली है डा0 जयकृष्ण, पशुधन विकास अधिकारी पशु चिकित्सालय बदायूं के विरुद्ध दिनांक 26 दिसम्बर, 1979 को भूसा खरीद में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री प्रमोदकुमार अध्यक्ष, भारत सेवक समाज द्वारा भेजी गयी शिकायतें मिली है और उसकी जांच रिपोर्ट 22 फरवरी, 1979 को उपनिदेशक, पशुपालन, बरेली को भेज दी गयीं हैं ? यदि हां, तो अभी उक्त डाक्टर के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जी हां । एक भूसा विक्रेता द्वारा न्यायालय में वाद ले जाया गया है अतः न्यायालय के अंतिम निर्णय तक शासकीय निर्णय स्थगित रखा गया है तथा जिला पशुधन अधिकारी तथा पशुधन विकास अधिकारी, बदायूं का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

33--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस शिकायत के अतिरिक्त कितनी अन्य शिकायतें अक्तूबर, 78 से मार्च, 1979 तक उक्त डाक्टर की मिली है ? क्या यह भी सही है कि 2 जनवरी, 1979 को तथा 23 फरवरी, 1979 को डी0 पी0 ओ0, बदायूं ने निदेशक और उप निदेशक को पत्र लिखे थे ? क्या इस मामले की भी जांच करवायी गई है और अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

उक्त अवधि में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा डीं0 पी0 ओ0 बदायूं के पत्र भी प्राप्त हुये । उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी और प्रथम दृष्टि में निम्नलिखित 3 आरोप प्रमाणित पाये गये हैं :—

(1) श्री राम सहाय भूसा ठेकेदार को परेशान करना ।

(2) दीपावली के दिन चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जुआ खेलने देना ।

(3) 15–2–79 को भौतिक सत्यापन के समय 2 कुन्टल भूसा अधिक पाया गया था जिसकी प्रविष्ट स्कन्ध पुस्तिका में नहीं थी ।

इनके संदर्भ में संबंधित पशुधन विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

आल इंडिया टूरिस्ट परमिट प्राप्त नागालैण्ड की बस का गोरखपुर में चलाना

34—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में 25 प्राइवेट बसेज जिनके आल इंडिया टूरिस्ट परमिट नागालैन्ड बिना गाड़ियां ले जाते हुये हासिल कर लिये हैं जिससे कि प्रदेश को यात्री-कर, बीमा-कर तथा अतिरिक्त-कर तथा पथ-कर की भारी हानि हो रही है ? क्या गोरखपुर के अन्दर इन गाड़ियों के चालान हुये हैं जिनका नम्बर एन0 एल0 के0 7346 है ? यदि हां, तो इन अनधिकृत रूप से उत्तर प्रदेश में चलाये जाने वाली गाड़ियों को रोके जाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं ।

आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट पर चलायी जाने वाली बस संख्या एन0 एल0 के0 7346 के गोरखपुर संभाग में अनियमित संचालन के संबंध में तीन चालान किये गये और इसके परमिट के विरुद्ध धारा-60 की कार्यवाही करने हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण नागालैन्ड को लिखा गया है । चेकिंग अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अनियमित रूप से चलने वाली ऐसी वाहनों की कड़ाई से चेकिंग करें तथा नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करायें ।

परियोजना अधिकारी कृषि, श्री लेखराम सिंह, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र

35—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि बस्ती, जिले के परियोजना अधिकारी कृषि (श्री लेखराम सिंह) के विरूद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन संबंधी गम्भीर आरोपों के संबंध में लगभग दो दर्जन विधायकों ने तथा प्रश्नकर्ता ने कई बार लिखकर दिया है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक कितने आरोप लगाये गये और उनमें कितने आरोप सही साबित हुये ?

श्री शिव मंगल सिंह—

बस्ती जिले के परियोजना अधिकारी (श्री लेखराम सिंह) के विरूद्ध भ्रष्टाचार तथा गवन सम्बन्धी आरोपों के बारें में कई विधायकों ने तथा प्रश्नकर्ता ने शिकायती-पत्र भेजें हैं । शिकायतों की जांच की जा रही है ।

श्री लालू, ग्राम खम्भौर, जिला गोरखपुर को भूमि विकास बैंक द्वारा दिया गया ऋण एवं पम्पिग सेट की खरीद

36--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा खम्भौरा टोला बिजरिया, ब्लाक निचलौल, जिला गोरखपुर के लालू आत्मज श्री प्रेमा के नाम पम्पिग सेट खरीदने हेतु भूमि विकास बैंक महाराज गंज द्वारा जो ऋण रुपये 3,265 का दिया गया था उस चेक को मान्यता प्राप्त दुकानदार देवी प्रसाद निचलौल द्वारा घटिया कम्पनी का सेट देने पर काश्तकार ने लेने से इन्कार किया था और उस काश्तकार को आज पम्पिग सेट नहीं मिला ? भूमि विकास बैंक एवं शासन में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1978 में बार बार लिखने के बावजूद भी पम्पिग सेट दिलवाने की कोई कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री लालू आत्मज श्री प्रेमा ग्राम खम्भौरा ब्लाक निचलौल जिला गोरखपुर ने इंजन क्रय करने हेतु रुपये 3 हजार 2 सौ 65 का ऋण लिया था तथा श्री लालू ने स्वेच्छा से मेसर्स विशुन एग्रीकल्चर मशीनरी स्टोर मड़ौरा से फार्मर इन्जन दिनांक 4-10-78 को क्रय कर लिया। तत्पश्चात श्री लालू ने भूमि विकास बैंक की शाखा महराजगंज को लिखित रूप से यह सूचित किया कि उनके द्वारा क्रय किये इंजन के खराब होने के कारण उन्होंने अपनी इच्छानुसार उक्त फर्म से दूसरा फार्मर इंजन बदलकर प्राप्त कर लियाहै। बैंक में शिकायत प्राप्त होने पर जब जांच की गयी तो यह पाया गया है कि (फार्मर) इंजन नं0 78750111 श्री लालू के पास है ऐसी दशा में कोई अग्रिम कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

भूमि विकास बैंक, महराजगंज, गोरखपुर, द्वारा पम्पिग सेट हेतु काश्तकार को दिया गया ऋण

37--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, महराजगंज गोरखपुर द्वारा काश्तकारों को ऋण द्वारा पम्पिग सेट काश्तकारों को दिये जाते हैं उस धनराशि को मान्यता प्राप्त दुकानदारों के यहां से पम्पिग सेट आदि क्रय करने पर घटिया किस्म का पम्पिग सेट खुले बाजार की दरों से 1 हजार रुपया अधिक का कैश मेमों बनाकर काश्तकार को सामान आवंटित कराया जाता है ? जबकि अनुबन्ध में अंकित सामानों को ही बैंक मैनेजर द्वारा अपने सामने दिलवाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो बैंक मैनेजर द्वारा काश्तकारों को अच्छे कम्पनियों का सही मूल्य पर पम्पिग सेट काश्तकारों को न आवंटित कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। किसानों को अच्छी किस्म का इंजन दिलाने के लिये उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा आई0 एस0 आई0 मार्क इंजनों को निर्धारित मूल्य पर ही क्रय करने के लिये ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका भुगतान विक्रेता फर्म को आपूर्ति किये जाने के बाद किसान के लिखित सहमति पर किया जाता है, अतः उक्त बैंक द्वारा घटिया किस्म के इंजनों के सप्लाई कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगन, ग्राम बजहा, जिला गोरखपुर द्वारा साधन सहकारी समिति से लिये गया ऋण

38--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति बजहा उर्फ अहिरौली, ब्लाक निचलौल, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1975-76 में जो रबी खरीफ पर ऋण दिया गया

था उसमें श्री जगन पुत्र श्री मुखराज को जो ऋण दिया गया उसकी वसूली 23 जनवरी, 1977 को रसीद नं0 031/42 द्वारा हो चुकी है जिसकी पोस्टिंग न होने के कारण काश्तकार से बकाया धन की वसूली के साथ ही साथ खाता बेबाक होने पर भी ऋण नहीं दिया जा रहा है ? प्रश्नकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में 21 जनवरी, 1979 को लिखित शिकायत करने पर भी बकाया धनराशि की वसूली किये जाने के कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कुर्क अमीन द्वारा 23-1-77 को रसीद नं0 031/42 द्वारा श्री जगन पुत्र श्री सुखराम ग्राम बजहा सदस्य साधन सहकारी समिति बैठवलिया से वसूल की गयी लेकिन न्याय पंचायत स्तरीय समितियों के गठन के समय उक्त ग्राम बजहा न्याय पंचायत स्तरीय समिति बढ़या में विलीन कर दी गई और कुर्कअमीन द्वारा श्री जगन से वसूल की गयी धनराशि बैठवलिया साधन सहकारी समिति के खाते में बैंक में जमाकी गई। समितियों के खाते के हस्तान्तरण के समय श्री जगन से वसूल न हो सकी थी अत: उनका नाम नये समिति में बकायादार के रूप में रहा जिसे अब बैंक एवं समिति दोनों जगह ठीक करा दिया गया है और अब श्री जगन को कोई शिकायत भी नहीं है तथा ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं।

आयुक्त गण्डक समादेश, गोरखपुर, में अनुसूचित जाति एवं हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लिपिकों की नियुक्ति

39--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त गण्डक समादेश, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1978-79 में रिक्त पदों पर आरक्षण नीतियों की अवहेलना करते हुए, लिपिक पद पर जो नियुक्ति की गयी है उसमें हरिजन अनुसूचित अल्प संख्यक एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अनुपात में नियुक्त करने की उपेक्षा का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वर्ष 1978-79 में आयुक्त, गण्डक समादेश गोरखपुर द्वारा हरिजन, अनुसूचित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्त करने में आरक्षण नीतियों की अवहेलना एवं उपेक्षा नहीं की गई क्योंकि उक्त अवधि में कुल 7 लिपिकों के पदों पर नियुक्तियां की गई जिनमें से 2 हरिजन, 3 अनुसूचित जाति तथा 2 पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी नियुक्त किये गये।

आगरा जिले में कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति

40--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद आगरा को चालू खरीफ की फसल के लिए कीटनाशक दवाएं दी गयी है ? यदि हां, तो कीटनाशक दवाओं के वितरण की क्या योजना है और क्या उन दवाओं पर किसान के लिए अनुदान का अंश है और कुल कितने रुपए की दवाएं भेजी हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन उत्पादन योजना के अन्तर्गत दलहनी फसलों पर कीट रोग के निवारणार्थ-कृषकों को प्रयुक्त रसायन के मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 30 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय था। आगरा जनपद में सूखे के कारण खरीफ में दलहनी फसलों पर किसी कीट अथवा रोग का विशेष प्रकोप नहीं था, फलस्वरुप अनुदान के आधार पर कोई नियंत्रण कार्य कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

अन्य फसलों पर नियत्रण कार्य रसायन के पूर्ण मूल्य का नकद भुगतान लेकर किया गया। आगरा जनपद में जून, 1979 को रु0 2,85, 276 के कीट/रोग नाशक रसायन उपलब्ध थे। खरीफ की फसलों पर नियत्रण कार्य हेतु रु0 57, 671 के रसायनों का प्रयोग किया गया जिससे 19,017 हेक्टेयर क्षेत्र पर नियत्रण कार्य सम्पादित कराया गया।

सहकारी बैंक, बाराबंकी में गबन

41—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी बैंक बाराबकी, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 में गबन का मामला पकड़ा गया था? यदि हां, तो यह गबन कितनी धनराशि का था कौन-कौन व्यक्ति इन गबन से सम्बन्धित थे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, यह गबन 6,84,935 33 रुपये की धनराशि का था। इस गबन से जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी की शाखा कुर्सी रामसनेही घाट, मवई, फतेहपुर बड़ागांव रुदौली तथा कोठी के शाखा प्रबन्धक एवं श्री उमाकान्त भू0पू0 सभापति तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी सर्वश्री नरेश सिंह, कृपा राम, गंगा प्रसाद मिश्र, सब्बीर अहमद तथा मोमती प्रसाद सम्बन्धित थे। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में जनवरी 1978 से जनवरी, 1980 तक 13 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी हैं। बैंक प्रबन्धक द्वारा दोषी कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है। उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही हेतु आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं।

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर में भ्रष्टाचार की जांच

42—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में सहकारी बैंक तथा उपभोक्ता भंडार, सीतापुर में कुछ भ्रष्टाचार की जांच वर्ष 1978–79 से चल रही है? यदि हां, तो भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिला सहकारी बैंक सीतापुर में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त एक शिकायती पत्र की जांच जुलाई 1979 से की जा रही है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर बैंक के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण किया गया। अध्यक्ष के स्पष्टीकरण का परीक्षण किया जा रहा है। तदोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार सीतापुर के भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं चल रही है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि विकास बैंक, मौदहा, जिला हमीरपुर के मैनेजर श्री जगदीश नरायन चतुर्वेदी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

43—श्री देवकुमार—

क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक, मौदहा, जिला हमीरपुर के मैनेजर (श्री जगदीश नरायन चतुर्वेदी) के विरुद्ध मौदहा निवासी श्री जुबैर अहमद एडवोकेट द्वारा भ्रष्टाचार सम्बन्धी दी गयी शिकायती दरखास्त पर रीजनल मैनेजर झांसी द्वारा 19 अक्तूबर, 1978 को जांच की गयी? और क्या आरोप सही पाए गए थे? यदि हां, तो उक्त जांच क आधार पर उक्त मैनजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। बैंक के रीजनल मैनेजर ने जांच की और शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध कुछ अनियमिततायें पाई जिसके आधार पर बैंक द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री धर्मराज सिंह सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम, वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

44--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम, वाराणसी श्री धर्मराजसिंह के खिलाफ वाराणसी के कर्मचारियों ने खुला पत्र माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय परिवहन मंत्री के नाम हजारों की तादाद में निकाला है और उसे अध्यक्ष राज्य सड़क परिवहन निगम एवं माननीय परिवहन मत्री राज्य परिवहन मंत्री आदि लोगों को भेजा है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या प्रश्नकर्ता ने राज्य मंत्री परिवहन विभाग को जुलाई के दूसरे सप्ताह में अपने पत्र के साथ उक्त खुले पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक वाराणसी के बारे में प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

राज्य मत्री (परिवहन) को भी यह पत्र प्राप्त हुआ है।

इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगें

45--श्री नारायण सिंह भैसोरा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा कई दिनों से अपनी मांग के सम्बन्ध में गत कई महीनों से धरना अनशन किया जा रहा है? यदि हां, तो उनकी मांग क्या-क्या हैं? और उनकी मांगें मानने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार का अनशन एवं धरना आदि का कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किया गया था। कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है :--

1--9.5 प्रतिशत की दर से अनुग्रह भुगतान।
2--परिवहन निगम के संचालन मण्डल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि का सम्मिलित किया जाना।
3--धुलाई भत्तों में वृद्धि।
4--दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रचलित दरों में भुगतान।
5--कर्मचारियों का स्थायीकरण।
6--सेवा शर्तों का बनाया जाना।

जिला परिषद्, फैजाबाद के सदस्यों का कथित मनोनयन

46--श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, जिला परिषद् में कितने सदस्य सन् 1978-79 में मनोनीत किए गए और किन-किन सदस्यों की संस्तुति पर?

श्री बनारसी दास---

वर्ष 1978-79 में जिला परिषद् अवक्रमित थीं। अतः सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न हीं नहीं उठता।

क्षेत्रीय विकास अधिकारी, ब्लाक भरथना, इटावा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

47---श्री अठई राम---

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्षेत्रीय विकास अधिकारी ब्लाक भरथना जनपद इटावा के खिलाफ माह जुलाई सन् 1979 में विधायकों द्वारा शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

जी हां---

शिकायतों की जांच की गई। जांच के दौरान कोई आरोप सिद्ध होना प्रतीत नहीं हुआ।

क्षेत्रीय संगठनकर्ता के पद हेतु कथित साक्षात्कार

48---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि 16/17 मई, 1979 को क्षेत्रीय संगठनकर्ता के 50 पदों हेतु शारीरिक परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया गया ? यदि हां, तो उक्त चयन में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कितने अभ्यार्थी लिए गए ? यदि नहीं लिए गए तो उसके क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर व्यय की गयी धनराशि

49---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि इस वर्ष विभाग से एक जिले में रहने की अवधि अकस्मात ही 6 वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष की करके लगभग 10 हजार कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए हैं और स्थानान्तरण व्यय पल्लेदारी व्यय में लगभग एक करोड़ रुपया व्यय हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह शासन की अनुमति से हुआ है, यदि नहीं, तो इस व्यय के लिए उत्तरदायी कौन है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

स्थानान्तरण जनपद, मण्डल तथा निदेशालय स्तर से किये जाते हैं। इस वर्ष कितने स्थानान्तरण हुये और उन पर कितना व्यय हुआ, इस की सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मोहम्मद यासीन लिपिक, परियोजना अधिकारी, कृषि कार्यालय, बस्ती का स्थानान्तरण

50---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री मोहम्मद यासीन लिपिक परियोजना अधिकारी (कृषि) कार्यालय बस्ती का स्थानान्तरण सतर्कता विभाग की संस्तुति पर दिसम्बर, 1978 में उप कृषि निदेशक गोरखपुर द्वारा किया गया था ? क्या यह भी सही है कि श्री यासीन को अभी तक बस्ती से कार्य-मुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन्हें कार्य-मुक्त न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

श्री मोहम्मद यासीन लिपिक परियोजनाधिकारी (कृषि) कार्यालय बस्ती का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर दिनांक 12-1-79 को किया गया था। श्री यासीन को बस्ती से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

हरिजन पेय जल योजना के अन्तर्गत कूपों का निर्माण

51---श्री बुद्धु राम (जिला आजमगढ़)---

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल कूप योजना के अन्तर्गत अब तक कितने कूपों का निर्माण किया गया और अब तक कितना पैसा खर्च किया गया ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कूपों की खांखर खोद कर छोड़ दिया गया है अभी तक कोई कार्य आगे नहीं हुआ तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

ग्रामीण हरिजन पेय जल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 से 1979-80 के माह नवम्बर तक 45,622 कूप/डिग्गी/हैंड पम्प के लक्ष्य के विपरीत 32,448 कूपो/डिग्गी/हैंड पम्प पूर्ण निर्मित हो चुके हैं तथा 6,973 कूप/डिग्गी/हैंड पम्प निर्माणाधीन हैं।

इन निर्माण कार्यों पर माह नवम्बर, 1979 तक रु0 12,05,27,810.41 पैसे व्यय हो चुके हैं।

जैसे-जैसे निर्माण सामग्री उपलब्ध हो रही है वैसे-वैसे कूपों का निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है।

ग्राम सभा, अटेसुआ, जिला लखनऊ में खड़ंजा लगाने के संबंध में शिकायती-पत्र

52---श्री हरिकेवल प्रसाद---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अटेसुवा, विकास खण्ड बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में खड़ंजा निर्माण योजना के अन्तर्गत दिनांक 26 सितम्बर, 1978 को खड़ंजा लगाने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या यह निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को इस विषय में उक्त ग्राम सभा के प्रधान ने दिनांक 25-5-78 व 28-9-78 व 5-12-78 तथा माह जुलाई, 1978 को उप विकास आयुक्त, लखनऊ को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बनारसी दास---

जी हां।

ग्राम सभा अटेसुवा, विकास खंड बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ को खड़ंजा लगवाने हेतु अनुदान इसलिए स्वीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि ग्राम सभा के पास खड़ंजा लगवाने हेतु अपना 50 प्रतिशत अंशदान देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी।

प्रधान द्वारा जो शिकायती पत्र इस संबंध में दिये गये उनकी जांच उप विकास आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा की गई। उन्होंने संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) को इस संबंध में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का दोषी पाया है तथा इन्हें जनपद लखनऊ के बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये गये हैं।

गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर दिये गये बस-परमिट

53--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय बस परमिट किन-किन लोगों को दी गई है उन परमिट होल्डरों में से यू0 टी0 ए0 9057, 9096 के मालिकों द्वारा राष्ट्रीय बस परमिट के सरायतों के विपरीत गोरख पुर से नौतनवा-सोनौली मार्ग पर प्रतिदिन 65 कि0 मी0 की दूरी प्राइवेट बसों की तरह हर स्टेशनों पर रुकते हुए सवारी उठाते हुए चलाए जाने का कारण क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रश्नगत अवधि में गोरखपुर रीजन में दो राष्ट्रीय बस परमिट सर्व श्री देवेन्दर सिंह तथा गोरखपुर स्माल बस ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को ओमनी बस सं0 9057 व 9065 के लिये जारी किये गये हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर की सूचना के अनुसार गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर उक्त बसों को कई बार चेक किया गया परन्तु ऐसा कभी नहीं पाया गया कि ये बसें स्टेज कैरेज की तरह हर स्टेशनों पर रुकते हुए सवारियां उतारते व चढ़ाते चल रही हों।

सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, मत्स्य, बरेली के लेखा का सम्परीक्षण

54--श्री रामफेर कोरी (जिला सुल्तानपुर)--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निदेशक, मत्स्य, बरेली/उप निदेशक, मत्स्य, बरेली के वर्ष 1970-71 से 1975-76 तक के लेखा सम्परीक्षण के समय विभागीय सम्परीक्षकों ने मत्स्य प्रक्षेत्र ढेला, अहर एवं सैदपुर, बदायूं के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आई ? यदि हां, तो अनियमितताएं/आपत्तियां कितनी धनराशि से सम्बन्धित हैं और क्या अनियमितताओं/आपत्तियों का निस्तारण हो गया ? यदि हां, तो अनियमितताओं/आपत्तियों के लिए किसे दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मत्स्य प्रक्षेत्रों द्वारा मछली का उत्पादन

55--श्री मन्नूराम--

क्या पशुधन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र कहां-कहां स्थापित है और इन मत्स्य प्रक्षेत्रों द्वारा वर्ष 1977-78 में कितना मछली का उत्पादन हुआ ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

प्रदेश में 108 मत्स्य प्रक्षेत्र 43 जनपदों में स्थित है जिनमे से वर्ष 1977-78 में केवल 54 प्रक्षेत्र उपयोग में लाए गये इन मत्स्य प्रक्षेत्रों से वर्ष 1977-78 में कुल 43.82 कुन्तल मछली का उत्पादन हुआ। बाकी 54 प्रक्षेत्र बाढ़ ग्रस्त होने, बंधे कट जाने आदि के कारण अनुपयोगी रहे।

मत्स्य विभाग द्वारा निजी मत्स्य पालकों को दी गयी नाव व जाल की सुविधा

56--श्री मन्नू राम--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग द्वारा निजी मत्स्य पालकों जो किराए पर जाल व नाव उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो कौन-कौन जनपदों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराई गयी तथा उससे कितनी आय विभाग जो प्राप्त हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मत्स्य विभाग द्वारा निजी मत्स्य पालकों की जाल एवं नाव निर्धारित दरों पर किराये पर दिये जाने की सुविधा का प्राविधान है।

प्रदेश के झांसी व बरेली मंडल के जनपदों में जाल व नाव किराये पर दिये गये जिससे विभाग जो कुल रु0 110 की आय प्राप्त हुई।

मत्स्य निदेशालय के अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

57—श्री मन्नूराम तथा श्री छोटेलाल निर्भय (जिला जौनपुर)—

क्या पशुधन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मत्स्य निदेशालय लखनऊ में कौन-कौन अधिकारी (उप निदेशक, मत्स्य नियोजन तथा लेखा अधिकारी) दिनांक 25 मार्च, 1978 से विगत 5 वर्षों से अधिक समय से लखनऊ में कार्यरत हैं? इनकी इस लम्बी अवधि से लखनऊ में ही बने रहने का क्या कारण है? क्या तत्कालिन मंत्री तथा ए0 पी0 सी0 ने इन्हें हटाने के आदेश दिए थे? यदि हां, तो उन्हें अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

श्री लक्ष्मण सिंह—

दिनांक 25–3–78 से विगत पांच वर्षों से अधिक अवधि से मत्स्य निदेशालय में निम्नलिखित अधिकारी (उप निदेशक मत्स्य नियोजन तथा लेखा अधिकारी) कार्यरत हैं :—

1—श्री के0 डी0 पाण्डेय, उप निदेशक मत्स्य (नियोजन)।

2—श्री जी0 एस0 टण्डन, लेखा-अधिकारी।

1—श्री के0 डी0 पाण्डेय दिनांक 1–6–71 से सहायक निदेशक मत्स्य (नियोजन) के पद पर पदस्थ थे। सहायक निदेशक मत्स्य (नियोजन) के पद को शासन द्वारा उच्चीकृत कर दिये जान के पश्चात् उप-निदेशक मत्स्य (नियोजन) के पद पर दिनांक 18–9–78 से उन्हें पदासीन कर दिया गया है। उप-निदेशक (नियोजन) का पद मुख्यालय के लिये ही है। अतः इन्हें कार्य की महत्ता को दृष्टि से लखनऊ में ही रखा गया है।

2—मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 में लेखा अधिकारी का एकमात्र पद है तथा श्री जी0 एस0 टन्डन वर्ष 1966 से इस पद पर कार्यरत है। श्री टंडन इस पद पर स्थाई है अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है।

तत्कालीन मंत्री तथा ए0 पी0 सी0 द्वारा इन्हें हटाने का कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये थे।

58—श्री मन्नू राम तथा श्री छोटेलाल निर्भय—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

59—श्री छोटे लाल निर्भय—

(3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

गोरखपुर जिले के कतिपय विकास खण्डों के कर्मचारियों का कार्यकाल

60—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ीराम, ब्रह्मपुर, सरदार नगर एवं खोराबार, बासगांव में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार 10 साल से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, उसका क्या आधार है? क्या शासन नियमानुसार उनके स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बनारसी दास—

जनपद गोरखपुर के विकास खंड कौड़ीराम तथा ब्रह्मपुर में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है। सरदारनगर में 5, खोराबार में तथा बांसगांव में 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार 10 वर्ष से एक स्थान पर सेवारत है। इन कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्य सुचारुरूप से सम्पादित किया जा रहा है अतः इनको स्थानान्तरण करने की आवश्यकता शासकीय हित में प्रतीत नहीं हुई।

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विधान सभा के सामने सदस्यों एवं पत्रकारों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न पहले लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले नियम 301 की सूचना लेता हूं। उसके बाद औचित्य का प्रश्न लूंगा।

*श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, 26 जनवरी को विधान सभा के सामने न विधायकों को सीट दी गई, न प्रेस वालों को सीट दी गई, और न स्वतंत्रता सेनानियों को बैठने के लिए सीट दी गई। जिन्होंने यह व्यवस्था की है उनके खिलाफ कार्यवाही करें.....

श्री उपाध्यक्ष—

मानसिंह जी, आप इस तरह से न बोला करें।

श्री मानसिंह आजाद—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बठें (व्यवधान) यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री मानसिंह आजाद—

मैं नहीं बैठ सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको सदन से निष्कासित कराऊंगा। आप कृपया बैठिये।

श्री मान सिंह आजाद—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—]×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मान सिंह आजाद––

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष––

आप कृपया सदन छोड़ दें ।

श्री मान सिंह आजाद––

मैं नहीं छोड़ता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, माननीय मानसिंह जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, कृपया आप उन्हें सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

बजाय इसके कि मैं आपको बलपूर्वक निकलवाऊं, आप सदन छोड़ दें ।

(इसके उपरान्त भी श्री मानसिंह आजाद हांथ में झंडा लिये हुये 'भारत माता की जय हो' के नारे लगाते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष––

मार्शल, माननीय मानसिंह आजाद को सदन के बाहर निकाले ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, माननीय मानसिंह आजाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं । इससे कैसे काम चलेगा ? इस समय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं उनसे आप बयान दिलवा दीजिये ।

(मार्शल माननीय मानसिंह आजाद को सदन से बाहर ले गये । बाहर जाते समय श्री आजाद नारे लगा रहे थे ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, यह बड़ी ही चिन्ताजनक बात है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय विधायकों और पत्रकारों के बैठने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप बैठिये । मैंने पहले ही कहा था कि पहले मैं नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें लेना चाहता हूं । आपने जब पहले कहा तो मैंने कहा था कि मैंने पहले नियम 301 की सूचनायें लूंगा और उसके बाद औचित्य का प्रश्न लूंगा जैसा कि सदन में परम्परा है । अतः अब मैं नियम 301 की सूचनायें लेता हूं ।

उत्तर प्रदेश कें कृषि विभाग की चयन समिति द्वारा कृषि सेवा–1 में अनुसचित जाति व पिछड़े वर्ग के पदोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)––

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, अति लोक महत्व की सूचना आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । नवम्बर सन् 1978 में कृषि विभाग की चयन समिति ने 4 अनुसूचित जाति के

नोट––[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रणवीर सिंह]

तथा 3 पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की उत्तर प्रदेश कृषि सेवा-2 से कृषि सेवा–1 में पदोन्नति हेतु अनुमोदन किया था किन्तु कुछ व्यवधानों के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण में 5 रिटें (10 वर्ष सेवाकाल व स्थायीकरण का बहाना लेकर पात्रता क्षेत्र के रूप में) करायी गयीं। जिन पर न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश दिया था कि पिछड़ी वर्ग व अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति की जा सकती है।

मान्यवर, स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक भिन्न-भिन्न पदोन्नतियों में उल्लिखित दोनों ही माप दंडों की दृष्टिगत नहीं किया गया है जो कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारियों के लिये ही क्यों किया जा रहा है। यहां यह विचारणीय है कि विभाग में अभी भी अस्थायी अधिकारी श्रेणी–1 में कार्य कर रहे हैं। यद्यपि यह सभी श्रेणी–2 में स्थायी नहीं है। अतः आपसे बिनम्र निवेदन है कि 17–11–78 की अनुमोदित अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारी तैनाती के आदेश अतिशीघ्र निर्गत करवाने हेतु समुचित व्यवस्था करवाने का कष्ट करें तथा कृषि मंत्री जी को यह भी निर्देश दे कि अतिशीघ्र सदन के संज्ञान में एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण बृतान्त रखने का कष्ट करें ताकि सम्पूर्ण अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों एवं अधिकारियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सके तथा शासन द्वारा पारित आदेशों का पालन हो सके।

डीजल के अभाव के कारण बस्ती जनपद में असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

बस्ती जनपद में लगभग एक माह से किसानों, अस्पतालों की एम्बूलेन्स गाड़ियों को चीनी मिलों को एक लीटर भी डीजल न मिलने के कारण सारी रबी की फसल बरबाद हो रही है। अस्पतालों की एम्बूलेन्स गाड़ियों को डीजल न मिलने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी मरणासन्न रोगियों की अस्पताल पहुंचाने में अपने को असमर्थ होने के कारण जिले में कई रोगियों की मरने की खबर से और डीजल न मिलने के कारण सभी चीनी मिलों ने केन्द्रों पर गन्ना लेना 15 दिनों से बन्द कर दिया है। और केवल गेट के गन्ने से चीनी मिलें दो चार घंटे से अधिक नहीं चल पाती हैं। वे भी प्रायः बन्द ही हैं। जिलाधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। पूरे जिले में त्राहित्राहि मची है। असंतोष तथा क्षोभ की कोई सीमा नहीं है सरकार को तत्काल व्यवस्था के लिये तथा अकर्यमण्य जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिये सूचना दे रहा है।

बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा नदी से कटान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिचाई मंत्री का ध्यान बस्ती जिले के हरैया तहसील के घाघरा नदी के कटाव से पीड़ित लाखों किसान परिवारों की तरफ दिलाना चाहता हूं। विक्रमजीत से उमरिया तक पत्थर का ठोकर लगाकर घाघरा की कटान की रोकथाम करने की योजना थी। योजना के रख-रखाव में अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर तथा पूर्व अधिशासी अभियन्ता, बस्ती एवं सहायक अभियन्ता हरैया ने सांठ-गांठ करके लाखों रुपये का गबन किया था जिसकी जांच करायी गई। अनियमिततायें एवं गबन प्रकाश में आया। जब अधिकारियों का भ्रष्टाचर एवं गबन का मामला प्रकाश में आया तो अधीक्षण अभियन्ता गोरखपुर, सहायक अभियन्ता, हरैया बाढ़ विभाग हरैया का कार्यालय फैजाबाद जनपद में उठा ले गये जिससे गबन व अनियमितताये जनता के प्रकाश में न आ सकीं। अधीक्षण अभि–

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती जिले के हरैया तहसील में घाघरा नदी से कटाव के सम्बन्ध में नियम 301 के 249 अन्तर्गत सूचना

यन्त्र का अनेकों बार स्थानान्तरण हुआ किन्तु भ्रस्टाचार के बल पर स्थानान्तरण रुकवा लिया। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गबन धन को प्रकाय में आने के कारण सभी योजनायें बाढ़ नियंत्रण की टी0 ए0 सी0 से मेरे क्षेत्र को अस्वीकृत करा दिया तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यालय हरैया को तोड़वा दिया। और भी योजनायें निरस्त करा दिया। इससे घाघरा की कटान से पीड़ित लाखों परिवारों को घाघरा की गोद में धकेलने का षडयंत्र है एवं लाखों रुपये के गबन को छिपाने की साजिश है।

अतः आप से अनुरोध है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी को निर्देश दें कि भ्रष्ट अधिकारियों को स्थानान्तरित करके दंडित करें तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यालय हरैया में पूर्ववत् रहने का आदेश करें और बाढ़ नियंत्रण की समस्त योजनायें बंधा, ठोकर, गांव का ऊंचा करना आदि पुनः चालू करने के लिये आदेश देने की कृपा करें।

हरदोई तहसील के ब्लाक बावन में शारदा सहायक नहर के कट जाने से कतिपय ग्रामों को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हरदोई जनपद की तहसील हरदोई में ब्लाक बावन के अर्न्तगत शारदा नहर के कट जाने से रबी की फसल तथा मकानों के गिर जाने से हुई क्षति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, 14 जनवरी को हरदोई जनपद में शारदा नहर मील नं0 84 पर कट जाने से लगभग 1,700 एकड़ फसल पानी के बहाव की लपेट में चौपट हो गयी तथा लगभग 125 मकान गिर कर ध्वस्त हो गये और लगभग 250 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इस प्रकार खलीफापुर मस्ती, सहिजना, पठका, पुरवा, मूसेपुर, करौंदी, बजेहरा तथा बद्दुदीनपुर आदि गांवों के हजारों लोग दाने-दाने को मोहताज हो गये हैं।

मान्यवर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अभी पिछले सूखों से प्रभावित जनता की एकमात्र जीविका रबी की फसल पर ही निर्भर थी। अब उनके रोजी-रोटी का सहारा टूट जाने से सारे क्षेत्र की जनता में इस कटाव से एक भारी चिन्ता का विषय बना हुआ है।

अतः जनजीवन से संबंधित इस घटना को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें तथा इससे प्रभावित किसानों को समुचित मात्रा में सहायता एवं मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

ग्राम हसियापुर थाना बल्दी सराय, जिला सुल्तानपुर में कुमारी शकुन्तला तथा अजय कुमार की बलि चढ़ाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम हसियापुर थाना बल्दी सराय जिला सुल्तानपुर के श्री तुलसीराम तमोली की भांजी कुमारी शकुन्तला आयु लगभग 5 वर्ष का अपहरण दिनांक 22-9-79 को प्रातः 10 बजे हो गया था। जिसकी सूचना पुलिस से कर दी गयी थी। उसके पश्चात् दिनांक 24-9-79 को प्रातः 6 बजे ग्राम के इन्द्रजीत सिंह के अहाते के कुवें मे मिली लाश के बाद मालूम हुआ कि उक्त लड़की को बलि चढ़ाया गया था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संत बख्श रावत]

लिये भेजा, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ज्ञात हुआ है कि पुलिस मृतक बच्चों के परिबार के लोगों को तंग कर रही है ।

इसी प्रकार दूसरी घटना इसी थाने के इसी ग्राम में दिनांक 19-11-79 को सन्ध्या 4-5 बजे घंटी जिसमें उसी परिबार के तुलसीराम का पुत्र अजय कुमार उर्फ भिल्लर आयु 4 वर्ष को उक्त अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह की पत्नी ने बतासा देकर घर बुला ले गयी थी जहां उसकी भी बलि दे दी गयी । लाश 20-11-79 को प्रातः गांव के बाहर कुंवें में मिली जिसको भी पुलिस ने पोस्ट मार्टम हेतु भेजा । इस प्रकार एक ही परिबार के दो अबोध बच्चों को बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया । इस घटना के कारण ग्राम तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है । पुलिस अब तक मौन है और अपराधियों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में भय, क्षोभ, असंतोष तथा रोष व्याप्त हो गया है । अन्त में मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री से उक्त घटनाओं पर अविलम्ब वक्तव्य देने की मांग करते हुये मामले की गोपनीयता की जांचकर उचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।

नारायणपुर जिला देवरिया में ग्रामीणों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री द्वारा भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर--व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

ग्राम नरायणपुर की घटना के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न और कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं । पहले मैं औचित्य के प्रश्नों को सुन लूंगा और कार्य स्थगन बाद में लिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

पहले हमें सुन लें, हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव भी है । मान्यवर, देवरिया जिले में नरायण-पुर गांव में पुलिस ने जो बर्बर अत्याचार और दुर्व्यवहार किया है उससे वहां मानवता सिसक रही है । जब रक्षक ही मान्यवर, भक्षक हो जायेगा तो जनता की क्या हालत होगी । इस सरकार के एक मंत्री मोहनसिंह जी स्वयं वहां गये और उन्होंने वहां की घटनाओं की जानकारी की और पुलिस की उन्होंने गलती बतायी है । वहां खुलेआम युवा लड़कियों के साथ बलात्कार किया है इन पुलिस वालों ने । परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दे दिया कि वहां पर कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई । (व्यवधान) उसी सरकार का एक मंत्री स्वीकार करता है कि अमानुषिक अत्याचार हुये हैं..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका औचित्य का प्रश्न क्या है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इस घटना के कारण पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है । सरकार के अधिकारी मामले को छिपा कर सारी घटना पर पर्दा डालना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो औचित्य के प्रश्न पर भाषण देने लगे..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मामला बड़ा संगीन हो गया है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपको मैंने सुन लिया, आप बैठिये ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

औचित्य का प्रश्न मैंने सुन लिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, हमारा दूसरा प्रश्न है ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैंने शतरुद्र प्रकाश जी को बुला लिया है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न नरायनपुर गांव जो कि देवरिया में है, उसके बारे में, जो कार्य-स्थगन का प्रश्न है , उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, वह अपने गुण और दोष के आधार पर ग्राह्यता के रूप में आपके सामने उपस्थित होगा । 25 तारीख को माननीय हरि केवल प्रसाद ने नियम 51 के अन्तर्गत एक प्रश्न उपस्थित किया था और माननीय बांके लाल जी ने भी दिया था । बांके लाल जी के क्षेत्र का मामला है । लेकिन पूरे सूबे की निगाह वहां तक पहुंच गयी । मान्यवर, आपने यह निर्देश दिया कि उस नियम 51 के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक उसके लिए सरकार वक्तव्य देगी और यह वक्तव्य शायद कल तक आ जायगा । इस बीच में.....

श्री उपाध्यक्ष---

30 तारीख के लिए कहा था, मैंने ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

30 तारीख आपने मान्यवर, निर्धारित कर दिया । नरायनपुर में जो घटना हुई है, उस बारे में सरकार की तरफ से 30 तारीख को बयान दिया जायगा । इसके बाद मान्यवर, इसकी बात एक अमृत बाजार पत्रिका अखबार है, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री का बयान छपा है, जिसमें उन्होंने सामूहिक बलात्कार का खंडन किया है । मान्यवर, अगर शासन को किसी विषय पर बयान देना है, तो उसी विषय पर सेशन के चलते समय किसी भी मंत्री को बयान नहीं देना चाहिए । एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी खण्डन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी सरकार के दूरे राज्य मंत्री श्री मोहन सिंह देवरिया जाते हैं, उस गांव में जाते हैं और जनता से साक्षात्कार करते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, मुंडन पांडे से मिलते हैं, वहां की सारी महिलाओं से मिलते हैं । उनका भी बयान आता है सार्वजनिक रूप से जिसमें कहां गया है, "मंत्री द्वारा नरायनपुर घटना की स्वीकृति ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

मान्यवर, सदन के बाहर किसी भी प्रकार का बयान नहीं आना चाहिए। मान्यवर, एक ही मंत्रि-परिषद् के दो सदस्य अलग-अलग बयान तथ्यों के बारे में पेश करें, यह भी औचित्य का प्रश्न मान्यवर, उठता है। एक ही औचित्य के प्रश्न के रूप में मैंने अपना प्रश्न उपस्थित किया है। उसके पहले माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, सदन के बाहर क्या-क्या बयान हुआ, उसको प्रमाणित न माना जाय बल्कि सदन के अन्दर जो बयान अधिकृत रूप से यहां पर रखा जाय, उसे माना जाय और किसी भी अफसर की जांच अफसरी के स्तर पर न हो, बल्कि बेहतर होगा कि सदन के सदस्यों की कमेटी बने जो कि मौके पर जाय और अविलम्ब उनको मौके पर भेजा जाय, वह जो कुछ वहां पर जांच करें उसकी रिपोर्ट दें और जो वहां पर अधिकारी लोग हैं, उनको तुरन्त हटा दिया जाय तभी प्रशासन के बारे में आम जनता की आस्था जग पायेगी।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

क्या इसी सम्बन्ध में है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

कामरोको प्रस्ताव तो अलग से है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दिया है उस पर आपके हस्ताक्षर नहीं है। श्री राजेन्द्र-कुमार गुप्त उस मामले को प्रकाश में ल आये हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं वहां पर गया था। मैं एक मिनट में कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई चीज छूट गई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

इस समय मैं एक टेक्निकल और कांस्टीट्यूशन प्वाइंट रेज कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान है जैसा श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा सदन के बाहर उन्होंने बयान दिया। नियम 51 के अन्तर्गत इसे आपने स्वीकार कर लिया था वक्तव्य के लिये और आपने समय भी निर्धारित कर दिया था। इसी सम्बन्ध में श्री मोहनसिंह का एक बयान है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तथ्य क्या है,तथ्य क्या होगा उस पर मैं बाद में प्रकाश डालूंगा जब श्री गुप्त कामरोको प्रस्ताव पेश करेंगे। इस समय माननीय मुख्य मंत्री ने और श्री मोहन सिंह ने जो कहा उसका तथ्य क्या है और अभी इसी समय अविलम्ब मैं जानना चाहता हूं कि अगर सच्चाई एक ही है तो मा0 मुख्य मंत्री जी जो बयान दे रहे है और श्री मोहन सिंह जो बयान दे रहे हैं यह सदन संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर चलता है। मंत्रि-परिषद् में कोई बयान व्यक्तिगत नहीं होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है यह जनतांत्रिक मान्यताओं का तकाजा है। अगर मोहनसिंह का कहना सत्य है क्योंकि मैंने अखबारों में देखा है तो मा0 मुख्य मंत्री जी को खेद प्रकाश करना चाहिये जो उन्होंने गलत बयान दिया है। जिन अधिकारियों के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को उसकी सूचना मिली है उन अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित करने के आदेश जारी करने चाहिये और सदन को आश्वासन देना चाहिये अगर मा0 मुख्य मंत्री जी यह समझते हैं कि जिन अधिकारियों ने यह सूचना दी है वह सही है मोहनसिंह का बयान गलत है और उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उन्होंने सामूहिक उत्तरदायित्व की सीमा के बाहर जाकर बयान दिया तो उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की घोषणा करनी चाहिये।

नारायणपुर जिला देवरिया में ग्रामीणों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री द्वारा भिन्न-भिन्न वक्तव्य देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

यह औचित्य का प्रश्न वास्तव में बड़ा गम्भीर है कि संयुक्त मंत्रिमंडल के दो सदस्य मा0 मुख्य मंत्री जी और मोहनसिंह जी अलग-अलग बयान दिये हैं । श्रीमन्, नारायण पुर म कुछ विधायक गये थे और रिपोर्ट लाये । इस तरह के बयान जिसमें 30 तारीख निश्चित की गई थी कि सरकार की ओर से वक्तव्य आयेगा इस बीच मंत्रि-मंडल के सदस्यों के अगर आयें, बयान देते हैं तो जो संयुक्त उत्तरदायित्व की परम्परा है उस पर कुठाराघात होता है । मैंने नियम 52 में इस विषय पर आपसे चर्चा की मांग की है । आपने इस औचित्य के प्रश्न पर जो इतना गम्भीर है, जो मानवता के नाम पर कलंक के नाम शीर्षक से अखबार में निकला है, उस पर एक मंत्रि-मंडल के सदस्य भिन्न-भिन्न राय प्रेस में दे तो श्रीमन् मुझे तो आशंका यह लगती है शायद उस काण्ड में जो माननीय सदस्य न्याय मांग रहे है वह न मिल सकें । यह एक ऐसी घटना है, जो प्रदेश के लिए एक कलंक की घटना है और यहां पर इस संबंध में जो बयान आए हैं वह एक पक्षपातपूर्ण और दो अलग-अलग बयान आए है । यह मंत्रि-मंडल का दायित्व है, जो इस प्रकार के अलग-अलग दो बयान दिये गये हैं, इसका मंत्री-परिषद् ही जिम्मेदार है ।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर है, मुझे भी समय दें । मैं केवल इस पर एक निवेदन करूंगा ।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, दो माननीय मंत्रियों के एक समय में सदन में परस्पर एक दूसरे के विरोधी बयान आए हैं। यह मर्यादा का प्रश्न है, मान्यवर, । जब हरिकेवल जी ने और श्री बांके लाल जी ने एक प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत किया था, वह प्रश्न सदन के सामने उत्तर देने के लिए विचाराधीन है। मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है, यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है । मान्यवर, सदन की मर्यादा की रक्षा करना आपका दायित्व है । सत्यता को छुपाते हुए उसके संबंध में सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलत बयान दिये हैं, यह सदन का अपमान है और विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। इसके प्रति मान्यवर, आपको रक्षा करनी है और उचित निर्णय लेना है। श्री मोहन सिंह जी और श्री बनारसी दास पर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, इस मामले पर 3 प्रश्न उठते हैं। पहला यह है कि जब एक विषय लम्बित है इस हाउस के अंदर और उस पर वक्तव्य मुख्य मंत्री जी को देना है, तो क्या यह उचित है कि मुख्य मंत्री सार्वजनिक रूप से बाहर वक्तव्य दें। दसरे श्री मोहन सिंह जी ने जो वक्तव्य अखबार में दिया है, देखिए--

उत्तर प्रदेश के उद्योग राज्य मंत्री श्री मोहन सिंह ने देवरिया जिले के नारायणपुर गांव का दौरा करने के बाद वहां के ग्रामीणों पर पुलिस के अत्याचार को हकीकत बताते हुए घटना को केवल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए अत्यन्त शर्मनाक बताया है। श्री सिंह ने घटना के विवरण में बताया कि ग्रामीणों ने मुझे बताया कि देवरिया के हाता थाने के कुछ सिपाही 11 जनवरी को बस से कुचलकर मृत एक वृद्ध महिला के परिजनों को मुआविजा देने के बहाने .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री उपाध्यक्ष ---

आप तो पूरा अखबार पढ़ रहे हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

नहीं मान्यवर, श्री सिंह ने आगे बताया कि इसके बाद 14 जनवरी, की रात लगभग चार दर्जन पुलिस और पी0ए0सी0 के जवानों ने नारायणपुर गांव पर धावा बोल दिया और ग्रामीणों को बुरी तरह पीटकर अंधाधुन्ध लूटपाट के साथ ही गांव के सभी अविवाहित युवतियों के साथ निर्ममता से बलात्कार किया।

तो इस प्रकार मान्यवर, मेरा दूसरा मुद्दा है कि एक ही मंत्रि-मंडल के मंत्रियों ने परस्पर विरोधी बयान दिये हैं, जो कि सदन का अपमान करना है। और तीसरा मुद्दा मैंने आपके समक्ष अखबार वाला पढ़कर सुनाया जिसे स्वयं मंत्री महोदय ने वहां घटना पर मौजूद लोगों से मालूम कर स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि यह तीनों मुद्दे बड़े गम्भीर मुद्दे हैं।

वह तो अलग से ले लिया जाये लेकिन इन 3 मुद्दों के बारे में जो इस सदन की गरिमा का प्रश्न है जिनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

श्रीमन्, इस घटना को लेकर यह जो प्रश्न उठा है मैं समझता हूं कि भ्रांति पर आधारित है। जब यह घटना सर्वप्रथम मुझे मालूम हुई सदन से पहले, बांके लाल जी ने सूचना दी थी, मैंने तुरन्त आदेश दिया कि कप्तानगंज के थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाये और वहां की जांच रिपोर्ट भेजें। जब रिपोर्ट मांगी तो पत्रकारों ने प्रश्न किया कि रिपोर्ट में है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। सदन में जो सूचना देते हैं मंत्री, वह स्वयं पर आधारित होती है। चूंकि यह घटना काफी उत्तेजनात्मक और लगता था काफी ज्यादती हुई है तो मैंने तुरन्त हरिजन सेल के डी0 आई0 जी0 और हरिजन विभाग के सचिव श्री गंगा राम को जांच के लिये भेजा है, वे अभी तक लौटे नहीं हैं। देवरिया में हैं और आज आने वाले हैं।

इस बीच श्री मोहन सिंह जी से भी सम्पर्क स्थापित किया कि वे स्वयं जाकर घटना को देखें। इसके अन्दर अतिशयोक्ति पूर्ण बातें हैं। कोई औचित्य नहीं है, यह सदन है, सदन के अन्दर प्रश्न पर विवाद नहीं है, अगर पत्रकार जो कि पूरा एक शीर्षक देकर तमाम हिन्दुस्तान में, उसके संबंध में सूचना प्राप्त करें तो इसमें सदन का अपमान कहां आ गया। ठीक है मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेवारी है, इसमें भी खण्डन कहां हुआ। मंत्री जाते हैं और स्वयं देखा तथा वक्तव्य दिया, वे स्वयं मौजूद हैं, बेहतर होगा वे स्वयं स्पष्टीकरण करें। विधायकों ने अन्य लोगों ने लिखकर शिकायत की कि जो एस0 पी0 हैं, इनका कहना था कि उनको हमदर्दी कांग्रेस (आई) के साथ है और वे खुलकर प्रचार कर रहे हैं। थानेदार के बारे में भी यही शिकायत थी। तो मैंने कहा कि चुनाव के दौरान में मैं न तो एस0 पी0 का और न ही थानेदार का तबादला कर सकता हूं।

(शोर)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आप मुख्य मंत्री जी की बात सुन लें। आप लोग बैठ जायें।

एक सदस्य---

कांग्रेस (आई) का एस0 पी0 रखे हैं, आप.....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नारायणपुर, जिला देवरिया में ग्रामीणों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री द्वारा भिन्न-भिन्न वक्तव्य देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बनारसी दास---

चूंकि ये आपकी परम्परायें हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि चुनाव के बीच में चुनाव आयोग की इजाजत के बिना.....

(शोर)

अनेक सदस्य---

जिलाधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यहां औचित्य की बात है और आप जिलाधिकारी की बात कर रहे हैं।

(शोर)

श्री बनारसी दास---

चुनाव के बीच में यह गलत कहते हैं, कोई ट्रांसफर वहां के डी0 एम0 का नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि मुझको लिख कर दें। मोहन सिंह जी से वहां के कई विधायकों ने लिखकर दिया कि एस0पी0 और कप्तानगंज के चतुर्वेदी का ट्रांसफर कर दें, मैंने कहा कि चुनाव खतम होने के बाद विचार किया जा सकता है इसके पहले नहीं। इस घटना का जहां तक सवाल है मोहन सिंह जी वहां पर गये।.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय मुख्य मंत्री जी अनुमति दें तो मैं आपकी अनुज्ञा से.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह केवल औचित्य का प्रश्न है। मुख्य मसला तो बाद में आयेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मुख्य मंत्री जी बैठ गये हैं। मेरी बात सुन लीजिये, मान्यवर। माननीय मोहनसिंह जी घटना स्थल पर गये। उन तथ्यों की जानकारी मुख्य मंत्री जी को मिल गयी। उन तथ्यों की जानकारी में मुख्य मंत्री जी क्या वक्तव्य देना चाहते हैं?

श्री बनारसी दास---

मैंने वहां पर डी0आई0जी0 को भेज रखा है। हरिजन विभाग के सचिव को भेज रखा है। उनकी विस्तृत रिपोर्ट आ जायेगी। अगर माननीय उपाध्यक्ष जी अनुमति दें तो मोहनसिंह जी इस पर बयान दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर मैंने माननीय सदस्यों को सुन लिया और नेता सदन को भी सुन लिया है। यह औचित्य का प्रश्न है इस पर मैं निर्णय बाद में दूंगा। अब मैं कार्य स्थगन का प्रस्ताव ले रहा हूं।

(शोर)

* श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय मोहन सिंह जी घटना स्थल पर गये थे। मोहन सिंह जी बैठे हैं, खड़े भी हुए, शायद आपकी नजर नहीं पड़ी। मैं चाहता हूं कि मोहन सिंह जी अपना बयान दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने मुख्य मंत्री जी को सुन लिया है। यह औचित्य का प्रश्न है, यह बात बाद में उठती है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने बयान में दो बातें कहीं, उस पर आपकी व्यवस्था चाहिये। एक तो उन्होंने कहा कि डी0 आई0 जी0 और हरिजन विभाग के सचिव श्री गंगा राम जी मौके पर गये उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। दूसरी बात स्वयं उन्होंने तस्लीम की है कि उन्होंने मोहन सिंह जी से कहा कि वह मौके पर जाकर देखें। मोहन सिंह जी सदन में मौजूद हैं। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी द्वारा भेजे हुए मोहन सिंह जी के बयान के बाद डी0 आई0 जी0 और श्री गंगाराम जी की रिपोर्ट की क्या अहमियत है। मोहन सिंह जी का जो बयान होगा वह सुप्रीम होगा और मुख्य मंत्री जी उसके पाबन्द हों।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको हम बाद में देख लेंगे।

नारायणपुर, जिला देवरिया में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

श्री ओझा जी, जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आपने रखा है, इसके बारे में संक्षेप में कह दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह जो आप कार्य स्थगन प्रस्ताव ले रहे हैं क्या इससे पहले कोई और औचित्य का प्रश्न लेंगे या इसके बाद लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कह दिया था कि पहले मैं औचित्य का प्रश्न लेता हूं बाद में कार्य-स्थगन प्रस्ताव लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

अभी एक औचित्य का प्रश्न बाकी है। आपको लिखकर दिया गया है। सामूहिक रूप से लिखकर दिया गया है।

श्री ऊदल---

अगर आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले लेंगे तो दूसरा औचित्य का प्रश्न कब लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं। मैं इसको बाद में ले लूंगा। श्री ऊदल वाला औचित्य का प्रश्न बाद में आ जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मुझे बड़े खेद के साथ इस सरकार के विरुद्ध प्रथम बार कामरोको प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मुझे कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, कितना कष्ट है उसकी मैं अभिव्यक्ति नहीं कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता हूं। मैं उस गांव में गया था। आधे घंटे के लिये गया था लेकिन पूरा दिन हमको रहना पड़ा। मेरे जाने की सूचना जाने के बाद डी0एम0 देवरिया और एस0 पी0 देवरिया अन्य लोगों के साथ वहां आये और आश्चर्य है कि आये तो अपने साथ स्टेनगन और न जाने कितने कारतूस बांध कर ले आये पता नहीं उनको क्यों लाये थे, मैं नहीं कह सकता। घटना बड़ी छोटी है लेकिन सारे प्रदेश की अस्मत, सारे प्रदेश की इज्जत, जनतन्त्र की मान्यतायें सब कुछ दांव पर नारायणपुर में वहां के अधिकारी और कर्मचारियों ने लगा दिया।

घटना बहुत छोटी है। एक बस से बुढ़िया दब गयी और मर गयी। बस वाले ने कहा कि हम 5 हजार रुपया कम्पेन्सेशन दे देंगे। उसके नाती और नतनी के अलावा दूसरा परिवार में और कोई नहीं है। मुसलमानों का गांव है। सारे गांव के लोगों ने तय किया कि इसको कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। कप्तानगंज के दरोगा ने 5 हजार रुपया ले लिया। जब गांव वाले कम्पेन्सेशन के लिये गये तो ट्रांसपोर्टर गुप्ता ने कहा कि मैंने पुलिस को दे दिया है। वहां के लोगों से एस0 डी0 एम0 ने कहा कि कप्तानगंज चलिये वहां पर सारी बातें तय हो जायेंगी गांव वालों ने कहा कि हम लोग हरगिज नहीं कप्तानगंज जायेंगे, पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो उन लोनों ने कहा कि हाटा चलिये वहां पर ट्रांसपोर्टर रहता है। वहां पर सारे लोगों के बीच तय हुआ कि ट्रांसपोर्टर 5 हजार रुपया देगा। एस0 डी0 एम0 ने कहा कि पांच हजार ट्रांसपोर्टर दे रहा है आप कुछ चंदा करके दें। वहां तय हुआ कि 3 हजार रुपया गांव के लोग चंदा करके देंगे। 8 हजार रुपया एस0 डी0 एम0 फिक्स्ड डिपाजिट में रखेंगे और बच्चे जब बालिग हो जायेंगे तब दे देंगे। इसके बाद सारे अधिकारी और बांके लाल जी चले गये। जो गांव के 17–18 आदमी रह गये थे तो उनसे वहां कहा गया कि आप कागज पर दस्तखत करने के बाद में जायेंगे इसके बाद वहां उनको घेर लिया गया और थाने की कोटरी में बंद किया गया और उनपर बर्बर आक्रमण हुआ जिसका मैं यहां पर बयान नहीं कर सकता हूं। लोगों ने जो बयान दिये हैं। उसको सुनकर मानवता कांप जाती है। दाढ़ियां नोची गयीं और नोची ही नहीं गयीं जिस तरह से जिबह किया जाता है उस तरह से काटी गयीं। चंडी पांडे का जनेऊ तोड़ा गया और चुटिया नोची गयी। मुनवर खां की दाढ़ी नोची गयी। और जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्हीं के बेटे से उनके मुंह में पेशाब करने के लिये पुलिस वालों ने कहा। पेशाव करने से इंकार करने पर उनको लाठियों और डंडों से मारा गया गुप्तांग में लाठी डाली गयी। कह नहीं सकता कि किस तरह उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया जो जलियांवाला बाग की कहानी की याद दिलाता है। इस तरह यह शासन कब तक चलेगा। बाद में उन लोगों के पैर हाथ बांध कर बस में डाल दिया जाता है और उनको कप्तानगंज थाने ले जाया गया। वहां भी उन लोगों की उतनी ही पिटाई होती है कि लोग बेहोश हो जाते हैं। मुनव्वर हुसैन पर मार पड़ती है और जब वह पानी मांगता है तो उसी के बेटे से उनके मुंह में पेशाब करने के लिये कहा जाता है। यह तो रात की बात है। सवेरा होने पर 5 लोग नमाज पढ़ने के लिये निकाले जाते हैं। जब वह नमाज पढ़ने के लिये खड़े होते हैं तो उनके ऊपर फिर मार पड़ती है और उनसे कहा जाता है कि यही तुम्हारी नमाज है। फिर वह बेहोश होकर गिर जाते हैं। कप्तानगंज थाने जाने के बाद गांव पर हाटा और कप्तानगंज थाने की पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 के लोग सब मिलकर गांव पर धावा बोलते हैं और सामूहिक रूप से बलात्कार करते है। 11 साल की लड़की इससे बेहोश हो जाती है और 3 दिन तक उसको कोई पूछने वाला नहीं था। अखबार वालों के पूछने पर बूढ़े मुनव्वर ने कहा कि हमारा क्यों बयान लेना चाहते हैं, इससे हमारी लड़की से शादी कौन करेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

ओझा जी आप ज्यादा उत्तजित न हों। घटना को संक्षेप में कहें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मैं केवल तथ्यों पर आधारित बात कह रहा हूं। मैं मनुष्य हूं शैतान नहीं हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जुम्मन खां और गंगू हरिजन की पिटाई इतनी हुई कि वह दोनों मर गये। जुम्मन खां की लाश 3 दिनों तक गांव में पड़ी रही और जब जागरण अखबार के लोग वहां गये तो इजाजत लेकर लाश को दफनाया गया। अखबार वालों ने जब जुम्मन खां के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि हम लोग पुआल में छिप गये थे लेकिन पुलिस ने ढूंढ़कर जुम्मन खां को लाठियों से मार दिया।

(व्यवधान)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, क्या आप बहस करा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ओझा जी, अब आप समाप्त करें। आप बैठ जांय।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बोलते रहने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया समाप्त करें। पूरी घटना तो आप ने कह दी .... (शोर).....

संस्थागत राज्य वित्त मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

इस पर बहस कर रहे हैं.....(शोर)...

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। श्री मुख्तार अनीस आप क्या कुछ व्यवस्था के बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने मा0 सदस्य को इस विषय की ग्राह्यता के बारे में बोलने की आज्ञा दी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यस्थगन का जो प्रस्ताव है संक्षेप में उसकी ग्राह्यता के बारे में बोलने की इजाजत दी है लेकिन मैंने खुद उनको टोक दिया है कि आगे न बढ़ायें। आप कृपया समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था आप के माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष—

आप ने पूरी घटना की चर्चा कर दी अब आप यह बतायें कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में मैं इसे किस प्रकार स्वीकार करूं, उस की ग्राह्यता के बारे में आप कहें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

गांव में जो कुछ भी हुआ माननीय विधायक बांके लाल जी जो बड़े बेताब हो रहे हैं कहने के लिए उस रात गांव में मौजूद थे...

एक सदस्य—

नहीं थे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उस समय बांके लाल जी वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि यदि मैं पुलिस से कुछ कहूंगा तो पुलिस मेरी आंख निकला लेगी तो मुझे बचायेगा कौन ? पुलिस की डर से बांके लाल जी रात भर उस गांव में . . . (व्यवधान) पड़े रहे । मेरे पास फोटो है । यह उन लोगों की फोटो है जिनकी दाढ़ी नोची गई थी, जिसके गुप्तांग में लाठी डाली गयी । मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मैं उस लड़की का भी बयान दिलवा सकता हूं हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया के पास गये थे । हमने कहा कि आप मां बहनों से पूछ लीजिए गांव में क्या गुजरी है । करीब दो लाख का सामान गांव में लूटा गया । एक हफ्ते तक गांव में कोई जनप्रतिनिधि न जा सका । यह घटना 13/14 की है ।

मैंने खुद अखबार वालों को टेलीफोन पर बताया । जागरण वालों ने हिम्मत की और उस गांव में गये और तब 25 को यह घटना प्रकाश में आई । जिला देवरिया का प्रशासन सोया हुआ था । सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के अन्दर डर थी । मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय सदन को आश्वासन दें कि देवरिया के प्रशासन को निलम्बित कर दिया है नहीं तो यह सदन नहीं चलेगा . . . (शोर) इस बात की चर्चा होनी चाहिए । यह एक सुनिश्चित विषय है, लोक महत्व का विषय है । यह जो यहां बैठे हैं जो संसदीय जानकारी नहीं रखते यह क्या जानना चाहेंगे काम रोको प्रस्ताव के बारे में । . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बांके लाल आप कृपया . . .

श्री बांके लाल (जिला देवरिय)--

उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि मेरी बात सुन लें कि क्योंकि मेरे क्षेत्र की घटना है और मैं उस घटना से पूरी तरह से अवगत हूं । पूरे बहुमत से वहां की जनता ने मुझे वोट दिया है । इस चुनाव में भी उस पोलिंग स्टेशन पर मुझे बहुत ज्यादा वोट मिले हैं . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बांके लाल जी, आप घटना तक अपने को सीमित रखें ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन नियमावली के अनुसार चल सकता है तो चलाइये । यह विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस अनियमित ढंग से नियमावली के खिलाफ जनार्दन प्रसाद ओझा ने यह कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, वह अनुचित है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

नियमानुसार है ।

श्री बनारसीदास--

श्री जनार्दन प्रसाद का यह तरीका इस तरह से व्यवधान डालना अत्यन्त अनुचित है । (व्यवधान तथा शोरगुल) अगर यही आचरण रहता है जनार्दन प्रसाद जी का, तो सदन स्थगित कर दीजिए । अगर सदन चलेगा तो शान्तिपूर्वक चलेगा । (व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सदन में शान्ति रखियें ।

श्री बनारसीदास--

जिस समय उनका भाषण हो रहा था वह किसी विषय पर नहीं था । माननीय जनार्दन जी नियमों को जानते हैं । नियमों का उल्लंघन करके यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है । वह प्रस्ताव रखते कि नियमों को शिथिल कर दिया जाय और आइटम 18 पर यह जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है इसको पहले ले लिया जाय लेकिन बिना आपकी अनुमति के नियमों के विरुद्ध वह बोलने लगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी नियम 315 के अन्दर मैंने पहले ही ले लिया था और उसके साथ ही इसे मैंने लिया था । (व्यवधान)

श्री बनारसीदास--

अब प्रश्न यह है कि क्या किया जाना चाहिये । मैंने पहले ही कहा था कि प्रदेश में पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अगर कहीं ज्यादती हो तो उसका एक तरीका है लेकिन जिस तरह से आवेश के साथ, उत्तेजना से और नाटकीय ढंग से जनार्दन प्रसाद ओझा . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह "नाटकीय ढंग से" जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं यह असंसदीय हैं । पहले मुख्य मंत्री जी इनको वापस लें तभी हम उनको बोलने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह 'नाटकीय' शब्द जो है इस पर हम विचार कर लेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिस संदर्भ में नाटकीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी को उसे वापस लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

'नाटकीय' शब्द असंसदीय नहीं है ।

श्री बनारसीदास--

मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है अगर उसे आप अनुचित ठहरायें तो मुझे वापस लेने में कोई कठिनाई नहीं है । श्री जनार्दन ओझा ने सदन का ध्यान आकर्षित किया । मैंने इस सम्बन्ध में शुरू में ही कहा था कि वहां के एस0 ओ0 को लाइन हाजिर करने की सूचना मुझे मिली है । वहां के एस0 पी0 का तबादला मैंने कर दिया । जब मुझे परसों मालूम हुआ तो तुरन्त अधिकारियों को भेजा और मोहन सिंह जी को भी भेजा । इस सम्बन्ध में यही कह सकता हूं कि वहां पर जो दुर्घटना हुई है, उसके सम्बन्ध में यदि पुलिस वालों का दोष पाया जायेगा तो उनको दण्डित किया जायेगा । अब मैं चूंकि यह प्रश्न सदन में आ गया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री मोहन सिंह जी भी वहां गये थे और अगर उसमें कोई अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो उनकी तरफ से सरकार पर्दा नहीं डालेगी और उनको पूरी तरह से दंडित किया जायेगा । लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश में शांन्ति व्यवस्था कायम रखनी है । बसों को जलाने की दुर्घटनायें होती हैं । अभी कल परसों मैंने पढ़ा कि उन्नाव के अन्दर एक बस को

दुर्घटना में किसी लड़के की मत्यु हो गयी बस जला दी गई तो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है चाहे वह कार से हो या बस से हो तो सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि दुर्घटन। ग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाय। लेकिन आज जिस तरह से उत्तेजना हो रही है देश के अन्दर, उसके यह नतीजा होता है कि उस कार या बस का ड्राइवर घटना स्थल पर हो सकता है और वह जन आक्रोश का शिकार नहीं बनना चाहता है।

इसी तरह से देवरिया के अन्दर जिस तरह से ओझा जी ने कहा कि एक बुढ़िया जो कुम्हार थी वह मर गई और पुलिस के अधिकारी वहां देर से पहुंचे। गांव के लोग शांन्तिमय ढंग से यह चाहते थे कि मुआवजा दिया जाय। 14 तारीख तक कोई नहीं आया। 14 तारीख को जब एक बस वहां पहुंची तो गांव के लोगों ने उस पर पथराव किया और बस को नहीं जाने दिया गया और यह कहा कि जब तक मुआवजा नहीं दिया गया तब तक हम बस को नहीं जाने देंगे। फिर बस का ड्राइवर वहां से भाग कर वहां थाने में गया और पुलिस कप्तान को मोटर साइकिल में कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर आ गया। फिर लोगों ने पथराव किया जिससे एक सिपाही को पत्थर लगा। इसके बाद पुलिस बड़ी तादाद में आ गई। थानेदार ने वहां पर कुछ हवाई फायर भी किया। उसके बाद वे लोग हट गये और वे चाहते थे कि 3,000 रु0 वहां इकट्ठा करेंगे और 5,000 रु0 बस का मालिक मुआवजा दें और वह कहता था कि में 300 रुपया दूंगा। लेकिन हाटा में जो फैसला हुआ गांव वाले भी संतुष्ट उससे थे कि 5,000 रुपया उसको मिल जायेगा। मोहन सिंह जी वहां गये थे, वे बतायेंगे। 14 तारीख को जिन लोगों ने बस पर पत्थर बरसाये थे दफा 32 में पुलिस गिरफ्तारी के लिये वहां पर पहुंची तो वहां पर उनका कहना है कि कुछ गिरफ्तारी की गई और कुछ लोगों ने मारपीट भी की। मेरे सामने जो घटना आयी वह 14 तारीख के जागरण की है। इसमें लिखा है कि पुलिस और ग्रामीणों में जमकर मारपीट हुई 26 ग्रामीण दंडित हुये। इस जागरण की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि बलात्कार हुआ। उसके बाद जागरण का दूसरा समाचार आया और 17 तारीख के जागरण में लिखा है जो कि विशेष संवाददाता ने लिखा है कि हाटा कप्तानगंज मार्ग पर नारायणपुर मार्ग में 14 तारीख को जमकर मारपीट हुई जिसमें थानाध्यक्ष सहित कुछ लोग घायल हुये... (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

एक सूचना में आपको दे दूं, इससे आपको मदद मिलेगी। यह जो जागरण का प्रतिनिधि है वह पुलिस का दलाल है और जागरण वालों ने इसे निकाल दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, आपने बांके लाल जी को बोलने के लिये बुलाया था और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया था...

श्री उपाध्यक्ष---

जब नेता सदन बोलने के लिये खड़े होते हैं तो यही परम्परा रही है। वह उठकर खड़े हुए तो मैंने श्री बांके लाल जी को मना कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

उनको आप सुन लें वह बयान जब देंगे तो यह बिलकुल उल्टा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी आप कृपया बैठ जांय।

श्री बांके लाल---

मेरी बात सुन लीजिये। मैं उस क्षेत्र से आता हूं इसलिए मेरी बात सुन लीजिये कि असल बात क्या है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मामले को समझ लीजिये, यह जो आज कार्य स्थागन का प्रस्ताव आया है उसके औचित्य को मैं सुन रहा था और ओझा जी को बोलने का मौका दिया। उस सिलसिले में आप की भी बात आई थी। फिर मुख्य मंत्री जी ने एक बयान के रूप में उस बात को कहा। मुख्य मंत्री जी ने यहां से दो उच्च अधिकारियों को एक डी0 आई0 जी0 हरिजन सेल तथा दूसरे सचिव हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग श्री गंगाराम को भेजा है। जब वह रिपोर्ट आयेगी तो फिर आपको मौका मिलेगा।

श्री बांके लाल--

आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैं बोल रहा हूं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए, बाद में आपको मौका मिलेगा।

श्री बांके लाल--

मेरा नाम अनेक बार आया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मामला अभी समाप्त नहीं होता है। मुख्य मंत्री जी ने डी0 आई0 जी0 हरिजन सैल को भेजा है (व्यवधान) शांति रखें। दो उच्च अधिकारियों को मौका पर भेजा हुआ है सम्भवतः आज या कल वह आयेंगे और पूरी रिपोर्ट सरकार को वहां की मिल जायेगी। रिपोर्ट आने के बाद मैंने 30 तारीख निश्चित की है जिस दिन पूरा बयान सरकार की तरफ से आ जायगा और आपको सवाल पूछने का उस समय मौका मिलेगा। जहां तक कार्यस्थगन की बात है आप नियमों को जानते हैं। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव आज तक स्वीकार नहीं किया गया। मैंने देख लिया है कि कोई इस तरह की परम्परा नहीं है। जहां तक कार्य स्थगन प्रस्ताव का संबंध है इसको मैं अस्वीकार करता हूं, लेकिन जब रिपोर्ट आ जायेगी और वक्तव्य होगा तो आपको सवाल करने का मौका मिलेगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

व्यवस्था देने से पहले सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

जब पूरी रिपोर्ट आयेगी तो मौका आपको मिलेगा। 30 ता0 मैंने निश्चित की है उस दिन सरकार का बयान आ जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

एक मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको फिर मौका दूंगा। (व्यवधान) इसको मैं अस्वीकर करता हूं। (व्यवधान) अब मेरा निर्णय हो गया है और आगे नहीं सुनना चाहता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी एक प्रार्थना सुन लें इस आदरणीय सदन की एक समिति बनायें जो मौके पर जा कर देखे।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा, आपने जो बिजली पर प्रश्न उठाया है.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आप श्री मोहन सिंह जी का बयान दिलवायें जिनको मौके पर भेजा था माननीय गृह्य मंत्री जी ने अन्यथा सदन नहीं चलेगा ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्रीशारदा प्रसाद जायसवाल, श्री श्री नारायण एवं श्री बसंत आदि माननीय सदस्यों के सदन के मध्य खाली स्थान पर आकर खड़े होने और श्री मोहन सिंह का बयान दिलवाने की मांग करते रहने पर) ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगति करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित हुई । 1 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी। तदुपरान्त 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

नारायणपुर जिला देवरिया में घटी घटना के संबंध में चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

अभी सम्मान्य नेताओं की बैठक में यह तय हुआ है कि इस विषय को आज ही सरकार के बयान के बाद में समाप्त कर दिया जाय । वह दूसरे आइटम पर था, लेकिन अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी विषय को पहले ले सकते हैं । इसलिये मैंने इसको पहले ले लिया । नियम 52 में श्री गुलाब सेहरा ने भी दिया था उसको भी इसी के साथ जोड़े देता हूं । अब मैं पहले श्री बांके लाल जी को जिनके क्षेत्र का मामला है और जिनको पहले मैंने बुलाया था, बुला रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्री हरिकेवल प्रसाद ने नियम 51 में दिया था वह भी ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह सब एक साथ हैं। सब को एक साथ जोड़ दिया है ।

श्री बांके लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे क्षेत्र की घटना है । मैं उसका विवरण पूर्ण रूप से सदन को दे रहा हूं, सदन को उससे अवगत करा रहा हूं । 11 ता0 को नारायनपुर गांव की एक बुढ़िया जिसका बेटा और पतोहू दोनों समाप्त हो गये, दो सन्ताने हैं एक लड़की और लड़का, बुढ़िया सड़क को पार कर रही थी, एक गुप्ता हैं गोरखपुर के जिसकी आठ बसें चलती हैं उसकी बस से बुढ़िया दब कर मर गयी ।

बुढ़िया के मरने के बाद गांव के लोग वहां से 4 किलो मीटर थाना है कप्तानगंज कोई रिपोर्ट लिखाने थाने तक नहीं गये । न थानेदार ने ही उस बुढ़िया की लाश की परवाह किया । कई दिन के बाद 14 ता0 को गांव वालों ने गुप्ता की बस को रोकना शुरू किया । इसलिये रोकना शुरू किया कि गुप्ता धनवान आदमी है, बुढ़िया मर गयी उसके दो नाती हैं, उसके परिवार के लिये कुछ मुआवजा दे दे। बस रोकी थी 14 ता0 को मैं जा रहा था गोरखपुर बाजार, झांगा में पता चला कि मेरे क्षेत्र की एक बुढ़िया दब गयी है उसके बारे में झंझट हो गया है । क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला था इसलिये मै वहां पहुंचा । सड़क उत्तर दक्षिण में है । मैंने देखा कि

[श्री बांके लाल]

गांव के पूर्व की तरफ 3 हजार आदमी इकट्ठे हैं । हर नुक्कड़ पर ढेले और ककड़ पत्थर रखे हुये हैं और सड़क के पश्चिमी तरफ पी० ए० सी० का पहरा लगा हुआ है । पी० ए० सी० परेड कर रही है । सी० ओ० पडरौना, सी० ओ० हाटा सारे अधिकारी मौजूद थे । और बहुत बड़ा मसला वहां पर खड़ा हो गया था । ऐसा मालूम पड़ता था कि पी० ए० सी० तुरन्त गोली चला देगी गांव के लोग ढेला चलायेंगे । यह स्थिति आ गयी थी मैं पहुंचा तो सारे अधिकारी, सी० ओ० पडरौना सलेमपुर हाटा जो मौजूद थे इन लोगों से मैंने बात किया। बात करने के बाद सब अधिकारी मिलकर और गांव वाले भी, हम हाटा गये । गांव वालों ने कहा कि गुप्ता से हम लोगों की पंचायत कप्तान गंज में नहीं होगी हाटा में होगी । हाटा सब लोग गये । पंचायत हो गयी । तय हुआ कि 5 हजार रुपया गुप्ता बच्चों के नाम से फिक्सड डिपाजिट करेंगे गांव वालों ने कहा कि 3 हजार रुपया हम लोग जमा कर देंगे । 8 हजार रुपया उन बच्चों के नाम जमा हो जायगा । दस साल के लिए फिक्सड डिपाजिट हो जायगा । जब बच्चे बड़े होंगे तो वह उसको निकाल लेंगे ।

यह तय हो गया सारे अधिकारी चले गये मैं भी चला गया । गांव वालों से भी कहा की आप लोग भी चले जाइए । हम अपने घर चले गये । बाद में साढ़े आठ बजे कांग्रेस की एक मोटर हमारे घर पर पहुंची । कांग्रेस वालों ने कहा, बांकेलाल नारायनपुर के लोगों को थाने में पीटा गया है, मारा गया, है दाढ़ी नोची गयी है, पेशाब पिलाया गया है । बड़े लोग गिरफ्तार करके कप्तानगंज ले जाये गये। म भी मोटर में बैठकर नारायणपुर गया । जिस वक्त मैं पहुंचा, पुलिस हर रास्ते पर पहरा दे रही थी । मुझे देख कर पी० ए० सी० वालों ने रायफल तान ली और कहा कि आपको शूट कर दिया जायगा । हाटा और कप्तानगंज के दरोगा पूरे गांव में अपने साथियों के साथ लूट-पाट मचाये थे । मैं फिर कप्तानगंज पहुंचा जहां लोगों को थाने में बन्द कर रखा गया था । वहां मैंने देखा कि एक-एक आदमी को निकाल कर जूतों से पीटा गया, उनकी दाढ़ी नोची गयी, पानी मांगने पर लोगों को पेशाब पिलवाया गया, नमाज पढ़ने के वक्त लोगों को नंगा करके पीटा गया, उनकी गुदा में लाठी की गयी तथा गांव में पुलिस वालों ने जिस प्रकार लूट की तथा दुर्व्यवहार किया उसको मैं कह नहीं सकता ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जो बातें कही जा चुकी हैं, कृपया उनको न दोहरायें ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल--

ऐसा कांड हुआ है जिसे देख कर आज मानवता भी रोती है । पुलिस वालों ने जो पाप किये हैं उनको मैं कह नहीं सकता । मेरे ऊपर गांव वाले नाराज हो गये कि आपके रहते यह सब कैसे हुआ है । मेरे ऊपर कलंक लगा । मैं मजबूर था, मैं एम० एल० ए० से इस्तीफा तक देने को तैयार हूं । पुलिस वालो का अत्याचार वर्णन नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

*श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और इसमें दो तीन चीजें विशेष रूप से देखने की है। 14 तारीख को जब फैसले की बात हुई तो गांव वालों को हाटा बुलाया गया और वहां तय हो गया कि उस बुढ़िया को 5 हजार रुपये मुआवजे के रूप में दिये जायेंगे । गांव के लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फिर चले गये और थाने के अधिकारी भी थाने वापस चले गये। गांव के लोग हाटा बस स्टेशन पहुंच गये नारायणपुर जाने के लिये। उन लोगों को सिपाहियों द्वारा दोबारा थाने बुलवाया गया। उन लोगों से कहा गया कि आपके दस्तखत रह गये हैं। इस प्रकार थाने बुलवाकर उन लोगों को वहां पीटा गया। पिटायी करने के बाद उनको बन्द कर दिया गया और 14 ता0 की रात को ही साढ़े 10 बजे नारायणपुर गांव में पी0 ए0 सी0 और पुलिस पहुंच गयी। यह कितने शर्म की बात है कि पुलिस जो हमारी रक्षक होती है वही भक्षक हो गयी। मेरे पास 22 आदमियों की लिस्ट है जिनका सामान लूटा गया है। जिसमें मुनीर खां, रसीद खां सबने लिखा डिटेल्ड वाज लिखा है, एक छोटा सा बजाज था, पुलिस वाले उसके कपड़े उठा ले गये। न0 2 में लिखा है--ट्रांजिस्टर, बैट्री वाली लालटेन भी उठा ले गये। 23 व्यक्तियों को लूट मार कर उठा ले गये। उनकी पूरी सूची है कि हमारे घर से ले लिया गया। एक सबसे बड़ी बात है कि पुलिस पकड़ती वहां से 32 व्यक्तियों को। पकड़ा गया 32 व्यक्तियों को केवल पुलिस का भय व्याप्त कराने के लिये 395 की दफा लगाने के लिए नरायनपुर से पकड़ ले आये और आतंक जमाने के लिए।

एक हमारे मित्र सुरेन्द्र मिश्र हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर यह बात बताया। 10-11 वर्ष की बच्ची से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के साथ बलात्कार किया। मुझे केवल इतनी बात कहनी है कि मुख्य मंत्री जी ऐसी घटना हुई है, जो प्रदेश के प्रशासन के लिए अत्यन्त लज्जा की और कलंक की बात है। इस बात की पुनरावृत्ति हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जूडिशियल इन्क्वायरी-आप सेट-अप करें। जिन लोगों ने रक्षक के रूप से बदल कर भक्षक बने हैं, उनको सस्पेंड किया जाय, जिससे इस तरह के काण्ड दुबारा हों और नैतिक उत्तरदायित्व इस प्रशासन का यह है कि आज मैंने देखा दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत देखा कि यह उत्तर प्रदेश के शासन पर इतिहास में सबसे ज्यादा कलंक, घृणित काण्ड है। मैं तो यह कहूगां कि इस काण्ड पर ही जिसमें कि मानवता के नाम पर लोगों की बहन और बेटी की, हरिजनों की बहन और बेटी की रक्षा करने के बदले, रक्षा करने वाले लोगों ने इज्जत लूटा। इससे ज्यादा और निन्दा और लज्जा की कोई बात नहीं है। नैतिक उत्तरदायित्व आपका इतना है कि शासन से आपको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए।

(श्री मोहनसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपने बहस तो शुरू करवा दी।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, मुझे 2 मिनट का समय दे दिया जाय।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

2 मिनट का समय मान्यवर, मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपको दो मिनट दे दूंगा, तो और लोगों को भी दो-दो मिनट का तो समय देना होगा।

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आपको ख्याल होगा कि 25 तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने दिया था और आपने उसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था। उस दिन आपने उपेक्षा कर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछियेगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

हम घटनास्थल पर कल गये थे। मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दिन बांके लाल जी ने मुझे आकर बताया और मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, आपने उसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया और उसी दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस घटना को निराधार घोषित कर दिया कि जो घटना हुई है वह निराधार है कुछ उनमें तथ्य की बात माना, लेकिन घटना निराधार घोषित कर दिया। मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी भी वहां पर पहुंच गये और पहुंचने के बाद जो मान्यवर हमने वहां पर देखा श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज भी वहां आतंक है। लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तलाश रही है। आज भी 4 आदमी जेल के अन्दर बन्द पड़े हैं उनकी जमानत नहीं हुई है। श्रीमन्, यह 11 तारीख की घटना की शुरूआत हुई, जिसके बारे में हमने तथा हमारे अन्य साथियों ने कहा 11 तारीख की घटना के बाद 14 तारीख को जो हाटा में पंचायत हुई और पंचायत के बाद जिस तरह की पिटाई हुई.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सब कह चुके हैं, आप को प्रश्न पूछना है, तो बाद में पूछ लीजिएगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

नई चीज आपके सामने पेश करता हूं। यह जुम्मन खां ने बयान दिया था, जुम्मन खां मर गये लेकिन मनुमाखन उन्होंने बयान दिया था राजमपुर गांव है उसी के बगल में।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठें, सवाल बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठें।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी जो लोग आतंकित है, जेल में बन्द है उनको छोड़ने की घोषणा सदन में करें। दूसरी बात यह कहना है श्रीमन् सोमवरी नाम की बुढ़िया का जमनी पाण्डे का पैर टूट गया है, चारपाई पर पड़े है उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, आगे जो आप बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आप कृपया प्रश्न बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

सदन में जो नारायणपुर की हृदय विदारक घटना प्रस्तुत की है वह पूर्व के इतिहास से बड़ी शर्मनाक है।

श्री राम अधार—

इससे भी बड़ी-बड़ी हुई हैं।

श्री देव बहादुर सिंह---

यदि उस तरह की घटनायें होती है लोकतंत्र के रहते हुये तो हमें सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के रहते इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। पुलिस बदले की भावना से गांवों में जाकर बुढ्ढों की दाढ़ी नोचे सामूहिक बलात्कार करे यह घटना बदले की भावना के कारण घटी है। इसलिये हमारी मांग है का0 मुख्य मंत्री जी से की एस0 पी0 को तुरन्त मुअत्तल करे जो दरोगा है उनको भी तत्काल स्थानान्तरण करें और मुअत्तल किया जाय जो सिपाही है उनको भी मुअत्तल किया जाय। जो जिला जज हैं देवरिया के उनसे जांच कराई जाय और जांच कराने के बाद उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। जो बुढ़िया मरी है उसे भी सरकार अपनी ओर से कुछ अनुदान दे जिससे उसको कुछ राहत मिल सके। जिस बस के मालिक को बचाने के कारण पुलिस ने ऐसा किया है उससे पैसा वसूल करके उनको दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कृपया बैठिये।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर,

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

मान्यवर, आपने कहा था कि दो-दो मिनट देंगे। देवरिया मैं भी गया था। मान्यवर, 15 तारीख को मैं नरायनपुर पहुंचा गांव में सारे लोग गांव छोड़ि के भाग गई लेन रहै सारा इलाका विरावान पड़ल रहे। सारे भैंस बकरी सब बांय बांय करत रहलन। बड़ी मुश्किल से गांव के लोग टाट के आड़ से झांक कर देख कर हमका पहचानि लेहलेन तब आईलेन और बताईलेन के रात भर पुलिस और पी0 ए0 सी0 के जवान जवान लड़किन और पतोहुन के साथ बलात्कार कइलन। इनके बाद थाने में ले जाकर पिटाई की छोर फिर बंद करने के बाद पिटाई की। ऐसी दुखद घटना भइल। गांव वाले जब रपट लिखाने गये तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया। थाने में पता चला कि मृतक बुढ़िया के परिवार वालों को 5 हजार रु0 दिया जायेगा, उसको भी थानेदार लेकर खा गया। बताया गया था कि यह रु0 12 तारीख को दिया जायेगा 12 तारीख को जब रु0 नहीं दिया गया तो 14 तारीख को फिर गांव वालों ने बस को घेरा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप घटना को फिर दोहरा रहे हैं।

श्री श्रीनारायण---

इसके बाद जब थाने में गये तो हथकड़ियां मान्यवर, निर्दोष होते हुए डाल दीं। मान्यवर, हथकड़ियां डाली गयीं थी। कलेक्टर के पास गये। कलेक्टर को सब सूचना दी कलेक्टर से हथकड़ी बेड़ी काटने का हुक्म कराया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप केवल दो मिनट बोलने के लिए, चाहते थे, वह आपको दे दिया गया, अब आप कृपया बैठें।

श्री श्री नारायण---

मान्यवर, 12 दर्जन मुकदमे कायम हो गये हैं। वह मुकदमें लौटा लिये जाएं। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि यह सब के सब मुकदमें हटा लिये जायं।

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय। यह महिलाओं से संबंधित विषय है। मान्यवर, मुझे केवल दो मिनट का समय दिया जाये। आप पुरुषों को ही समय दे रहे हैं, आप पुरुषों का पक्ष कर रहे हैं।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहन सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से नरायणपुर की घटना के संबंध में सदन के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, जो मैंने देखा था और समझा था। इस संबंध में माननीय सदस्यों और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिये था। आज तक जो प्रथा चली आ रही है मान्यवर, कि शासन अपने अधिकारियों को भेजकर तथ्यों का पता लगाने के लिए कि मामला गलत है या सही उसके बाद वक्तव्य शासन के सामने रखा जाता है। इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझको भी आदेश दिया कि मैं भी वहां जाकर मामले की जांच करूंगा उनकी इस मन्शा के तहत जब मैं वहां गया तो विभाग के कुछ अधिकारीगण, श्री बांके लाल श्री भुलई भाई तथा अन्य सदस्यगण वहां पर मौजूद थे। अब प्रश्न यह उठता है, अध्यक्ष महोदय इस मामले को आम सहमति में होना चाहिये, मान्यवर, उसे अपनी-अपनी दलगत भावनाओं से नहीं लेना चाहिए क्योंकि देश में इस प्रकार की घटनाएं तो होती ही रहती है और बराबर होती रहेगी। इसलिए हम सब को मिलकर आम सहमति से एक रास्ता निकालना होगा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दुबारा न हो और शासन पक्ष में जो भी होगा उनको इन घटनाओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ऐसे मामलों पर आम सहमति रखनी चाहिए।

मामला मान्यवर, इस प्रकार है—हाटा थाने के अन्तर्गत लगभग 4 कि0 मी0 दूरी पर नारायणपुर गांव है। मान्यवर, गांव में टट्टी-पेशाब की कोई व्यवस्था तो होती नहीं है, वहां लोग गांव में कहीं पर टट्टी के लिए जाया करते हैं। 11 जनवरी को वह बुढ़िया टट्टी होकर वापस लौट रही थी, उसी समय एक गुप्ता की बस से कुचल कर मर गयी। फिर वहां पर कुछ गांव वाले एकत्र हो गये और उधर से आती हुयी दूसरी बस को रोक लिया और उससे पूछने लगे कि अभी जो बस आगे गयी है, उसका क्या नम्बर है और किसकी बस है। तो बड़ी मुश्किल में कंडक्टर ने बताया कि वह बस गुप्ता जी की है यह सुनकर वहां एक तूफान खड़ा हो गया। मान्यवर, वह बुढ़िया बड़े नृशंस ढंग से कुचली थी, जिसका धड़ अलग था और गर्दन अलग। इसके बाद गांव वालों ने थाने में जाकर इसकी इत्तिला दी। अफसोस जनक मसला अध्यक्ष महोदय यह है कि यह घटना प्रातःकाल की है। 4 किलोमीटर पर थाना है वहां पर गांववालों ने सूचना दी लेकिन वहां के अधिकारी, कर्मचारी आते हैं संध्या बेला पर पांच बजे और तब कहते हैं कि बस को किसने रोका उसे जाने दीजिये हम सब इंतजाम करा देंगे। गुप्ता जी और थानेदार जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, इनकी सांठ-गांठ से इतना विलम्ब हुआ। उन्होंने कहा कि बच्चों के रख—रखाव के लिए हम मुआवजा दे देंगे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दीजिये। उतने में उसका दामाद आ गया उसने कहा कि लाश दफनाने के लिए दे दी जाये इस पर गांव वालों ने चन्दा किया और लाश दे दी गई। दूसरे दिन लाश गई पोस्टमार्टम के लिए।

गांव वालों का कहना है कि उसके बाद जो पैसा कफन के लिए दिया गया था उसे पुलिस वालों ने ले लिया और रिक्शे वाले से कहा कि लाश को करुना नाले में फेंक दें और उनके सामने लाश नाले में फेक दी गई। दूसरे दिन कोई पुलिस वाला गांव मे नहीं पहुंचा, 13 तारीख को कोई नहीं पहुंचा तो गांव वालों ने सोचा कि कुछ होने वाला नहीं है इसलिये तय किया कि वे दूसरी बस को रोकें ताकि उसके उपरान्त मुआवजा ले लें। इसलिए सड़क पर ईंट व पत्थर लगा दिये और 6 बजे सुबह बस आ गई और उसे रोक लिया। उसके 2 घंटे बाद कप्तानगंज के इन्चार्ज मोटर साइकिल पर पहुंचे। जब उन्होंने बस रोकने का कारण पूछा तो गांव वालों ने कहा कि आपने आश्वासन दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर कुछ कहा सुनी हुई और जो मोटर साइकिल पर एक पुलिस वाला साथ था वह मोटर साइकिल लेकर भाग गया और दरोगा जी को गांवा वालों ने बैठा लिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गयी तो एस0डी0एम0 सलेमपुर श्री बी0के0 गुप्ता एक ट्रक पुलिस के साथ पहुंचे दूसरी तरफ से कप्तानगंज की पुलिस भी पहुंची और उसने हवाई फायर किया इसलिए कि उन्होंने सोचा कि दरोगा जी को गांव वालों ने गिरफ्तार कर लिया है उन्हें छुड़ाना है। इस पर दरोगा जी ने हाथ हठा उठाकर मना किया कि यहां स्थिति एकदम शांत है। एस0 डी0 एम0, हाटा, सी0 ओ0, सलेमपुर, सी0 ओ0, पडरौना भी आ गये। इतने में बांके लाल जी पहुंच गये, जैसा कि गांव वालों ने बताया। गांव वालों ने कहा कि इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, इस पर उनसे कहा गया कि आप लोग कप्तानगंज थाने चलिये लेकिन गांव वालों ने सोचा कि चूंकि दरोगा जी से झड़प हो चुकी है इसलिए हम लोग कप्तानगंज नहीं जायेंगे। तब एस0 डी0 एम0 हाटा ने कहा कि आप लोग हाटा चले चलिये। इसलिए वे लोग पंचायत करके मामले को तय करने के लिए हाटा पुलिस स्टेशन पहुंचे। सी0 ओ0 पडरौना मिस्टर महाबीर प्रसाद थे और कप्तानगंज की पुलिस थी। उन लोगों के सामने उस परिस्थिति में यह कहा गया गुप्ता जी से कि पांच हजार रूपया मुवावजा के रूप में वह दें। गुप्ता जी ने कहा कि हमारी बस से तो इस तरह रोज लोग मरते रहते हैं, इस तरह हम मुआवजा देते रहें तब तो हम इसमें बिक जायेंगे। उन्होंने कहा कि वह इसमें 300 रुपये दे सकते हैं। इस पर एस0 डी0 एम0 हाटा ने कहा कि हम इस रूट पर तुम्हारी बस चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी भी ऊपर जान पहचान है बस तो हम चला ही लेंगे, हम 300 रूपये से ज्यादा नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से गुप्ता जी ने एस0 डी0 एम0 हाटा और बांके लाल जी को पंच के रूप में माना। पंच निर्णय हुआ और तय यह हुआ कि 5,000 रु0 यह बच्चों के नाम से जमा कर दें और 3000 रुपये चन्दा करके बैंक में फिक्स डिपाजिट बच्चों के नाम कर दिया जाये और दोनों पास बुकें एस0 डी0 एम0 हटा के नाम जमा कर दी जायें। जब तक लड़के बालिग न हो जायें उनका पालन-पोषण इसके सूद से होता रहे। तो यह तय हुआ। तय होने के बाद अधिकारी और विधायक वहां से चले गये। हाटा और कप्तान गंज दोनों के सब इन्सपेक्टरों ने कहा कि कुछ लोग यहां रूक जायें पंचायत में आप लोगों के दस्तखत होंगे। 14–15 लोग रूक गये, शेष सभी लोग चले गये।

5 बजे के आस–पास जिस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार वहां पर उन लोगों के साथ हुआ वह अवर्णनीय है। माननीय सदस्यों ने स्वयं इस पर बहुत कुछ कहा मैं इस बारे में क्या कहूं। मैं सोंच भी नहीं सकता कि एक आदमी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ वह घृणित, बर्बर, अमानुषिक और नृशंस था। वहां से लोगों को लाद कर उसी रात कप्तानगंज पुलिस स्टेशन लाया गया। गांव के बचे हुये लोगों को यह खबर तक नहीं होने पायी कि इतने लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। पी0 ए0 सी0 गांव में देवरिया से आई हुई थी। काफी देर रूकने के कारण गांव वालों का पी0 ए0 सी0 से भाई चारा हो गया था। उन लोगों के लिये वहां भवरी पकाई जा रही थी, खाने का इन्तजाम हो रहा था। करीब 10 बजे के आस पास दोनों थानों हाटा और कप्तान गंज वहां पहुंचा तो उसने गांव वालों पर हमला कर दिया। वहां पर जो कुछ भी हुआ वह वर्णन से परे है। मैं वहां पर गया और मैंने उन लोगों के परिवार वालों से बातचीत की। उनकी बातें सुनकर माथा शर्म से झुक जाता है कि 20 वीं शदी में भी मनुष्य-मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। वहां से मार कर उन लोगों को कप्तानगंज के थाने में लाया गया वहां भी उनकी पिटाई हुई, औरतों की पिटाई हुई। कई बार कप्तान गंज के पुलिस इन्सपेक्टर के खिलाफ लिखा गया, बांके लाल जी ने भी लिखा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री ने उनके स्थानान्तरण के आदेश कर दिये। परन्तु अधिकारियों ने यह कहकर कि चुनाव चल रहे हैं, उनके तबादले को स्टे कर रखा। उन्होंने यह समझा कि चुनाव खतम हो गये हैं, उन्हें तो जाना ही है।

मुस्लिम आबादी का इलाका है वह। लोकदल के उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले हैं। यह झूठा आरोप है कि कांग्रेस आई0 को उस पोलिंग में अधिक मत मिले। चार

[श्री मोहन सिंह]

बार से बांकेलाल जी वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने इस बात को कहा कि सब इन्सपेक्टर जो है, उसने कांग्रेस (आई0) का प्रचार किया । जब से कांग्रेस (आई) की गवर्नमेन्ट दिल्ली में बनी हैं इन तमाम लोगों का उत्साह बढ़ा है और इस देश के अन्दर दिल्ली की सरकार जो मुकदमें कायम करा रही हे और उसके उकसाने पर कुछ अधिकारी इस तरह लिप्त और व्यवस्था की स्थित पैदा करके प्रदेश की सरकार को बदनाम करके, यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त करना चाहते हैं । इसलिये मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मानवता की दृष्टि से इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । और उन सभी लोगों के परिवारों जिनके साथ ऐसी घटनायें हुई हैं, पूरे सदन की हमदर्दी होनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, दो मिनट का समय दीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा---

मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक अक्षमता को छिपाने के लिये दूसरे दल पर मिथ्या आरोप नहीं बर्दाश्त किये जायेंगे ।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने मुख्यमंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न पैदा करें ।

*श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, महिलाओं से संबंधित विषय है, महिलाओं को बोलने दीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्रीमती मालती शर्मा---

मुझे केवल दो मिनट का समय दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बाद में पूंछ लीजियेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

पाण्डे जो पेमेंट क्लर्क थे उनको पुलिस ने पकड़ा और नंगा करके मारती हुई कप्तानगंज रामकोला ले गयी उनके मुंह पर चाय को फेंक दिया गया जिससे उनका मुंह जल गया। उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि उनकी सेवायें समाप्त न की जायें।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्रीमती मालती शर्मा---

मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये।

श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि इनको सुन लिया जाय।

श्रीमती मालती शर्मा---

मैं केवल दो मिनट में यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि जहां यह भी कांड हुआ है, इसमें मेरी आपसे इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों और विशेषरूप से महिलाओं से निवेदन है कि इस प्रान्त में अगर महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है और जो यह मांग की गयी है उनको निलंबित किया जाये, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। मैं कहती हूं कि उन अधिकारियों को सर्विस से निकालकर मुंह काला करके बाजार में उनका प्रदर्शन और जूलूस निकालना चाहिये।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

चोरी हो, डकैती पड़ जाये हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मान्यवर, 11 साल की बच्ची और जिनकी बहू बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाय वह बर्दाश्त के बाहर है। बलात्कार शब्द भी बुरा लगता है और सदन में बैठकर इस शब्द को सुनकर हमारा सर शर्म से नीचे झुक जाता है। मैं महिला सदस्यों से चाहे इधर की हों और चाहे उधर की हों, कहना चाहती हूं कि अगर इस प्रांत में महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि सदन में बैठें। मैं चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वीकार करें कि उन अधिकारियों को निलम्बित ही नहीं बल्कि नौकरियों से निकालकर उनका मुंह काला करके बाजार में जूलूस निकालकर प्रदर्शन करना चाहिये।

*श्री दीप नारायण (जिला गोण्डा)---

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि देवरिया जिले में इतना बड़ा कांड हो गया तो क्या मुख्यमंत्री जी बतायेगे कि, जबकि मंत्रिपरिषद् के सदस्य भी इस तरह बात कह रहे हैं, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध ट्रिब्युनल में मुकदमें न दर्ज करके पहले उनको लाइन हाजिर करके उनके विरूद्ध क्रिमनल ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें दायर करें और जेल भेजना चाहिये। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी राय और मंत्रि परिषद् की राय दूसरी है। इसलिये मुख्यमंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्रिमिनल ऐक्ट के अनुसार मुकदमें दायर करके कार्यवाही करेंगे वरना हम सदन नहीं चलने देंगे।

श्री बनारसी दास---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त खेद का विषय है कि नारायणपुर में इस तरह की घटना घटी जिसपर इतने माननीय सदस्यों का चिन्तित, उत्तेजित होना आक्रोश व्यक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]--

करना बड़ा स्वाभाविक है। इस बात की आवश्यकता है कि शासन में जो पुलिस कर्मचारी हैं वह उत्तेजना में भी संयम से काम लें और स्वयं ही वह कानून को अपने हाथ में न लें। श्रीमन्, प्रातःकाल भी मैंने यह आश्वस्त किया था कि इस संबंध में कठोर कार्यवाही की जायेगी। जब मुझे पता चला तो उसी समय मैंने थानेदार को सर्व प्रथम लाइन हाजिर किया।

(व्यवधान)

आप लोग सुने तो। यह तरीका गलत है कि सदन में शोर मचायें। शोर मचाने में इस पर मैं वक्तव्य देने को तैयार नहीं हूं। आप लोग यहां बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं और हंगामा करके हमदर्दी का इजहार करना चाहते हैं? तो इससे काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांति पूर्वक मुख्यमंत्री जी की बात को सुनें।

श्री बनारसी दास--

तो जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने श्री मोहन सिंह की तलाश किया लेकिन वह मुझे नहीं मिले। इसलिए मैंने डी0 आई0 जी0 हरिजन और सचिव, हरिजनों वहां की स्थित मालूम करने के लिये भेजा। श्री मोहन सिंह से मैंने फोन पर सम्पर्क किया और कहा कि वह भी स्वयं इस घटना को देखें। श्री मोहन सिंह को सुबह मैंने बुलाया, तो उन्होंने मुझे तमाम घटना से अवगत कराया। वास्तव में जिस तरह से श्री मोहन सिंह ने मुझे बताया वह मुझे जानकर दुःख और आश्चर्य हुआ। परसों ही मैंनें वहां के कप्तान के ट्रान्सफर के आदेश दे दिये थे। मुझे मालूम हुआ कि कल तक वह आदेश पहुंचे नहीं थे। मैंने यह भी कह रखा है कि पुलिस कप्तान को किसी जिले का चार्ज न दिया जायें और उनको तुरन्त हटाया जाय। अब सुबह श्री मोहन सिंह ने वहां की स्थित के बारे में मुझे बताया तो मैंने निश्चय किया कि हाटा के और कप्तानगंज के दोनों एस0 ओज0 को सस्पेंड किया जाय।

(व्यवधान)

आप लोग विधान सभा के सदस्य हैं तो कम से कम नियमों का तो आप लोगों को ज्ञान होना चाहिये, ऐसा न हो कि विधान सभा के सदस्य होकर भी नियमों से अनभिज्ञ रह जायें। लोकतन्त्र में श्री दीपनारायण पाण्डेय को विश्वास है तो जैसे भिंडर को लेकर जो काम किया है वैसा मेरा, विश्वास नहीं है। अपराधी भी हैं तो ऐसा नहीं किया जायगा कि उनको नारायणपुर जाकर पेड़ में बांधकर फांसी लगा दी जाये। लोकतंत्र में कुछ प्रक्रिया है। इसलिये मैंने कहा कि एस0 ओज0 को सस्पेंड किया जाये और निष्पक्ष जांच हो सके इसलिये डिस्ट्रिक्ट जज इस घटना की जांच करकें अपनी रिपोर्ट दें और दफा 32, दफा 395 की कार्यवाही जो की गयी है उसको स्थगित रखा जाये और जो बुढ़िया मर गयी है उनके बच्चों को अगर अबतक गुप्ता एण्ड कम्पनी ने 5 हजार रुपये जमा नहीं किये हैं तो उनसे हम जमा करायेंगे और पांच हजार रुपये जमा नहीं हुये तो सरकार की तरफ से उनको दिया जायगा और अगर पांच हजार रुपये गुप्ता एण्ड कम्पनी ने दे दिये तो दो हजार रुपये सरकार की तरफ से उनको दे देंगे।

जिला जज की जांच के परिणामस्वरूप अगर यह मालूम हुआ कि कोई लूटा गया है..

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

दो मर गये हैं...

श्री बनारसी दास--

उसके बारे में मालूम हो, कौन व्यक्ति मरा, किन परिस्थितियों में मरा और अगर मरा तो कौन व्यक्ति जिम्मेदार है उनके ऊपर जांच के बाद प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है। उनके परिवार के लोगों की मदद भी जांच करने के बाद कर सकते हैं। जो कान्सटेबिल, जो अधिकारी, इसमें दोषी पायें जायेंगे उनको निलम्बित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

जैसा मैंने कहा यह सही बात है कि मुझसे शिकायत लारी साहब ने की थी, मोहन सिंह जी ने की थी और विधायकों ने की थी, एस0 पी0 के बारे में। चुनाव शुरू हो गया था मैंने ट्रान्सफर की कार्यवाही उचित नहीं समझी। जब यह घटना मेरे सामने आयी, इस प्रकार की घटना कहीं पर भी हो उस पर सख्ती की जानी चाहिये और यह आप से कहना चाहता हूं कि एसा वातावरण भी पैदा होना चाहिये कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन यह भी हमको देखना होगा खासतौर से जहां सड़क पर दुर्घटना होती है कि वहां पर लोग कानून को अपने हाथ में न लें वरना तो फिर उनको लगाना भी मुश्किल हो जायेगा। इसके बारे में हम सख्त आदेश दे रहें हैं। पहले तो पुलिस के लोग इस प्रकार से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, इस तरह से लोगों को उत्पीड़ित न करें। जो घटना हुई है वह वास्तव में लज्जाजनक है। मुझे इस बात का खेद है कि वहां के कुछ थाने के लोगों ने जैसा मोहन सिंह जी ने बताया इस प्रकार का बर्बरता पूर्ण कार्य किया। जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ एक्सन भी लेना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि सदन इसे प्रकाश में लाया। यह सदन सजग प्रहरी भी है जनता के अधिकारों का अगर अतिक्रमण होता है, उन पर उत्पीड़न, शोषण होता है तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और शासन भी इस प्रकार के सदस्यों के प्रति अत्यन्त कृत्घन है क्योंकि इस तरह की घटनायें जब शासन के नजर में नहीं आती है। एक तरफ तो अधिकारी लोग अपना वर्सन रखते हैं तो फिर उसमे कठोर कार्यवाही या किसी प्रकार का स्वार्थ सरकार की तरफ से नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनको हम पुरस्कृत करें और जो इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग या उत्पीड़न करते हैं उनको सख्त सजा दी जाये। मैं मालती शर्मा जी की तकलीफ महसूस करता हूं कि एक नारी प्रश्न हैं। मैं उनको आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और सम्मान की रक्षा के लिये पूरा प्रयास किया जायगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैं नम्र निवेदन आपके द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी से करूंगा कि हम लोगों ने बहुत गम्भीरता से इस मसले को उठाया। मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत विद्वान है पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर को भी जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन जो निर्णय करता है वह यहां के लिये इस देश की जनता के लिये है। मोहन सिंह जी ने तथ्य दिये घटना के बारे में और तथ्य देने के बाद मा0 मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। जुडीशियल इन्क्वायरी का औचित्य इसके बाद नहीं रह जाता। मान्यवर, जुडीशियल इन्क्वायरी का प्वाइन्ट आफ रिफरेन्स क्या होगा। मा0 मोहन सिंह जी मंत्रि मण्डल के सदस्य हैं उन्होंने घटना का वर्णन कर दिया वर्णन के बाद हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि हमको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने जो फैसला सदन के सामने

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर---]

अपना सुनाया उसमें हमारी भावनाओं को काफी एकमोडेट किया गया है लेकिन उनसे मैं एक बात अवश्य जानना चाहूंगा कि जूडीशियल इन्क्वायरी का रिफरेन्स क्या होगा। अगर जूडीशियल इन्क्वायरी के बाद मोहन सिंह के बयान के खिलाफ निर्णय दिया गया तो मोहन सिंह का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो वह देख लेंगें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं। उनके आधार पर हम मुकदमें कायम कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। मेरा पुनः मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक मंत्री ने घटना के संबंध में सदन के सामने बयान दिया है और मुख्यमंत्री जी उस संबंध में आश्वासन दे चुके हैं कि अब जूडीशियल जांच होगी। मेरा निवेदन है कि अब जुडीशियल इंक्वायरी का औचित्य नहीं है। मोहन सिंहजी ने जो बयान दिया है सदन के सामने उसी के आधार पर निर्णय लिया जाय और मुकदमें कायम किये जायें क्योंकि अगर जुडीशियल इन्क्वायरी का फैसला उल्टा हुआ तो मोहन सिंह जी का क्या होगा ?

*श्री उदित नारायन (जिला हमीरपुर)---

मान्यवर, जिस घटना के संबंध में इस सम्मानित सदन के सामने चर्चा हुई उसके दो पहलुओं की तरफ मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे मित्र हरिकेवल जी ने बतलाया कि उस बुढ़िया के अलावा दो हत्यायें हो भी गयी पुलिस द्वारा मारपीट के दौरान। अगर यह सही है तो संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों या अन्य लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमे कायम हुये या नहीं और इब्तदाई रिपोर्ट लिखाई गई या नहीं ? फिर जिस आदमी ने बुढ़िया को कुचला उसके लिये तो मुआवजा देंगे ही जो कि सिविल रेमिडी है लेकिन फौजदारी का मुकदमा उसके खिलाफ कायम किया या नहीं यह भी देखने की बात है। दो आदमी मर गये हैं तो थाने में 302 के अर्न्तगत रिपोर्ट होनी चाहिये और उसमें जो भी जिम्मेदार हों उस अपराध के करने में उन सबके खिलाफ नामजद रिपोर्ट होना चाहिये और उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलना चाहिये।

*श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)---

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि जिला जज द्वारा जांच कराई जाय यह बहुत अच्छा है। सारे गांव से पूंछकर कि कौन अपराधी है, किस व्यक्ति ने क्या अपराध किया, कौन जिम्मेदार है उस अपराध के लिये, किस आदमी ने उस अपराध को अपने आंख से देखा है पहले यह निश्चित होना चाहिये। इसलिये रिफरेन्स यह होना चाहिये जज साहब को कि जो अपराध हुये हैं उनके लिये कौन कौन जिम्मेदार हैं किन-किन के सामने यह घटनाएं हुई है ताकि उसके आधार पर रिपोर्ट लिखकर मुकदमे चलाये जायें तभी मुकदमे ठीक से चल सकेंगे और अपराधी दण्ड पा सकेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

व्यवस्था का प्रश्न है। इसके लिये कोई समय भी है। (व्यवधान)

मान्यवर, इसको कितना लम्बा चलायेंगे। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ;..... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बयान दिया और आपने स्वीकार किया कि वह गलत है तो मैं जांनना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के कारण मुख्य मंत्री जी को गलत बयान देना पड़ा है , उनके विरुद्ध वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, माननीय तोमर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसके संबन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह भी मान लिया जाय कि लोगों को अभियुक्त बनाकर भेजा जाय तो इसका निर्णय भी न्यायालय ही करेगा और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि जो गिरफ्तारी की गई थी वह गलत थी। मोहन सिंह जी ने तो घटना पर प्रकाश डाला है कि किसने ऐसा किया है और कितने व्यक्ति दोषी थे। जैसा शारदा भक्त सिंह जी ने कहा है कि कौन व्यक्ति दोषी है इसका कोई न कोई निर्णय जब तक कोई अधिकृत अधिकारी नहीं करेगा तब तक कैसे कोई मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। माननीय उदित नारायण शर्मा ने कहा जहां तक इस ड्राइबर का सवाल है 2-3 दिन बाद उसका मुकदमा दायर किया गया और 279/304 का मुकदमा जारी कर दिया गया है।

इसके अलावा जिन दो व्यक्तियों के मरने का वे जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में हम मालूम करेंगे कि उनके संबन्ध में एफ0 आई0 आर0 लिखाई या नहीं। यदि नहीं लिखाई तो हम आदेश देंगे कि कौन-कौन दो व्यक्ति मारे गये और किसकी ज्यादती से मारे गये। उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। मुझे तो नेताओं ने कहा था कि इसकी जांच वहां के कमिश्नर से कराई जाय किन्तु मैंने जिला देवरिया के जिला जज को यह सारी घटना दे दी है। मैं यह भी नहीं चाहता किसी अभियुक्त की साक्षी के लिये हमारा मंत्रि-परिषद का कोई सदस्य न्यायालय के कटघरे में जाकर खड़ा हो। यह मंत्रि-परिषद के किसी सदस्य का काम नहीं है। फिर वहांपर क्रास एक्जामिनेशन भी होगा। आप यह भी जानते हैं कि वकील लोग किस तरह से अभियुक्तों की पैरवी करने में कुशल होते हैं। इस पर जज का निर्णय क्या होता है। इसलिये श्री मोहन सिंह जी ने जो घटना की उसके ऊपर प्रकाश डाला है। उसके आधार पर आगे जांच करायी जायेगी, जो दोषी होंगे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जायेगा। प्रागदर्शन में एस0 पी0 ने असावधानी बरती वह क्यों नहीं तुरन्त पहुंचा। इसलिये उसका ट्रान्सफर कर दिया और थानेदार जो कप्तानगंज और वहां के दोनों को निलम्बित कर दिया गया और उसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रागदर्शन में मालूम होगा कि दोषी है, उसको निलंबित करके उसके उपर मुकदमा चलाया जायेगा और किसी को माफ नहीं किया जायेगा। मुझे आशा है कि जो कार्यवाही की गई है उसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि और अधिक कार्यवाही करना संभव नही है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है .....

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना श्री राम सजीवन ने प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लाखों छात्रों को छात्रवृति न दिये जाने के संबन्ध में दी है, इसको मैंने अस्वीकार किया है।.....(व्यवधान)

प्रदेश में डीजल की कमी के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मुझे दो मिनट का समय दे दें। कल माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। 25 तारीख को माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी ने डीजल के अभाव के संबन्ध में लिखकर नियम 301 में एक सवाल उठाया था और उसे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया था। प्रदेश में डीजल का घोर संकट है। आज तीन दिन हो गये हैं और प्रदेश में 3 हजार ट्रकें डीजल के अभाव में रुक गई हैं।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]--

माननीय सिचाई मंत्री के हिसाब से करीब 6 लाख पम्पिंग सेट डीजल के अभाव में बन्द पड़े हैं। पूरे के पूरे प्रदेश का कारोबार और सिचाई के काम ठप्प पड़े हैं। हमें पता लगा है कि एक लाख डीजल प्रदेश सरकार ने मांगा था और केन्द्र सरकार से केवल 50 हजार टन दिया गया और उसमें भी 50 हजार टन केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी मध्य प्रदेश से जीतकर आये ह उत्तर प्रदेश का कोटा काट कर मध्य प्रदेश को दे दिया। तो यह हमारे साथ सौतेला व्यवहार केन्द्र सरकार कर रही है ताकि यह साबित हो कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को डीजल नहीं दे पा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा जो मध्य प्रदेश से जीत कर आये हैं उत्तर प्रदेश का कोटा काटकर मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं और वह वहां बतायें कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ गयी है और यह सदन समझ गया है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार करके मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है। इसे यहां के लोग बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रामआसरे वर्मा जी, आपने भी इसी में दस्तखत किये हुये हैं। आप अलग से और क्या कहना चाहते है ?

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, उनके खिलाफ जनसंघर्ष करना चाहिये इस सौतेली नीति के विरुद्ध। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को आश्वासन दें .....

श्री उपाध्यक्ष--

आप फिर वही दोहरा रहे हैं, आप बैठे।

श्री गुलाब सेहरा--

यह औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं या भाषण दे रहे है।

श्री राम आसरे वर्मा--

इससे हर आदमी चिंतित है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो भावना व्यक्त की है उसके साथ में अपने को जोड़ते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर क्या कदम उठाने जा रहे हैं, सदन को उससे अवगत करा दिया जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी अक्षमता जाहिर करते हैं तो यहां सदन के सारे सदस्य ....

श्री उपाध्यक्ष--

वह दिल्ली जा रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

अगर वह अपने को अक्षम पा रहे ह तो यह सदन निर्णय ले और हम पार्लियामेन्ट के सामने धरना देगें और यह जो व्यवहार किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कन्द्र को अवगत करा दें और प्रदेश के लिये डीजल उपलब्ध करायें।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री श्यामधर मिश्र के बड़े होने पर)

मिश्रा जी, क्या आपको इसी सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैंने केवल इतना कहना है, मैंने लिखकर भी दिया है कि दो तीन महीने पहले 80 हजार या एक लाख टन हमें डीजल का कोटा मिलता था लेकिन अब क्या हो गया है कि केवल 50 हजार टन ही दिया गया और जैसा शतरुद्ध प्रकाश जी ने यहां का कोटा काटकर मध्य प्रदेश को दे दिया गया। मुझे सूचना मिली है कि यहां के गल्ले को भी आंध्र प्रदेश को दे दिया गया और दूसरे प्रदेशों को दे दिया गया तो उसमें यह कारण तो नहीं है कि श्रीमती गांधी रायबरेली से अब आंध्र प्रदेश चली गई हैं। इसीलिये तो नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको यहां कहने की जरूरत नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र --

उनको प्रेम अब उत्तर प्रदेश से कम हो गया है। हम लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी आन्दोलन करें हम लोग उनके साथ हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कल साढ़े नौ बजे प्रातः काल मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन पेट्रोलियम मंत्री जी ने बुलाया है....

इस वक्त हमारे सूबे में डीजल आयल की कमी की वजह से स्थित बड़ी चिन्ताजनक है। हमारे प्रदेश में 8 हजार के लगभग डीजल आयल से चलने वाले पंपिग सेट हैं। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में जब 110 लाख हैक्टेयर रबी की फसल के अन्दर बुआई हुई थी। इस बार चूंकि प्रकृति ने थोड़ी मदद भी की और पहले का कुछ तेल भी बाकी था तो इतने क्षेत्र में सिचाई हो पायी लेकिन इस माह के अन्दर जो तेल का आंबटन आज 28 तारीख है, कुल 70 हजार टन का हुआ था लेकिन उपलब्ध हमें 50 हजार टन से भी कम हुआ। नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में हमारे प्रदेश को 1 लाख टन 10 हजार टन डीजल आयल का आबंटन किया गया था। मंत्रालय का कहना था कि पर साल जितना हम को मिला था उससे हम आपको थोड़ा अधिक देंगे।

श्रीमन आपको विदित होगा कि गत वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण प्रदेश की सड़कें टूट गयी थी और किसानों को भी पानी की कम आवश्यकता थी। इसलिये परसाल तेल कम मिलता था लेकिन इस वर्ष हमारी आवश्यकता 1 लाख 50 हजार टन की है। इसमें से 90 हजार टन तो केवल कृषि के लिए ही है और फिर आजकल गन्ने को ले जाने के लिये ट्रकों को डीजल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सूखे की स्थित है। जिलों में जगह-जगह अन्न को पहुंचाने के लिए भी डीजल आयल की आवश्यकता होती है।

यह सही बात है कि मैं पेट्रोलियम मंत्री से मिला भी था। उन्होंने इस बात की व्यवस्था की क्योंकि बैरोनी की रिफाइनरी बन्द है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि बम्बई या पश्चिमी तट से रेलों द्वारा जो तेल भारी मात्रा में उपलब्ध हो वह उत्तर प्रदेश में भेजा जाय। रेल मंत्रालय से भी मेरी बात हुई और हमारे लिए एक रैक आया भी लेकिन यह सही बात है कि वह झांसी के पूर्व ही मध्य प्रदेश की ओर चला गया। मैं यह नहीं मानता हूं कि पेट्रोलियम मंत्री इस बात से चिन्तित नहीं है। आज प्रातः ही उन्होने मुझे फोन भी किया और अनुरोध किया कि मैं स्वयं इस मीटिंग में कल जाकर बात करूं क्योंकि इस वक्त जो तेल हमें उपलब्ध है उससे हमारे यहां के पम्पिग सैट्स एक महिने में 8 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकते हैं।

दूसरी कठिनाई हमारी यह है कि इस सूबे में बड़ी रिकार्ड पैदावार हुयी थी। गेहूं बड़ी मात्रा में सरकार ने प्रोक्योर भी किया। हमारा गेहूं फूड कार्पोरेशन द्वारा आसाम और बंगाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

को भेजा जा रहा है कि और हमें कहा जाता है कि हम अपने लिए गेहूं पंजाब और हरियाणा से लें तो कही कहीं पर बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे मिर्जापुर और बनारस के लिए हमने मुख्य सचिव से कहा है कि वे फूड कार्पोरेशन के गोदाम से रिक्विजिशन करके अपने जिला तक गेहूं पहुंचायें ताकि कोई संकट न आने पाये। कल दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है। तो इस समय सदन के माननीय सदस्यों ने जो चिन्तायें व्यक्त की है। भावनायें व्यक्त की है सभी चाहते है कि डीजल का ही ज्यादा से ज्यादा आवंटन हो उसमे उन्हे मै रखूगां। यह भी सही बात है कि स्लैक कोयला कोई एक गत 1 महीने से नहीं आया है। हमारे यहां जलाने वाले ईंधन की भी स्थित खराब है। हमें कोयला भी 1/3 से ज्यादा नहीं मिलता है जिसके कारण एक दिन के लिए हमें अपना हरदुआगंज का पावर हाउस भी बन्द करना पड़ा था। फैजाबाद में में भी बन्द करना पड़ा था।

हमने अनु ोध किया कि कम से कम एक हफ्ते का कोल रिजर्व में रहें। यह जी आप लोगों को चिन्ता है कि कल मैं जा रहा हूं जरूर रखू ंगा। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हमारी मदद करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

नारायणपुर वाले मामले पर 30 तारीख को बयान देने की बात थी वह बयान आज हो चुका। अब उसकी आवश्यकता नहीं है।

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने तक लोक दल की सरकार थी केन्द्र में। पिछले महीने ये जो आर्डर पेश किया गया है बाहर से डीजल आता है क्या लोक दल की सरकार ने आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसका आर्डर प्लेस किया था? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो डीजल मिला है उसका वितरण जिलेवार क्या है?

श्री बनारसी दास--

श्रीमन, मैंने तो केन्द्र पर कोई दोष नहीं दिया बल्कि जो भी सरकार थी, लोकदल की सही हमने उससे अनुरोध किया, एक लाख दस हजार टन दिया जाय। अब केन्द्र सरकार की कठिनाई हो सकती है, उन्होंने एक साथ 40 हजार टन की कटौती कर दिया। (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)

कौन सी तारीख को कट हुआ?

श्री बनारसी दास--

यह अभी नयी मंत्री परिषद् आयी, शायद पैट्रोलियम मंत्री ने कर दिया, श्री सेठी ने (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

यह बात स्पष्ट नहीं हुयी कि कटौती किस तारीख को हुई। 14 तारीख को चौधरी साहब का प्रधान मंत्रित्व समाप्त हुआ। कटौती 14 ता0 के पहले या बाद में हुई है यह चाहता हूं।

श्री बनारसी दास--

मैंने अर्ज किया है, मै तो पैट्रोलियम मिनिस्टर से मिला (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया सदन में शान्ति रखें।

श्री बनारसी दास---

माननीय रियासत हुसैन जानते है, लोक तंत्र की परम्परा। 9 ता0 को रेजल्ट निकलने के बाद मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया, कोई कार्य नहीं कर सकता था। लेकिन मैं तो मिला, सेठी जी ने मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 हजार टन की यह कटौती करना गलत है और आश्वासन दिया कि 20 परसेंट और देने के लिए। राम रतन जी ने जो प्रश्न किया, जिलेवार मुझे जबानी याद नहीं है। लेकिन हमने एक सिद्धान्त रखा था कि जो ट्यूबवेल है उनको एक महीने के अन्दर 100 लीटर दे देंगें और ट्रैक्टर है उनको 200लीटर दें। इस हिसाब से जो 1 लाख दस हजार टन था उनका आवंटन किया। इस वक्त मुझे जबानी याद नहीं है कि हर जिले मे कितना आवंटन किया हुआ। लेकिन आप कहेगें तो यह सब सूचनायें आपको दे दी जायेगी।

श्री राम रतन सिंह---

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो एलाटमेन्ट किया है और आदेश दिये है उनकी अवहेलना अधिकारियों ने की है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही को जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप मुख्य मंत्री जी से मिल लीजियेगा।

श्री बनारसी दास---

अगर अवहेलना की है और आप मुझे बतायेगें तो जरूर कार्यवाही करेंगे।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां†

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)---

मान्यवर मैं आप की आज्ञा से दिनांक 31 अगस्त, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित: वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की---

(1) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7305। दस-6(32)-75-उ0प्र0 अधि0 15-48-आदेश-79, दिनांक 31 अगस्त, 1979।

(2) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-8221/ दस-9-(213)-77-उ0 प्र0अधि0 15-48 आदेश-1979, दिनांक 31 अगस्त, 1979,

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-8222 दस-9-(213)-77-उ0प्र0 अधि0 15-48 आदेश 79, दिनांक 31 अगस्त, 1979,

(4) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-82/दस-9 (213)-77-उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश 79, दिनांक 31 अगस्त, 1979 एवं

(5) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-8224।दस-9-(213)-77- उ0प्र0 अधि0 15-48-आदेश-79, दिनांक 31 अगस्त, 1979 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

[श्री मुख्तार अनीस]—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग 2 की दिनांक 31 अगस्त, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-8225/दस 9 (213)/77 उ0प्र0 अधि0 15-48-आदेश 79, दिनांक 31 अगस्त, 1979 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग 2 की दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित—

(1) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0 2-10852/दस-6-(23)/79, उ0प्र0 अधि0 15-48 आदेश, 79,/दिनांक 7 दिसम्बर, 1979,

(2) विज्ञप्ति सं0 एस0टी0 2-10853/दस-6 (23)-79, उ0 प्र0 अधि0 15/48 आदेश-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 एवं

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0 2-10854/दस 9(213)/79, उ0प्र0 अधि0 15/48-आदेश 79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 7दिसम्बर, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-10855/दस-6 (23)/79-उ0प्र0 अधि0 15/48 आदेश-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-घ की उप धारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 †

राज्य वन मंत्री श्री गोविन्द सिंह मेहरा (1)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 8535/14-2-22 (4)-2-67 दिनांक 14 नवम्बर, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 से संबंधित शुद्धि पत्र †

संसदीय कार्य एवं वित्त राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस0 आर0 2663 दस-50 (11)-77, दिनांक 28 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979, जो दिनांक-30 अगस्त, 1979 को सदन के पटल पर तथा दिनांक 31 अगस्त, 1979 को सदन की मेज पर रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या एस0 आर0-5632/दस-500(11)-77, दिनांक 20 दिसम्बर, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

नगर महापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, 1974†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हरीकिशन श्रीवास्तव)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नगरपालिका अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 4924 बी/11-6-74-256-73, दिनांक 26 अगस्त, 1974 द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका लखनऊ, चुंगी नियमावली, 1974, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की कालावधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नही हुई तथा जो पुनः सदन के पटल पर 28 जुलाई, 1975 को रखी गयी परन्तु षष्ठ विधान सभा के विघटन होने के कारण पुनः अपनी निर्दिष्ट कालावधि नही पूरी कर सकी थी, को विलम्ब के कारणों सहित पुनः उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उप धारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 1979†

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 3800-टी/तीस-4-6-पी-79, दिनांक 8 अगस्त, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 1979†

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 4732 टी/तीस 4-18 बी-79, दिनांक 24 अगस्त, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1977-78 (वाणिज्यिक), 1977-78 (सिविल), वित्त लेखे 1977-78 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे 1977-78‡

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (मुख्तार अनीस)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1977-78 (वाणिज्यिक) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1977-78 (सिविल) वित्त लेखे 1977-78 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे 1977-78 उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के कृषकों की फसल को कुछ अराजक तत्वों द्वारा बरबाद किये जाने के संबध में वक्तव्य

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बरई मानपुर में राधा कृष्ण का एक मन्दिर है जिसके साथ 29 बीघा 12 विस्वा जमीन लगी हुई है और उसकी आय से इस मन्दिर का खर्च चलता है। मन्दिर के सरबराहकार श्री श्याम दास है: और बरई लोग इस भूमि पर पान

---

†छापी नहीं गयी।

‡छापा नहीं गया।

[श्री सत्य देव त्रिपाठी]

की खेती करते हैं और मन्दिर को लगान देते हैं। इस बार मन्दिर के संरक्षक बाबा ने जब पहले से अधिक लगान मांगा तो बरई लोगों ने इसे देने में आपत्ति की। इस पर बाबा ने करीब 12 बीघा भूमि जो पान की खेती की अतिरिक्त खाली पड़ी थी, पर दिनांक 27-7-1979 को ज्वार बुवा दी।

2--बरई लोगों का कहना है कि चूंकि लोग पूरी भूमि का लगान देते है इसलिए खाली पड़ी भूमि भी उनके कब्जे में है। बाबा का कहना है कि जितनी भूमि ये लोग पान की खेती करते है उतनी ही भूमि का लगान इनसे लिया जाता है, न कि पूरी भूमि का। तहसील के अभिलेखों में इस भूमि पर पान की खेती होना अंकित है, किन्तु किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा दर्ज नहीं है जांच से बाबा द्वारा बरई लोगों के पान के खेत उजाड़ने अथवा उन्हें तंग करने की बात सही नहीं पाई गई। इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई अभियोग भी थाने पर पंजीकृत नहीं कराया गया है। शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से पुलिस द्वारा दोनों पक्ष के कार्य कलापों पर दृष्टि रखी जा रही है। दिनांक 3-8-79 को इस सम्बन्ध में मन्दिर के सरबराहकार श्री श्याम दास ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा के न्यायालय में एक इस्तगासा भी दायर कर दिया है। यह कथन सही नहीं है कि गांव में शांति व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं है और असामाजिक तत्व निर्बल वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं।

3--भूमि मन्दिर की होने के कारण बरई लोगों को शासन द्वारा उसका पट्टा दिया जाना और उस पर कोई प्रशासक नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध मे काविज काश्तकार सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार घोषित करा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

मान्यवर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर स्पष्टीकरण नहीं होता।

श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी गांव में ...

श्री उपाध्यक्ष--

यहां यह प्रक्रिया नहीं है कि इस पर स्पष्टीकरण की इजाजत आपको हम दें। आप मंत्री जी को लिख कर भेज दीजिएगा।

ग्राम कुण्डेश्वरी, जनपद नैनीताल में भंडार गृह निर्माण हेतु राज्य भण्डारागार निगम द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत हुई चर्चा में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में संशोधन वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

ग्राम कुण्डेश्वरी, जनपद नैनीताल में भंडार गृह निर्माण हेतु राज्य भण्डारागार निगम द्वारा खरीद गई भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 8 मई, 1979 को सदन में श्री कृष्ण वीर सिंह कौशल द्वारा उठाए गए प्रश्न [illegible] का उत्तर देते समय यह कहा गया था कि "तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार 66 रुपये वर्ग मीटर पड़ता था जब कि यह जमीन 71 रुपये 66 पैसे के हिसाब से पड़ता था।"

उक्त आंकड़ों में कुछ गलती हो गई है। सही स्थिति इस प्रकार है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार 74 रुपये वर्ग मीटर का रेट बताया गया था जबकि यह जमीन 71 रुपये 66 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदी गई।

ग्राम कुण्डेश्वरी, जनपद नैनीताल में भंडार गृह निर्माण हेतु राज्य भण्डारगार निगम द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत हुई चर्चा में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में संशोधन वक्तव्य

उसी चर्चा के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुये यह कहा गया था कि "बाली साहब ने जो आफर किया था उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले बार हमारी जमीन इस भाव बिकी थी—वह 66 रुपये से कुछ अधिक का रेट मांगते थे "उक्त स्थिति सही नहीं थी। सही स्थिति इस प्रकार है कि बाली साहब ने जो आफर किया था वह 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर था ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अशोक बाजपेई)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "चूंकि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1978 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, सदन के 7 जून, 1979 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिवस तक सदन में प्रस्तुत करे, परन्तु समिति द्वारा उक्त विधेयक पर विचार कर अपना प्रतिवेदन उक्त अवधि में प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 29 अगस्त, 1979 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अब वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक है :

और चूंकि समिति इस बढ़ाई गई अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी ।

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 30 जून, 1980 तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "चूंकि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, सदन के 7 जून, 1979 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि समिति की विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिवस तक सदन में प्रस्तुत करे, परन्तु समिति द्वारा उक्त विधेयक पर विचार कर अपना प्रतिवेदन उक्त अवधि में प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 29 अगस्त, 1979 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अब वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक है :

और चूंकि समिति इस बढ़ाई गई अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी ।

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 30 जून, 1980 तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

---

†दिनांक 25 मई, 1980 की कार्यवाही से ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है श्री गुलाब सेहरा द्वारा, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। श्रीमन्, पहले पहल तो मैं इस सरकार को मुबारकवाद देना चाहता हूं इस बात का कि लोक सभा के मौजूदा चुनाव के बाद इस सरकार का नाम जनता (एस) से बदल कर लोकदल की सरकार हो गया और असलियत में देखा जाय तो उन्होंने सही मानों में साबित कर दिया कि वाकई में वह लाठी और डंडे की सरकार है। इस बात का मा0 मंत्रिपरिषद को, मा0 मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं, जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनको मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं। इलेक्शन में और 23 तारीख को लखनऊ के अन्दर जो लाठी डंडे चलायें उन्होंने निश्चित तौर पर साबित कर दिया कि लोक दल नहीं बल्कि लाठी डंडे की सरकार है। अब जो जगह-जगह से यह सूचनायें मिल रही हैं और आज तो हद हो गयी, जिसमें इतनी देर तक माननीय सदन ने विचार किया उसके तो ऊपर सिर शर्म से झुक जाता है। मैंने 24-25 तारीख को श्रीमन् अखबार में एक खबर पढ़ी कि 12-13 हमारे दोस्त मुस्लिम विधायक जो हैं उन्होंने मौजूद सरकार की प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ रखी जबकि श्रीमन् वह जानते थे 14 तारीख को उनके कथन से 10 दिन पूर्व देवरिया को यह घटना जो आज सदन में आई है हो चुकी थी। मैं इस सदन के उन मित्रों से जिन्हें लाठी डंडे की सरकार से बड़ा प्यार महसूस हुआ है कहना चाहता हू कि वे अपने जमीर को टटोलें।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

परन्तु आप अपने जमीर को टटोलें और इस बात पर विचार करें कि क्या आपकी मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार माइनरिटी या हरिजन की रक्षा कर सकती हूं या नहीं। इस पर सोचने की जरूरत है और इस पर विचार करने की जरूरत है कि यह एक बहुत बड़ा मसला है। इसके प्रति।

एक सदस्य--

कांग्रेस आई में जाने वाले है।

श्री रियासत हुसैन--

आप अपने को देखिए कि आप अब कहां जाने वाले हैं, अब तो दल बदलने को मरजर कहा जाने लगा है कि वह उधर मर्ज हो गये वह इधर मर्ज हो गये।

एक सदस्य--

आपका क्या विचार है ?

श्री रियासत हुसैन--

हम जहां पहले थे, अब भी वहीं पर हैं और वहीं पर ही रहेंगे।

मान्यवर, इस वक्त सबसे पहले प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ा जो प्रश्न है वह मौजूदा रबी की फसल और आने वाली गन्ने की फसल का है। महामहिम राज्यपाल ने जहां सभी बातें कहीं कि मेरी सरकार ने यह तीर मारा और मेरी सरकार ने वह तीर मारा लेकिन महामहिम राज्यपाल यह बात कहना भूल गये कि इस वक्त प्रदेश के अन्दर जो स्थिति है, उन सब की जिम्मेदारी किस पर है। मैं यह जिम्मेदारी बरायरास्त मौजूदा सरकार पर डालता हूं क्योंकि सभी जानते हैं कि देश इस वक्त सूखे की भंयकर स्थिति से गुजरा है और बारिश बिल्कुल नहीं हुयी है, कहीं ऐसे ही छुटपुट बारिश हुयी है, जिसकी बजह से यह हुआ कि 50 प्रतिशत भी सिचाई का कार्य नहीं हो सका। पूरे प्रदेश में बारिश न होने की वजह 50 प्रतिशत जमीन बोई नहीं जा सकी। दूसरे डीजल के अभाव से भी इस कार्य में बाधा आई है। और डीजल की कमी की वजह से भी लगभग 20 प्रतिशत जमीन बोई नही जा सकी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस संबंध में मैंने 25 सितम्बर को एक पत्र लिखा, जिसमें सारी स्थिति स्पष्ट थी। इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। यह चार्ज मैं इस मौजूदा सरकार पर लगाता हूं और इस सरकार के शासन काल में बड़े किसानों ने ही ज्यादा फायदा उठाया है, क्योंकि जिन बड़े किसानों के पास इंजन है, कुल 15.20 प्रतिशत ऐसे किसान है, जिनके पास इंजन है। बाकी जो किसान हैं, जिसके पास इंजन नहीं है। वह भूमि की सिंचाई व बुवाई नहीं करा सकते हैं। बड़े किसान, एक लिमिटेड समय तक जो आप बिजली की सप्लाई देते हैं, उससे फायदा उठा लेते हैं और जो छोटा किसान है वह कुछ नहीं कर पाता है। इस प्रकार आप छोटे किसानों का शोषण कर रहे हैं। एक घर में 3–4 सदस्य हैं, जिन्होंने अपना अलग-अलग परमिट बनवा रक्खा है, जो डीजल अलग-अलग लेकर ब्लैक करते हैं। यह सब इस वजह से हो रहा है कि आपने डीजल बांटने का कोई नाम नहीं रक्खा। मैंने 25–9 को एक लेटर लिखा था जिसमें यह कहा था कि ढाई एकड़ वाले छोटे किसान का कम से कम 5 लीटर डीजल दो इसी प्रकार 5 एकड़ वाले को 10 लीटर और 10 एकड़ वाले को 20 लीटर दे दिया जाये ताकि छोटा किसान अपना पलेवा चला कर अपनी स्थिति को संभाल ले। जो छोटे किसान थे उनका शोषण हुआ है। बड़े किसानों को डीजल मिला और श्रीमन् दूसरी चीज जो अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कही कि डीजल का कोटा कट हो गया, कौन सी तारीख को हो गया ? 5 जनवरी को। लाख 10 हजार से घट कर 40.45 हजार। 14 जनवरी को चौधरी चरण सिंह ने कुर्सी छोड़ी है प्रधान मंत्री की और 5 जनवरी को आर्डर हो गये डीजल कट गया अगर 9 जिलों में सूचना मिल गयी कि जिसको 20 मिलता था 10 मिलेगा और वह 10 भी श्रीमन् मिल नहीं सका। यह किसकी जिम्मेदारी है ? जब नो कान्फिडेन्स के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी उस समय मैंने संकेत किया था कि लाल किले की बुर्ज पर खड़े होकर प्रधान मन्त्री के सामने संकट पैदा किया जायगा और वह स्थिति आ गयी। आपकी लोकदल की जो सरकार है लाठी-डंडे की सरकार है, गन्ना नहीं बोया जायेगा। मौजूदा आधी शकर हो गयी, गेहूं का प्रोडक्शन 40 प्रतिशत हो गया पिछले साल के मुकाबले में और इनसानी जरूरतों की चीजों की क्या हालत है, इन सारी की सारी जिम्मेदारी महामहिम राज्यपाल को अपने अभिभाषण में अपनी सरकार पर डालनी चाहिए थी। इसका कोई जिक्र नहीं किया। श्री रघुबर दयाल जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसमें यह सब होना चाहिये। डाक्टर लोहिया, जय प्रकाश के नाम पर आप लोग भले आ जायें लेकिन डाक्टर लोहिया जी ने जो सवा छ एकड़ तक लगान माफ करेंगे की बात कही थी वह अभी तक नहीं हो पायी।

जो नारायणपुर का कांड हुआ, उसके बाद कुछ कहने की हालत नहीं होती लेकिन हकीकत यह है कि, यह खबर छपी है 'पायनियर' में कि 396 मर्डर यू0 पी0 में पिछले माह में हुए, यानी दिसम्बर में और इलेक्शन के टाइम पर, रघुबरदयाल जी, ने जो शुक्रिया का प्रस्ताव रखा है, 268 केस हुये हैं। 4 हजार हरिजन मेरठ के अन्दर ऐसे हैं जिनकी पुकार दिल्ली तक जा रही है। जगह-जगह गोली मार देना मामूली बात है। इसका जिक्र ही क्या करना। डा0 लोहिया जी कहते थे, जे0 पी0 कहते-कहते स्वर्ग चले गये, आज भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। आज भी लड़के युनिवर्सिटी से निकलते हैं, समझ लेते हैं सड़क पर टहलेंगे ही। आज के नौजवान तबके को किसी भी जगह पर कहीं भी सन्तुष्ट नहीं कर पाये हैं न कोई शिक्षा पद्धति में तब्दीली की। बड़ी आशा थी कि इस गवर्नर साहब के अभिभाषण में कुछ देखने को मिलेगा लेकिन पत्ता साफ। उम्मीद थी कि कुछ जिलों में नशाबन्दी हुई है शायद अब पूरे सूबे में हो जायेगा लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। एक लाइन तक नहीं लिखा उसके बारे में उन्होंने नहीं कहीं कि हमारी सरकार पूरे सूबे में नशाबन्दी लगायेगी। सोच तो सरकार यह रही है कि जितनी जगह नशाबन्दी लगायी जा चुकी है वह किस तरह से खतम हो। अभी पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी का बयान मैंने देखा। किसी योजना की प्लानिंग आदि की मीटिंग हो रही थी। उसके अन्दर हुआ क्या ? उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज निकालेंगे। रिसोर्सेज कैसे निकालेंगे ? गांव में सिनेमा घर बनाये जायेंगे। देहातों में सिनेमा घर बनाये जायेंगे, इन्टरटेनमेंट टैक्स हासिल

[श्री रियासत हुसेन]

करने के लिये। समझ में नहीं आता है कि मुख्य मंत्री जी कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस वक्त जो सिनेमा हैं उनके अन्दर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, स्मगलिंग सीखती है, डकैती सीखती है। सिनेमाओं के कारण ही स्मगलिंग का काम होता है, डकैतियां, चोरी, हत्यायें होती हैं। नेताओं का कहना है कि सिनेमाओं से हमारे समाज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सिनेमाओं के कारण ही रात दिन चोरियां डकैतियां होती हैं। दूसरी ओर रिसोर्सेज बढ़ाने के लिये यह रास्ता निकाला है। गांव-गांव में छोटे-छोटे सिनेमा बनाये जायें जोकि नौजवानों को जिन्हें 10–5 मील चलना पड़ता था, वहीं शिक्षा दें। फिर चाहे वह किसी एम0 एल0 सी0 को घेरे, चाहे चोरी करे, चाहे डकैती। वह वहीं ट्रेनिंग हासिल कर लें, उन्हें दूर न जाना पड़े।

एक नई बीमारी लग गयी। इन्होंने कहा उर्दू को बढ़ाने की बात। उत्तर प्रदेश में उर्दू का सिलसिला हमेशा से ही चलता रहा है। उर्दू बोर्ड बना, उसका मैं मेम्बर रहा। कमलापति जी के जमाने में उर्दू एकेडमी बनी, उसका भी मैं मेम्बर रहा। उसके द्वारा उर्दू की खिदमत हुई यह मैं मानता हूं। अगर आप अखबार देखें किसी दिन का अखबार उर्दू एकेडमी के झगड़े से खाली नहीं मिलेगा। क्यों न हो झगड़ा? उसका संविधान ही इस प्रकार का है। मैंने बार-बार आग्रह किया कि संविधान में एक पोस्ट एलेक्टेड होनी चाहिये। नहीं माना। सारे आदमी नामिनेटेड होते हैं। सरकार मनमानी करती है, इसके अन्दर। इसको निकालना, उसको निकालना। मैंने भी इस्तीफा दे दिया है एकेडमी से। इसी वजह से कोई भी अखबार से उर्दू एकेडमी के झगड़े से खाली नहीं जाता। इससे साफ जाहिर है कि मौजूदा सरकार ने उर्दू एकेडमी से जो खिदमत होती थी, उर्दू की, उसकी नाक यूं पकड़ कर, उसे खतम कर दिया। उर्दू के बारे में जो कुछ किया है जून में जाकर सेशन होगा तब जाकर कुछ मिलेगा। बयान तो सबने दे दिया। कुछ नहीं बोला इसी लिये..... (लाल बत्ती जलने पर)

अभी तो समय है।

श्री अधिष्ठाता---

आप बोलते जा रहे हैं। बोलने वाले को ऐसा मालूम होता है कि अभी समय बाकी है। आप 18 मिनट बोल चुके हैं। 5 मिनट और बोल ले।

श्री रियासत हुसैन---

सब तरफ होता है कि उर्दू को यह मिलने वाला है, वह मिलने वाला है। हम जानते हैं कि मिलने वाला कुछ नहीं है, बिला वजह खड़े होकर कोई बात कहें। माननीय मंत्री जी को तकलीफ दें। वैसे उन्होंने कह दिया कि अभी विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगें। क्या हश्र होने वाला है, कहां जाकर गाड़ी रुकेगी यह समझ में नहीं आता है और रघुबर दयाल जी ने तारीफों के पुल बांध दिये हैं। सन् 78 में बहुत बड़ा सैलाब आया। बहुत मदद की गयी लेकिन अभी तक रेमिशन नहीं पहुंचा है। सूखों के नाम पर, सैलाव के नाम पर स्टे हुआ लेकिन रेमिशन नहीं पहुंचा है। जब दो साल की वसूलियाबी होगी तो किसान को छठी का दूध याद आ जायगा। रघुबर दयाल जी जरा रेमिशन भिजवाइये तब बधाई दीजिये।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहनसिंह)---

सूखे वाला तो माफ हो गया है।

श्री रियासत हुसैन---

जिलों में रमिशन आर्डर नहीं पहुंचा है। एक बात और कहना चाहता हूं। बड़े जोर से अंत्योदय की बात कही गयी। लंगड़ा घोड़ा, अंधा घोड़ा दिया गया है। मेरे यहां एक ऐसा घोड़ा दिया गया जो तीन चार दिन बाद ही मर गया। मूंडे नाम के व्यक्ति को यह घोड़ा दिया गया था। 100 रुपया उसने डाक्टर साहब को बीमे के दिये थे।

श्री अधिष्ठाता---

मरना तो नहीं जान सकते हैं, अंधा, लंगड़ा हो तो जाना जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन---

100 रुपये जो उसने बीमे का जमा किया था जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह पैसा बैंक में नहीं है, पता नहीं कहां बीमा हुआ है। तो वह अंतोदय था नहीं आप की स्कीम ने उसको अंत में बना दिया। अंतोदय में आधे की सब्सिडी है लेकिन वह सब्सिडी केवल आपके, बी0 एल0 डब्लू0 से लेकर संबंधित अधिकारी पहले बांट लेते हैं। जो अंतोदय के लिये मदद दी जाती है वह मदद अंतोदय वाले आदमी के पास नहीं पहुंचती है। इन्डाइरेक्ट तरीके से जो सरकारी मशीनरी लगी है उसका आधा फायदा वह उठा रही है। एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा। शाह कमीशन मुकर्रर किया गया। मैंने कहा था कि कमीशन मुकर्रर करने से प्रदेश की जनता की रोजी रोटी, मकान, कपड़े की मसला हल नहीं हो सकता है। जब दिल्ली कमौशन से निकल करके आया तो चूहे भागते नजर आये। अब चूहे भाग रहे हैं। श्रीमन्, अच्छा होता कि गवर्नर महोदय ने अपने स्टेटमेंट के अन्दर एक लाइन लिखा दी होती कि वह एक ऐसा कमीशन मुकर्रर करेंगे जो जून 77 से लेकर मेरी सरकार के मंत्रियों ने जो कोठियां बनवा ली हैं, एक एक किलो सोना खरीद कर रखा है और जो बैंक बैलेंस बढ़ाया है उसकी जांच और इन्क्वायरी करेगा। एक एक किलो सोना और 2 और 3 लाख की कोठियां, साज सज्जा, और दो दो हजार के कालीन कहां से आ गये, अगर इसको जांच करने की बात होती तो वाकई में अच्छा काम होता। इस सरकार ने 60-60 कमीशन बनाये लेकिन सरकार अपने लिये एक कमीशन का भी एश्योरेंस नहीं देगी। तो श्रीमन्, आज जो हालत है उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं श्री गुलाब सेहरा ने धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्तुत किया है, और मेरा जो संशोधन है, विशेष रूप से सवा 6 एकड़ की अलाभकर जोतों पर मालगुजारी समाप्त करना और शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना, उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरिशचन्द्र (जिला बस्ती)---

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह सरकार सूखे का सामना करने में सफल रही है। मुझे खेद है कि राज्यपाल को इस शासन ने रिपोर्ट गलत दिया है। जहांतक सूखे का सवाल है 4 महीने बीत गये अभीतक प्रदेश में राहत का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सभी जानते हैं कि एक फसल चली गयी है और दूसरी फसल की उम्मीद नही है, ऐसी हालत में प्रदेश में ढाई करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजी चाहिये जिसके लिये राहत कार्य बड़े पैमाने पर शुरू होना चाहिये था लेकिन जो कार्य अभीतक काम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत चल रहा है उस योजना के अन्तर्गत अभीतक एक लाख से ज्यादा लोगो को रोजी नहीं। इसलिये यदि बड़े पैमाने पर कार्य नहीं शुरू होगा तो भुखमरी शुरू हो जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर काम भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कई बाधायें हैं।

इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से कहना चाहूंगा कि जबतक यह बाधायें शासन नही हटायेगा तबतक बड़ी संख्या में लोगों को रोजी नहीं दी जा सकेगी। पहली बाधा यह है कि इस योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने के लिए 26 फीट चौड़ी भूमि चाहिये तो 26 फीट चौड़ी जमीन न आपको मिल पायेगी और न सड़क बन पायेगी। इसलिये इसमें कुछ ढील देने की आवश्यकता है अन्यथा इस योजना में लोगों को रोजी नहीं मिल पायेगी। दूसरा बन्धन यह है कि शासन के निर्देशानुसार मजदूर के लिये मजदूरी 6 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलेगी। लेकिन वह तब मिलेगी जबकि 12×12×1 फीट का एक

[श्री हरीश चन्द्र]

गड्ढा मजदूर खोद देगा। तो इस हिसाब से न मजदूर गड्ढा खोद पायेगा और न उसको पूरी मजदूरी ही मिल पायेगी। इसलिये शासन से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 12×12×1 फीट की जगह 10×10×1 फीट लम्बा चौड़ा और गहरा गडढा खोदने पर मजदूरी देने के आदेश दिये जाने चाहिये। इसके अलावा शासन से आदेश गया है कि मजदूरों की मजदूरी 7 दिन के अन्दर मिल जानी चाहिये लेकिन एक डेढ़ महीने बीत जाते हैं और तब भी मजदूरी नहीं मिलती है क्योंकि गड्ढा तो खुद जाता है लेकिन ओवरसियर या इंजीनियर उसको नापने के लिये नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है।

इसलिये निवेदन है कि काम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो कमियां हैं उन्हें ठीक करने की ओर शासन ध्यान दे। साथ ही माननीय श्री रियासत हुसैन ने ठीक ही कहा है कि डीजल नहीं मिल रहा है। जिनके पास पंपिंग सेट हैं उनको ही डीजल मिलता है। इसलिये मेरी मांग है और संशोधन इसीलिये पेश किया गयाहै कि जोत के आधार पर डीजल दिया जाय ताकि छोटे-छोटे किसान अपनी जमीन की सिंचाई कर सकें। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बात नीतिगत है कि जब शासन ने कहा है कि हम 18 घंटे बिजली देंगे तो मिनिमम चार्ज भी लेंगे। लेकिन 18 घंटे बिजली यह शासन किसानों को नहीं दे पा रहा है तो फिर मिनिमम चार्ज लेने का क्या औचित्य है। बिजली 2–4 घंटे मिलेगी और मिनिमम चार्ज भी लिया जायेगा तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से कहना चाहता हूं कि या तो 18 घंटे नित्य बिजली दी जाय और यह संभव नहीं है तो मिनिमम चार्ज समाप्त किया जाना चाहिये।

मान्यवर, इसी के साथ साथ सिंचाई मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ट्यूबवेल के संबंध में उन्होंने जानकारी मांगी है कि कौन ट्यूबवेल चल रहा है और कौन बैठ गया है। कौन बेकार पड़े हैं, कितना पानी दे रहे हैं, मैं उन को धन्यवाद दूंगा, कि कम से कम चार महीने बाद पूछा तो गया। मैंने विवरण तैयार करके भेजा है लेकिन मैं शासन से आशा करता हूं कि जितने ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं उन्हें ठीक कर दिया जायगा। तीन बार मैं इस बात को इस विधान सभा में उठा चुका हूं, चौथी बार फिर कह रहा हूं कि जो ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय रियासत साहब ने जब लगान के संबंध में कहा तो मंत्री जी ने कहा कि सूखे के संबंध में लगान की वसूली माफ कर दी गयी है। मुझे इसकी जानकारी आज मिली है। मैं उनको धन्यबाद देता हूं लेकिन क्षेत्रों से जानकारी मिली है कि लगान माफी का आदेश अभी वहां नहीं पहुंचा है। श्री राम नरेश यादव सरकार ने जो विगत बाढ़ के समय में लगान की माफी की घोषणा की थी वह अब तक लागू नहीं हो पायी है। मैं आशा करूंगा कि शासन ध्यान देगा और इसे शीघ्र ही लागू करेगा।

अन्त्योदय के संबंध में दो मौलिक बातें करना चाहूंगा। अन्त्योदय कार्यक्रम गरीब को रोजी देने के लिए लागू की गयी है लेकिन क्या इस पर शासन विचार करेगा कि एक लाख बारह हजार गांव इस प्रदेश में हैं और अब तक बीस हजार गांवों में यह योजना पहुंची है बाकी गांवों के लिए क्या होगा। मुझे पता लगा है कि शासन के पास पैसे की कमी है और कहा यह जाता है कि पैसे की कमी नहीं है। बी0 डी0 ओ0, जिला विकास अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं आया है। क्या शासन इस ओर ध्यान देगा और जो शेष गांव हैं वहां तक इस योजना को पहुंचाने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में धन भेजेगा। श्री राम नरेश यादव जी की सरकार में जो व्यवस्था थी उसे बनारसी दास जी की सरकार ने क्यों तोड़ दिया नहीं तो आज माननीय रियासत साहब को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि सरकारी कर्मचारी धन खा रहे हैं, खराब सामान दिया जा रहा है। जनता सरकार के जमाने में आदेश था कि सरकारी कर्मचारी इस योजना के बीच में नहीं आयेगा। गरीब जो माल पायेगा वही माल को पसन्द करेगा वही उस का मूल्य तय करेगा, ब्लाक को सूचित करेगा, ब्लाक मालिक को चैक देगा, बीच में सरकारी कर्मचारी नहीं

आयेगा। क्या आपके माध्यम से मैं इस शासन से आशा करूंगा कि इस योजना पर पुनर्विचार करेगा और सरकारी कर्मचारियों को अन्त्योदय योजना में हस्तक्षेप करन से वंचित करेगा ताकि इसका लाभ गरीब को मिल सके।

मैंने महामहिम राज्यपाल के भाषण में यह कहीं नहीं पढ़ा कि जिन सड़कों पर मिट्टी फेंक दी गयी है उन का क्या होगा। मैं चाहूंगा कि उन को पक्का करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस के अलवा सड़कों पर मिट्टी तो पड़गयी है लेकिन पुलिया नहीं बनी। यदि पुलिया नहीं बनेगी तो जिस मकसद के लिए सड़क बिछी है वह मकसद पूरा नहीं होगा।

श्री राम नरेश यादव की जनता सरकार के समय यह बात उठाई गई थी कि जो सड़कें, बंध, या सरकारी काम का निर्माण होगा वह किसानों के गांव की कटौती की जमीन से होगा, इसके लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन महामहिम राज्यपाल के भाषण में इस का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं आशा करूंगा कि शासन इस ओर ध्यान देगा और इसे शीघ्र शासनादेश के रूप में लागू किया जायगा।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से गांवों में चकबन्दी का काम अभी तक नहीं हो पाया है। बांसी तहसील में गांवों में यह काम नहीं हुआ है। पहले यह निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में चकबन्दी नहीं हो पायी है वहां चकबन्दी कर दी जायगी जिससे किसानों को राहत मिल सके। इस के साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बहुत से जो सरकारी निर्माण के काम हुए हैं आज नहीं कांग्रेस की सरकार के काल से—चाहे बांध हों या सड़कें उन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। मैं आशा करता हूं कि शासन उत्तर प्रदेश के सारे मामलों को एक साथ लेकर फैसला करेगी जो भी मुआवजा अभी तक बाकी है उसे चुकता कर दिया जायगा। मैं जहां से चुन कर आता हूं वह बांसी टाउन एरिया है वहां सड़कों पर चलना मुश्किल है। बांसी टाउन एरिया के बारे में कई बार कहा कि सड़कों को चलने लायक बनाया जाय लेकिन वे वैसी ही पड़ी हैं और वहां विकास का काम अवरुद्ध पड़ा है। मैं आशा करता था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख होगा कि प्रदेश की जितनी नगरपालिकायें तथा टाउन एरियाज हैं सब को उनके विकास के लिये पर्याप्त धन दिया जायगा। मैं सरकार से आशा करता हूं कि जो संशोधन दिये गये हैं उन पर वह विचार करेगी और निश्चित रूप से उनको कार्यान्वित करने की ओर कदम उठायेगी।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में माननीय राज्यपाल के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मजबूरी यह है कि लोकतत्र में इस प्रदेश में मैं सन् 52 से देख रहा हूं कि हमेशा हर सरकार इस तरह के अभिभाषण रखती आई है और विरोधी दल ने हमेशा उस पर इस तरह की आलोचना की है। लेकिन इस समय जो हालात है वे बहुत ज्यादा खराब हो गये हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अगर प्रदेश मे मौलिक अधिकार खत्म हो जाय तो क्या वह सरकार चल सकती है? मथुरा में 65 हजार नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिये गये और 1 करोड़ के लगभग नाम सारे सूब में काट दिये गये। मुख्य मंत्री कहते हैं कि चुनाव कमीशन ने काट दिये और चुनाव कमीशन कहता है पता नहीं किसने काटे। हमको पता नहीं किसने काटे लेकिन एक बात यह अवश्य कहूंगा कि मथुरा जिले में 65 हजार लोगों को मतदान से वंचित कर देना और जीवित मत दाताओं को मरा हुआ कह दिया जाय यह हालत जब मतदान में रही हूं तो वोट की बात करना बेकार है। फिर तो यह समझना चाहिये जिसकी लाठी में जोर है वह चुनाव के दफ्तर मे घुस जाय और वहां वह ठप्पा लगा ले। अपने जिले की बात मैं कहता हू 77 पोलिंग स्टेशन्स पर एक बिरादरी के लोगों ने हरिजनों के वोटों का ठप्पा स्वयं लगाया और 49 पोलिंग पर तो सबके ही ठप्पे लोकदल को लगाये जो जबरदस्ती करके और सारे जिलों मे हरिजनों को वोट डालने नहीं दिया गया तो इस जोर जरदस्ती के आधार पर लोकतंत्र बनाने की बात अगर कही जाती है तो यह लोकतंत्र का मखौल है।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

बिहार में तो में ऐसी बात सुना करता था कि वहां लोगों ने एक पोलिंग बूथ कैपचर कर लिया था लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में इस बार हजारों पोलिंग स्टेशनों पर लाठी के बल पर, जोर जबरदस्ती के बल पर वोट डलवाये गये। आज सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है किसको सरकार कहा जाय? मथुरा से मैं यह कह कर आया था कि इस सरकार को उलट देंगे लेकिन मजबूरी यह हो गयी है कि अगर इसको उलटते हैं तो दूसरा जबरदस्त दुश्मन सामने नजर आता है जो 40 प्रतिशत वोट ले कर हिन्दुस्तान की राजगद्दी पर छा गया है।

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगा हुआ है यह हमारे सामने मजबूरियां हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग 140 सदस्यों पर राज चला रहे हैं। एक सेकिन्ड में हम आप को उलट सकते हैं। आप अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। आप की हैसियत क्या है। हमारी मजबूरी है कि हमें अल्पमत की सरकार को ढकेलना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, हमको ऐसा लग रहा है कि हिन्दुस्तान में कहीं लोकतंत्र बिलकुल खतम न हो जाय। तानाशाही से प्रजातन्त्र रह नहीं सकता है। बड़ी बुराई के सामने छोटी बुराई को हमें झेलना पड़ रहा है। इसलिये हम कहते हैं कि अहंकार मत करिये, घमन्ड न करिये कि हम सरकार में मंत्री हैं। आप को इस सदन में आने पर हमारा तीन-तीन और चार-चार बार अभिवादन करना चाहिये। आप घमन्ड छोड़ें नहीं तो आप की एक सेकेन्ड में सरकार उलट सकती है। हम आप को समर्थन न दें तो आपकी क्या हैसियत है। हम तो यहां पर एक चपरासी की हैसियत समझते हैं लेकिन आप की हैसियत नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आप से कहता हूं कि यदि आपको सरकार चलानी है तो पुरानी जो बातें हैं, उनको छोड़िये और नम्र भाव से सरकार चलायें।

मैं यह मान नहीं सकता कि जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मैं जनता पार्टी में हूं। उसने सब अच्छे काम किये हैं। भाषणों से आप चाहे जो कुछ कह दें, वह अलग बात है। यह तो देखने की बात है कि उसने क्या-क्या काम किया है। माननीय गुलाब सेहरा कह रहे थे कि सरकार इस्तीफा दे। उत्तर प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त 115 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर कर्ज था और 85 करोड़ रु0 का रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट था। कांग्रेस सरकार इस प्रदेश को दिवालिया कर गई थी। उसके बाद हमने सड़कें बनायी, सिंचाई के साधन किसानों को मुहैया कराये, बिजली की क्षमता बढ़ाई। लेकिन आज जनता पार्टी और लोक दल का बंटवारा हो गया है। गुलाब सेहरा ने कहा कि विधान सभा भंग करो। यह कोई औचित्य की बात नहीं है। कांग्रेस सन् 1952 से कभी 35 वोट पर कभी 36 प्रतिशत पर, कभी 37 और कभी 40 प्रतिशत वोट पर जीती है। कभी भी आज तक कांग्रेस 40 प्रतिशत से ज्यादा वोट नहीं पायी है। इस समय इस प्रदेश में कांग्रेस को 35 प्रतिशत वोट मिले हैं। इस पर विधान सभा को भंग करने का सवाल नहीं है। विरोधी दल के वोट बटे हैं और इसी वजह से कांग्रेस पदासीन हुई है। इसलिये मैं कहता हूं कि विरोधी दल की बात आप छोड़िये, पुरानी सब बातों को छोड़िये। जनतन्त्र को मजबूत करिये। जब सब लोग हम इकट्ठा हो गये थे तो इन्दिरा गांधी को कुछ नहीं मिला था और जब हम बट गये तो वह फिर इतनी सीट ले लिये। जनता सरकार को उसको कोई मदद नहीं थी। मैं विरोध पक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश में विरोधी दल को जिन्दा रखना है, प्रदेश में जनतन्त्र को रखना है तो प्रदेश में तानाशाही शक्तियों को नहीं पनपने देना चाहिये और इसीलिये मैं सरकार और शासन से कहना चाहता हूं कि आप पुरानी बातों को, पुराने तार तरीकों को छोड़ दीजिये और मिलजुल कर, एक होकर मजबूती के साथ लोक तंत्र को चलायें। यह आप को नहीं देखना चाहिये कि यह चीज हमारे माफिक है और यह हमारे माफिक नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा के लिये आप को सब कुछ सहना होगा और मैं समझता हूं इसी को लेकर आप आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त

करता हूं और इस आशय के साथ समाप्त करता हूं कि सरकार मेरी इन बातों पर ध्यान देगी और प्रदेश को आगे बढ़ायेगी ।

श्री दीपनरायन (जिला गोंडा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री गुलाब सेहरा ने जो संशोधन रखा है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, मैंने राज्यपाल का अभिभाषण देखा और मुझे बड़ी निराशा हुई । राज्यपाल का अभिभाषण इतनी जल्दी तैयार किया गया मुझे प्रतीत होता है क्योंकि इतनी जल्दी विधान सभा को बुलाया गया, कि उसकी ठीक से तैयार भी नहीं कर पाया । इसमें इतनी त्रुटियां रह गई है, इतनी बातें छूट गई हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं । यहां पर सूखे की चर्चा हुई, सड़कों के बनाने की चर्चा हुई, विद्युत की चर्चा हुई । मैं शासन को बतलाना चाहता हूं कि देहात में जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है उसमें विद्युत की हालत क्या हो गई है । किसानों के दो तीन घटे से ज्यादा ट्यूबवेल नहीं चल पाते हैं । इसमें जो मिनिमम चार्ज आपने रखा है, हमारे साथियों ने कहा कि उसे कम कीजिये लेकिन आज तक सरकार ने एलाउंस नहीं किया मिनिमम चार्जेज को समाप्त किया जायगा । उन गरीब किसानों की हालत देखिये जिनके ट्यूबवेल शायद एक दो घंटा भी नहीं चलते बल्कि दो दिन में दो घंटे चलते हैं । यह हालत किसानों की है ।

डीजल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक तेल की कटौती नहीं हुई थी जैसा कि रियासत साहब ने कहा । 5 जनवरी से कटौती हुई जब चौधरी साहब की हुकूमत थी । जो छोटा किसान है उसकी बुरी हालत है बड़ा किसान तो ब्लैक से भी ले सकता है लेकिन छोटे किसान का कोई सुनने वाला नहीं है नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश की आधी जमीन सूखी रह गई है । यह जिम्मेदारी किस की है ? यह जिम्मेदारी सरकारी की है, मंत्रिमण्डल की है । यह जो मंत्रिमण्डल है या मुख्य मंत्री जी जो हैं वह अपनी सरकार को बचाये रखने के षड़यत्र में व्यस्त रहते हैं । उनको इस बात की कतई चिन्ता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्दशा हो ही रही है ।

मान्यवर, मिट्टी तेल 4, 5 रु0 लीटर बिक रहा है तो वह कहां से आता है । आप चाहें तो आपको 4, 5 रु0 लीटर में तेल मिल जायेगा तो इन ब्लैकमारकेटीयर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले काम क्यों नहीं करते हैं । आज जब संसद में ब्लैकमारकेटीयर्स के खिलाफ कानून बनता है तो यह सरकार उस पर भी एतराज करती है । अगर जनतन्त्र को जिन्दा रखना है तो गरीबों को रोटी रोजी देनी होगी, बेकारों को रोजी देनी होगी । इस समस्या पर भाषण आप दे दें और कुछ मंत्री उस भाषण को सुन लें या सरकारी अधिकारी सुन लें यदि उस पर अमल नहीं होगा तो डेमोक्रेसी जो है चल नहीं सकती समस्या का हल नहीं हो सकता है । देश में आज यह चर्चा का विषय है लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं । देहात में आप चले जाइये मेरा दावा है 95 प्रतिशत 98 प्रतिशत लोगों को देहातों में गरम कपड़ा पहनने को नहीं है । मैं नहीं जानता कि यह बाबू बनारसी दास जी की सरकार अपने को समाजवादी कहती है या नहीं क्योंकि इसमें उसकी चर्चा नहीं है लेकिन इस प्रदेश में जो हालत है वह बहुत बदतर है । इस शासन को सोचना चाहिये मैंने देखा कि इस शासन के मन्त्रियों को इस बात की चिन्ता नहीं है कि हमारे लाखों नवयुवक बेकार टहल रहे हैं । यूनिवर्सिटीज बन्द पड़ी हैं दो तीन महीने ही पढ़ाई होती है । मैं कहना चाहता हूं कि वह लड़के क्या पढ़ेंगे उन पर तो पुलिस लाठी डंडे चलाती है और जेलों में बन्द करती है । लड़कों के सामने कोई भविष्य नहीं है । डबुल एम0 ए0 लड़के बेकार पड़े हैं । मैं स्कूल भी चलाता हूं इसलिए मैं जानता हूं कि बी0 एड0 लड़के बेकार फिर रहे हैं वह नौकरी नहीं पाते हैं । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से बड़ा ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश आज जल रहा है, प्रदेश के सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हैं और यदि इनको सुलझाया नहीं जाता है तो आप सत्ता में नहीं रहेंगे और 10–15 दिन बाद तो रहना भी नहीं है ।

[श्री दीपनरायन]

जहां तक ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन का प्रश्न है इसी सदन में रोजाना इसी बात की चर्चा होती रहती है। आज भी इसी प्रकार की चर्चा हुई थी। अब मैं गोंडा जिले की एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। शाम पांच बजे गोंडा से एक गाड़ी बलरामपुर जाती है जिसमें एक श्री हुसैन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। डिब्बे में सैकड़ों व्यक्ति थे लेकिन असली कातिल का नाम लेने वाला कोई नहीं था कि किसने उसको मारा। कल ही गोंडा में एक और आदमी की मिसाल देता हूं। जिसका नाम अब्दुल समी है। उसने एक दख्वास्त दी है। उसकी एक प्रति लखनऊ के एस0 पी0 को भी भेजी है। उसमें उसने कहा है कि वह एक कार में जा रहा था जिसमें उसके साथ कुछ औरतें थीं। 2-3 दरोगा उसे घाघरा घाट पर मिले और उसे उन्हें भी ले चलने के लिए कहा। जब उसने कहा कि उसके साथ औरतें हैं तो उसे बुरी बुरी गालियां भी दी जो बड़े ही शर्म की बात है। यहां के तो मुख्य मन्त्री जी नाप तोल ही करते रहते हैं कि शासन किधर वजनी है और किधर घट गया किधर बढ़ गया है। जो व्यक्ति 24 घंटे नाप तौल किया करते हैं वे किस प्रकार से शासन चला सकते हैं।

जहां तक पूर्वी जिलों के विकास का प्रश्न है महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कुछ जिक्र नहीं किया है। बुन्देलखण्ड को तो लिया है लेकिन पूर्वी जिलों को नहीं और पूर्वी जिलों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जिनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है। गोंडा में भी मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है लेकिन मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि पता नहीं उसे क्यों छोड़ दिया गया है। आज पूर्वी जिलों के लोग कलकत्ता, बम्बई और पंजाब आदि के शहरों में घूमते फिरते हैं, लेकिन उनकी दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पता नहीं आज हमारे प्रदेश में जो ज्वलन्त चीजें हैं, नीचे की लेविल पर जो सरकारी कर्मचारी जनता को लूट रहा है, उसकी खबर हमारे मुख्य मंत्री जी को है या नहीं। जब वे पद पर नहीं रहेंगे तब इन्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा। कुर्सी पर बैठकर तो उनकी आंखें बन्द हो जाती हैं। आज वे लोग जो भी करते हैं, उनकी यहां पर वकालत होती है और जब इधर आ जाते हैं तो उनको ही गाली देने लगते हैं। आज गरीब जनता की, रियाया की, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर पैसा है तो सब सुनेंगे। आज प्रदेश में शासन नाम की कोई वस्तु रह नहीं गयी है। माननीय बनारसी दास जी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए उचित यह होगा कि वे विधान सभा को भंग करके चुनाव करवा दें ताकि नये लोग चुनकर आयें और प्रदेश में नयी व्यवस्था बने। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया।

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया जिसका मैं समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण के द्वारा हमारे महामहिम राज्यपाल ने सरकार की नीतियों को इस सदन के समक्ष रखा है जिससे निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा क्षत्र लखनऊ जनपद में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर 50 प्रतिशत हरिजनों की आबादी है जिनके पास छोटी-छोटी जोतें हैं और जिनकी जीविका का कोई विशेष साधन नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सरकारी उद्योग लगवा कर उनको रोजगार देने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में शारदा सहायक प्रक्षेत्र की ओर से नहरों की नालियों का कार्य चल रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कुलाबे में पांच–छः किलोमीटर भूमि ले ली गयी । नालियों का जो निर्माण होता है उसमें ढाई किलोमीटर चौड़ी नालियां बनायी जा रही हैं जिससे 15 से 25 एकड़ जमीन बेकार हो रही है । 1958 में चकबन्दी हुई और छोटे-छोटे चक बना कर किसानों को दिये गये जिसके कारण किसानों की काफी भूमि बरबाद हो रही है । मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब दोबारा चकबन्दी हो जाय, चकबन्दी होने के बाद ही नालियां बनाने का काम शुरू करवायें । हमारे यहां शारदा सहायक परियोजना के माध्यम से गोसाईगंज रजबहा में पानी दिया जा रहा है और जो हेड बनाया जा रहा है वह इतने ऊंचे बनाया गया है कि इतने ऊंचे पर पानी नहीं पहुंच पाता, वह पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता जिसके कारण किसान पूरी सिंचाई नहीं कर पाते हैं ।

मेरे क्षेत्र में इस समय शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है अभी 18–1–80 को नीरख नगर गांव में एक हरिजन को जिन्दा जला दिया गया । जिन लोगों ने शासन या उच्चाधिकारियों को सूचना दी उनको पुलिस वाले तंग कर रहे हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि वहां की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोगों को राहत देनी चाहिये । थाना नगराम के पुलिस के हलके के सिपाही और थानेदार को अविलम्ब हटाया जाय, जांच करवाई जाय और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)––

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं । मान्यवर, अभी हमारे मित्र दीप नारायण जी ने दो तीन बातें कहीं । भाषण तो मैंने सुना । आज इस प्रदेश के अन्दर गांवों में जितना निर्माण हुआ, जितना काम हुआ कांग्रेस शासन के 30 सालों में नहीं हुआ । गांव के अन्दर सड़कें बनीं पुल बने । उत्तर प्रदेश के अन्दर गांव के विकास की तरफ सरकार का ध्यान पहली बार गया । मैं यह बात जरूर मानता हूं कि 5 दलों को मिलाकर जो जनता पार्टी बनी थी उसमें विचारों की एक रूपता नहीं थी । वोटों के बंटवारे की वजह से केन्द्र में इन्दिरा गांधी की सरकार बनी । लेकिन यह दावा करना कि इन्दिरा गांधी की सरकार बहुमत की सरकार है कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास आज भी बहुमत में इन्दिरा गांधी की सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में 35–36 प्रतिशत वोट इन्दिरा गांधी को प्राप्त हुए 200 पार्लियामेंट की सीटें ऐसी हैं जो लोकदल और जनता पार्टी के बटवारे से इन्दिरा गांधी की पार्टी को मिली । उत्तर प्रदेश में 180 विधान सभा की सीटों पर लोक दल जीता है और 70 पर जनता पार्टी जीती है । केवल 6 पार्लियामेन्ट की सीटें ऐसी हैं जहां पर इन्दिरा गांधी को बहुमत मिला है । इस प्रकार केन्द्र में सत्ता में जो सरकार आई है वह जनता के विश्वास से नहीं आयी है केवल जनता पार्टी और लोकदल के बंटवारे से आयी है । मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) का मनोबल ऊंचा हो, प्रजातन्त्र में होना चाहिये लेकिन लोकतन्त्र की परम्परा रही है कि जहां जो सरकार बहुमत में हो, जहां जनता का समर्थन दूसरे दलों को भी प्राप्त हो, और केन्द्र में बैठी हुई जो सरकार हो उसको जनता का बहुमत प्राप्त न हो और उसको गिराने या भंग करने का कोई भी आन्दोलन होता है तो 1975 की तानाशाही और आपात-कालीन स्थिति की पुनरावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं है । मैं आज यही कहूंगा कि इस पूरे देश में 1977 की बात करते हैं । 1977 में महाराष्ट्र में कांग्रेस (आई) की सरकार भंग नहीं की गयी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम अधार]

कर्नाटक और आंध्र प्रदेशों में इसलिये इस समय विधान सभा भंग नहीं की गयी क्योंकि वहां पर कांग्रेस (आई0) के लोगों को कुछ सीटें मिली थीं। मैं तो कहता हूं कि अगर कांग्रेस (आई) के लोगों को घमंड है तो वे चुनाव करा लें, हम चुनाव से घबराने वाले नहीं हैं। आखिर जहां विधान सभाओं के चुनाव हुये भी है वहीं इनको कितनी सीटें मिली हैं। 70 प्रतिशत सीटें इनको नहीं मिली है। आज गुन्डे, बदमाश और लफंगे लोगों को बुला कर कानून और व्यवस्था के माहोल को बिगाड़ा जा रहा है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब किया जा रहा है और विधान सभा भंग करने की मांग की जा रही है। यह क्या है। क्या यही प्रजातंत्र और जम्हूरियत है ? मैं तो कहता हूं कि आज यहां पर अगर कांग्रेस (आई) की हुकूमत होती तो वह कभी भी यह स्वीकार नहीं करती यहां सदन में उस बात को जिसको कि आज माननीय मोहनसिंह जी ने यहां स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया।

कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 30 सालों से कानून और व्यवस्था को खराब कर दिया है वह किसी से छिपा नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, बनारस में, आजमगढ़ आदि में जब-जब गोलियां पुलिस ने चलायीं और ज्यादती की, कभी आपने नहीं कहा कि पुलिस ने ज्यादती की। आज भी हैदराबाद में क्या स्थिति है जब से प्रधान मंत्री पद की श्रीमती इन्दिरा जी ने शपथ ली है, दिल्ली में चोरी और डकैती तथा लूटमार खुले आम हो रही है घरों में घुस कर औरतों को मारा जा रहा है। शराब की दूकानें लूटी जा रही है। इन्दिरा गांधी का पोस्टर 5 रुपये का 50 रुपयें में बिक रहा है और लोगों को मजबूर किया जा रहा है खरीदने के लिये। इसी कारण इन्दिरा गांधी जी और संजय गांधी को एक बयान भी देना पड़ा। आखिर यह सब क्या हो रहा है ? दिल्ली जो छोटा सा केन्द्र शासित प्रदेश उस पर तो आप कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हो, विधान सभायें भंग करने की बात करते हो। हैदराबाद में 2 मास से करफू लगा हुआ है। रोज घर जलाये जा रहे हैं, मन्दिर और मस्जिदें फूंकी जा रही है। हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। कहां कानून और व्यवस्था की हालत अच्छी है जो आप वहां की बात करते हैं। जहां जहां पर भी कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं वहां कानून और व्यवस्था की हालत सबसे खराब है।

डीजल और मिट्टी के तेल के लिये कहा जाता था उसे चौधरी चरण सिंह पी गये। जनता में यह नारा लगाया जाता था उस समय जब इन्दिरा गांधी की सरकार थी कि "खा गयी राशन, पी गयी तेल, यह देखो इन्दिरा का खेल। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, हमको यह उम्मीद थी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बुन्देलखण्ड के विकास के संबंध में, जिसके संबंध में हम लोग वर्षों से मांग करते चले जाते हैं विकास के लिए बुन्देलखण्ड विकास कमीशन की स्थापना की जाय और उसकी रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू करा कर वहां के विकास के संबंध में प्रक्रिया को तेज किया जाय। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश में भयंकर सूखा पड़ा, लेकिन जितना सूखा बुन्देलखण्ड और बांदा में हुआ और जिस कदर से वहां पर पानी बरसने के बावजूद भी आज सूखे की स्थिति से वहां पर लोग मरने की स्थिति में हैं। अगर वहां पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया, तो मौतें भी हो सकती है और इन्सान पानी के बगैर तड़पकर मर सकता है। 12-13 मौतें इस सूखे के दर्मियान हुई। शासन का ध्यान हम लोग बराबर दिलाते रहे। लेकिन वहां के अधिकारीगण सत्य पर पर्दा बार-बार डालने के लिए इनकार करते रहे। तत्कालीन प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी को हम लोगों ने लिखा। उनका ध्यान आकर्षित किया कि यह बात सही कि 855 गांव सभाओं में खाद्यान्न के अन्तर्गत एक दौर चला, लेकिन चुनाव के दौरान से अब तक वह सिलसिला टूटा हुआ है।

बांदा जिले में शायद हिन्दुस्तान के अन्य जिलों से सबसे ज्यादा लोग फावड़ा चला कर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद से यह भी सिलसिला टूट गया है। वहां पर फिर से गल्ला वितरण की व्यवस्था की जाय और वहा पर काम खोला जाय। लेकिन मान्यवर, वहां पर बहुत ही बड़ी समस्या यह पैदा हो गयी कि गल्ला वहां पर गया है, लेकिन ब्लाकों के जरिये जो कर्मचारी वहां पर काम पर है जिनकी जिम्मेदारी है हजारों रुपये का गल्ला रातों रात बेचतें है ; लेकिन जो अधिकारी उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं वे लोग शिथिलता बरत रहे हैं। दूसरी समस्या तकाबी की है। 50 लाख रुपये की मांग इसके लिए शासन से की गयी थी लेकिन वह रुपया अभी तक नहीं पहुंचा। जो कुछ भी तकावी बांटी गयी है उसके वितरण में बड़ी धांधली हो रही है। मैं इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत वहां के तहसीलदार और वहां के कर्मचारी तकाबी देने में कमीशन ले रहे हैं। बहुत गांव में पानी पीने का अभाव हो गया है। बबेरू, ममसी खुर्द, जारखी, कायल आदि स्थान ऐसे हैं जहां पर यह समस्या भयंकर रूप से व्याप्त है। पाठा क्षेत्र की प्रगति इस पानी की समस्या के हल किये बगैर नहीं हो सकती है। अभी तक इस समस्या को हल करने के लिए शासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि पानी पोने की समस्या को तुरन्त हल नहीं किया गया तो जीना मुश्किल हो जायगा। बांदा जिले में सिंचाई की समस्या के संबंध में जितनी दुर्गति है, उतनी कहीं पर भी नहीं है। 78 ट्यूबवैल बांदा में खुले हैं और उनमें से कई ट्यूबवैल महीनों से बंद पड़े है। हम लोग स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं. .लेकिन कोई कार्यवाही उनके दुरस्त करने की नहीं की गई। बिजली की जहांतक समस्या है वह हर जगह है। बिजली नहीं मिल रही है जो वक्त निर्धारित है बिजली मिलने का उस समय मिलती भी है तो ट्यूब्बैल खराब पड़े है। मान्यवर, मैं शिक्षा की ओर आपका ध्यानआकर्षित करना चाहता हूं बबेरू तहसील में कोई लड़कियों का स्कूल नहीं है, सिगेपुर में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है मुझे उम्मीद है श्रीमन्, इस समस्या के समाधान करने और स्कूलों के खोलने की व्यवस्था की जायेगी लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे उम्मीद है शासन इस तरफ ध्यान देगा और मान्यवर हमारे क्षेत्र में तकावी के मामले में जो दुव्यर्यवस्था की गई है उसको ठीक करायेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो मैंने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहूंगा। वैसे तो श्रीमन् यह अभिभाषण बड़ा निराशाजनक है जितने भी अभिभाषण मुझे पढ़ने का अवसर मिला है मैं कह सकता हूं कि इससे निराशाजनक अभिभाषण इस सदन में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन इसमें जो 2–4 बातें कहीं गई है चाहे शिक्षा के सम्बन्ध में कही गई हो, सहकारिता के सम्बन्ध में कहीं गई चाहे किसी के सम्बन्ध में कही गई हों, आखिर जो मार्ग दर्शन दिखाया गया है उसको मूर्तरूप कैसे दिया जायगा। जो आज राजनीतिक क्षितिज में अस्थिरता है उसे राहु ने ग्रसित कर लिया है। श्रीमन् इस समय वही स्थिति है जो सन् 77 में लोकसभा के चुनाव के बाद हो गई थी और राजनीतिक क्षितिज को राहु ने ग्रसित किया था। इस समय यह आशंका बनी हुई है कि विधान सभा भंग न कर दी जाय। जो महामहिम ने मार्ग दर्शन किया है उसे मूर्तरूप क्या सरकार दे सकती है ?

मान्यवर, हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, यूनियन आफ स्टेट है। यह भावना इस बात की है कि प्रदेश में किसी पार्टी की हुकुमत हो प्रदेश में किसी दूसरी पार्टी की हुकुमत हो, चाहे किसी पार्टी की हुकुमत प्रदेश में हो। श्रीमन् अगर केन्द्र की सरकार प्रदेश की विधान सभाओं को भंग कर दें तो यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। श्रीमन्, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने जिस स्वेच्छाचारित से विधान सभा को भंग किया था उसका हमने उस समय भी विरोध किया था और, श्रीमन् आज भी हम इस तरह के कदम का विरोध करेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि संविधान में इस तरह का संशोधन

[श्री देव बहादुर सिंह]

किया जाय कि संघीय व्यवस्था को कार्य रूप दिया जा सके । उसमें कोई ऐसा संशोधन कर दें कि केन्द्र की सरकार की इच्छा पर राज्य की सरकारें न रहें कि वह जब चाहे भंग कर दें । इसके रहते संघीय व्यवस्था नहीं चल सकती है । इसलिये मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार से उसकी इच्छा पर राज्य की सरकारें न रहे । इसलिये जो स्टेट की आटानामी की बात चली थी कि राज्य सरकार और राज्यों को और अधिक अधिकार मिले उसमें एक अधिकार यह है कि किसी की इच्छा पर राज्य की सरकारें न रहे । म अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की ओर से इस मांग को दोहराता हूं कि प्रदेश की सरकारों पर यह जो तलवार लटकती है, वह न लटके ।

श्रीमन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी जो स्वेच्छाचारिता बरती है केवल विधान सभाओं को ही भंग नहीं किया बल्कि जिला परिषदें भंग कर दी गई, टाउन एरिया भंग कर दिया और महामहिम केन्द्रीयकरण की बात करते हैं । श्रीमन् यह तो पता नहीं किस तरह से गद्दी पर बैठे हैं कहीं अपने को भंग न कर दें । यह जितने भी जनतांत्रिक सिद्धांत है उसूल हैं उन सबके विरुद्ध किसी ने आचरण किया है तो जनता पार्टी की सरकार ने किया है ।

(इस समय 4 बजकर 19 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जनता सरकार जिन नीतियों पर चली है उसी नीति का अनुसरण लोक दल सरकार द्वारा भी होता चला आ रहा है । अब भी समय है सोच लें इस बात पर कि जहां जहां चुनाव नहीं हुए है टाउन एरिया, नोटी फाईड एरिया व जिला परिषद आदि के चुनाव करा लें । यदि आप जनतांत्रिक सिद्धांतों और विकेन्द्रीकरण में आप यकीन रखते हैं । परन्तु अभी तक आपकी सरकार ने जो भी कदम उठाये हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

श्रीमन् सूबे के बारे में अभी भाषण में जो उल्लेख किया गया है, मैं अपने जिले से ही आ रहा हूं । जितनी घोषणा वहां की गयी है । जितनी भी योजनाएं वहां बनाई गयीं है । उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया है और कह दिया गया कि 50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है । जिससे किसानों को भी लाभ नहीं मिल रहा है, के संबंध में महामहिम ने जो कहा कि 25 प्रतिशत उर्वरक और कीटानशक दवाओं में छूट दी जायेगी तो श्रीमन् मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि जहां-जहां यह चीजें बांटी गयी वहां के कर्मचारियों ने आपस में बांट कर खा लिया । मान्यवर, एक पम्फलेट कृषि विभाग द्वारा निकला था कि कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों पर 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी, परन्तु उस पम्पलेट के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, अब आदेश निकले हैं कि 25 प्रतिशत छूट दी जायेगी म माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि उनके आदेशों में यह कैसा विरोधाभास है । किसान आपके किन आदेशों को सही माने, वह चक्कर में पड़ पाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है ।

मान्यवर, बिजली के बारे में दो शब्द कहूंगा । बिजली रात में 4 बजे और 3 बजे आती है, जिसका उपयोग किसान उस समय नहीं कर सकता । अपने जरूरी कामों में उस समय बिजली का कोई उपयोग नहीं कर सकता और दूसरी मांग सरकार से यह करता हूं कि जो भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करे, उससे उसी हिसाब से बिजली का चार्ज लिया जाए परन्तु यह सरकार उनके मनमाने चार्ज उनसे करती है ।

दूसरी बात मैं गन्ने के विषय में कहना चाहता हूं । 15 रु0 प्रति क्वींटल रेट आपने बांध दिये है जबकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर क्रेसर में गन्ना 20, 21 रु0 में खरीदा जा रहा है मुजफ्फरनगर में 20रुपया प्रति क्वींटल गन्ना खरीदा जा रहा है तो इस कारण बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गयी हैं । इस ओर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो रेट सरकार ने एक बार निर्धारित कर दिये है, उस पर पुनः विचार करे और जो बाजार में बढ़ा हुआ रेट है वह सरकार मिल द्वारा किसानों को दिलवाये । माननीय कृषि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । महामहिम ने जो अन्त्योदय पर अपना अभिभाषण किया है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं के प्रति भी कोई ठोस विकास कार्य सामने नहीं आया है ।

मान्यवर, अभिभाषण में सूखे की स्थिति पर और बाढ़ की स्थिति पर कुछ नहीं कहा गया है। हमारे प्रदेश में बाढ़ के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। इस बाढ़ से भी किसानों का ही अधिक नुकसान होता है। इसलिए कोई ऐसी याजना इस प्रदेश में बाढ़ के लिए बननी चाहिये कि देश के किसान को कुछ राहत मिले ताकि प्रदेश के किसानो की पर-कैपिटा इनकम बढ़े इस बारे में मैं बनारसीदास सरकार से निवेदन करता हूं कि इन योजनाओं के कार्यान्वियन पर ध्यान दें।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है इसको विकेन्द्रीकरण करेंगे, मतलब है जिला परिषद् के हाथ में शिक्षा व्यवस्था देने की बात कही थी और हम लोगों ने मांग की थी कि जो पब्लिक स्कूल हैं और जो प्राइमरी स्कूल हैं जो सरकार द्वारा चलते है उसको पढ़ाने की जो पद्धति है इसमें एक-रूपता लाई जाये। दोनों से निकले हुए लड़के एक रेस के कम्पीटीशन में आ जायें इसलिए मैं फिर कहता हूं कि दोनों की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लायी जाये और सरकार इसकी व्यवस्था करे। कम से कम जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चालित स्कूल हैं उनके लड़के तो आगे निकलें। दूसरी बात जो हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट कालेज हैं जो निजी क्षेत्रों में चलते हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। जब सारा खर्चा सरकार वहन करती है तो कोई कारण नहीं है कि उसे सरकार अपने हाथ में न ले। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम नरेश पान्डे (जिला देवरिया)—

जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया पहले मैं उसका धन्यवाद देता हूं और मान्यवर जो चर्चा चल रही थी और उसके दौरान हमने बहुत से माननीय सदस्यों को सुना तथा अभिभाषण को पढ़ने का मौका मिला। मैं सबसे पहले निश्चित रूप से जनतराज के कार्यों का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचा है। कृषि मंत्री मौजूद हैं, हमारे इलाके में कोल्ड स्टोरेज बन रहा है। सम्पर्क मार्ग का जहां तक प्रश्न है कांग्रेस शासन के इतने सालों में उतना काम नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। गांवों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता है छोटे-छोटे कुलबे बनाये जायें। नालियों का निर्माण कराया जाये। मैं समझता हूं कि हमारे यहा सूखे का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। नहरों के कारण इन लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। जहां तक जनहित की बातों का प्रश्न है। पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा सड़कों का भी निर्माण हुआ।

और जहां आप फेल हुए हैं उसके बारे में भी हम कह सकते हैं। हमारे क्षेत्र की समस्यायें एक नहीं अनेक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ी पैदा हुई है उसका कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं पाया। आप जानते हैं कि किस तरह से सामूहिक नकल होती है। इनकी रोकथाम के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाये जायें जो परीक्षा के वक्त मौके पर पहुंच जायें।

एन0 सी0 सी0 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें छात्र कम रुचि लेते हैं इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि एन0 सी0 सी0 की ओर वे उन्मुख हो जायें।

साथ ही साथ स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं बड़ी स्थिति दयनीय है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हृष्टपुष्ट अनुशासन प्रिय विद्यार्थी बनाना चाहते हैं तो इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और सहायता देनी पड़ेगी।

हमारे प्रदेश में बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड टीचर्स आज भी नौकरी नहीं पा रहे हैं जो जिले से ट्रेनिंग करता है वहां उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। नैनीताल से, अल्मोड़ा से ट्रेनिंग पाये हैं वहां नौकरी नहीं पा रहे हैं।

इस ओर शासन को सोचना चाहिए कि ट्रेनिंग करने के बाद कहीं तो अपने जिले में नौकरी पा जायें। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो सी0 टी0 के ट्रेन्ड टीचर्स हैं सभी अनइम्प्लायड हैं, उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए। अभी हमने 6—7 लड़कों

[श्री राम नरेश पाण्डे]

को लिखवाकर मंत्री जी से भेजा था परन्तु बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन्कार कर दिया। इनका क्या स्तर है। देवरिया. जिले का रहने वाला देवरिया में नौकरी नहीं पा सकता लखनऊ में नौकरी पायेगा जहां उसने ट्रेनिंग किया है।

सम्पर्क मार्ग बनाये गये, गूलें बनाई गयीं, इनसे हम अधिक फायदा उठा सकते हैं अगर इनको पक्की कर दिया जाये। मधुरिया रजबहा की जोफवा बाजार से जारा बाजार वाली सड़क को पक्की कर दिया जाये। सेमरी रजबहा वाली सड़क को भी पक्की कर दिया जाये। मैं सिंचाई मंत्री जी के साथ देहातों में घूमा, उनको ले जाकर दिखाया। हमारे यहां तमाम पुल और पुलिया बनवाये गये जिसके कारण लहलहाती हुई खेती दिखाई पड़ती है। हमें यह कहने में संकोच नहीं होता है कि हमारे यहां की खेती को देखकर कोई भी व्यक्ति घमण्ड कर सकता है।

हमारे जिले का कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां अस्पताल बनवाने के लिये 17 लाख रुपये स्वीकार हुए थे। मोहनसिंह जी ने उसे हमारे यहां के बजाये अपने घर में खुलवाने का आदेश करवा लिया। इसी तरह अगर सभी मंत्री अपने घर में अस्पताल खुलवायेंगे तो सामाजिक बिषमता कैसे दूर होगी। रियासत साहब हैं मैं उनसे कहूंगा कि वह हमारी वकालत करें। पी० डब्लू० डी० से यह पास हो गया। टेन्डर खोला गया। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने उसको अपने घर में कर लिया। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनपर आक्षेप नहीं करता। तो मान्यवर, कुशीनगर में इस प्रकार के अस्पताल का बढ़ना जरूरी है। कम्बोडिया से जापान से कहां-कहां से यात्री और बुद्धिस्ट आते हैं, उनके लिये समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है। पर्यटन के विकास के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाये। पर्यटन के लिये जनता होटल के लिये सरकार ने दो लाख रुपये मन्जूर किया था। सारा बजट हो गया धन स्वाकृत हो गया, शासन की ओर से जमीन एक्वायर करने की बात थी, जो अभी तक इक्वायर नहीं की जा सकी। नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। पर्यटन की ओर शासन को ध्यान देना चाहिये। विदेशी यात्री यहां पर आते हैं। कुशीनगर अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र समझा जाता है। शासन भी इसे महत्व दे और इसके विकास के लिये कार्य किये जायें। जनता होटल बनाया जांये। टूरिस्ट लाज बनाया जाये। शासन ने 79 हजार रुपये दिये हैं कुशीनगर में संग्रहालय हेतु। हमारे जिले में एक फ्राड है, उनका नाम है देवधारी उपाध्याय। जमीन उन्होंने अपने नाम बैनामा कराई है। अपनी पत्नी के नाम उन्होंने जमीन कराई है। यानी 79 हजार रुपया का घपला किया है। शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

मैं कहना चाहता हू कि होम गार्डस के जवानों को पुलिस के बराबर सुविधा दी जाय। मैंने देखा कि पुलिस के जवान वर्दी में थे और होमगार्ड के जवान ठिथुरती सर्दी में शर्ट में थे तो होमगार्ड के जवानों को भी बराबरी की सुविधायें दी जाय। मैं अब ट्यूबवेल्स के संबंध में कहना चाहता हूं। पुराने ट्यूबवेल्स को उखाड़ कर फिर से नये ट्यूबवेल्स लगाये जायें। देवरिया जिले में गंडक समादेश क्षेत्र में पुराने ट्यूबवेल्स को निकलवाकर नये ट्यूबवेल्स लगाने का काम करें। नहरों की पटरियां पक्की करने का काम करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें।

श्री राम नरेश पांडे—

इन शब्दों के साथ शासन की तरफ से जो अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हू और भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं समझ रहा था कि 1977 में और 1980 में कुछ अन्तर होगा। माननीय सदस्य कुछ यकायक और सच्चाई लेकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस कुर्सी पर माननीय नेता सदन हैं, उस कुर्सी पर माननीय पंतजी, स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द और माननीय गुप्ताजी ऐसे महान नेता बैठते थे, माननीय त्रिपाठी और तिवारी जी बैठते थे। माननीय राम नरेश जी उस कुर्सी पर बैठते थे लेकिन यह भी इतिहास में मेरे ख्याल से सूबे में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य मत्री से हटकर वह बेचारे मंत्री बने हैं और जो आदमी आपकी जगह पर बैठता था वह ताल और तिकड़म लगाकर उधर बैठ गये। मान्यवर मुझे अफसोस है कि हम सभी की जिम्मेदारी है, आने वाले समाज में, आने वाले समय में आने वाला नौजवान किसकी तरफ देखेगा अगर हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं निभायेंगे तो हम चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों। सब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर यहां जाते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मान्यवर, सबसे बड़े दुःख की बात है कि आज प्रदेश में क्या हो गया है, प्रदेश की जनता क्या कर रही है। वह नेता जो अभी थोड़ी देर पहले, नेता सदन ने 12 से एक के बीच दूसरी बात कही और उसके तीस मिनट बाद दूसरा भाषण दिया।

मान्यवर, क्या हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे देश और प्रदेश की जनता इससे क्या सबक लेगी। जिस नेता सदन ने माननीय चंद्रभानु गुप्त जी के चरणों में बैठकर राजनीति सीखी हो जिस नेता सदन ने माननीय चौधरी चरण सिंह को जनतन्त्र का हत्यारा कहा हो वह आज इधर-उधर कुर्सी के तिकड़म में अपना ताल-मेल लगा रहे हैं और प्रदश कहां जा रहा है।

इसकी उन्हें खबर नहीं। वह दिल्ली आये दिन भाग रहे हैं। इन्दिरा गांधी को उन्होंने पत्र सबसे पहले लिखा। बहुगुणा से वह मिल आये। ताल-मेल करना तो उनकी पुरानी बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कैसे जानते हैं ?

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, माननीय नेता सदन को दिल्ली में एक गुलदस्ता भेंट करते हुए मैंने खुद देखा है।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ केन्द्रीय सरकार के बारे में और कुछ पहली सरकारों के बारे में तो जिक्र किया लेकिन 30 महीने जो सरकार रही उसका जिक्र नहीं किया कि जनता पार्टी के शासन में कितनी बार गोलियां हरिजनों पर, छात्रों पर, कर्मचारियों पर, किसानों पर या मजदूरों पर चलायी गयीं। इस प्रकार जनता सरकार ने 30 साल का तो बदला ले लिया लेकिन ग्राम सभा के प्रधान बनने लायक भी आप नहीं हैं।

मान्यवर, मैं मेरठ जिले से मेरा संबंध है। वहां बसों की हालत बहुत खराब है। यदि मेरठ में छपरौली, बिजनौर या देहात के गांवों में बस पर जायं तो उनकी हालत देखने से पता चलेगा कि वहां बसों की हालत कितनी खराब है और यह यहां जनतन्त्र की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हिन्दुस्तान में विधान सभा के मेम्बरों का घेराव किसने कराया, कौन नेता था और कौन पार्टी थी जो इस्तीफा मांग रही थी, कौन था जो गफूर को हटा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्जूर अहमद]

रहा था, कौन था जो रेल की पटरियों को तोड़ रहा था, कौन हमारे प्रदेश के विकास में बाधक थे, कौन नवजवानों को भड़का रहे थे और कह रहे थे कि नवजवान सड़कों पर आये, फौज से कह रहे थे कि आदेश न मानो, उनको सारा देश और दुनिया जानती है।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि केन्द्र सरकार डरती है नहीं तो विधान सभायें भंग कर दी जातीं, तो इन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं। इसलिये यदि डरते नहीं हैं तो श्री असं की तरह विधान सभा भंग क्यों नहीं कर दिया ? इलेक्शन में तो आप अलग हो गये और आज फिर जनता पार्टी और लोकदल आपस में मिल रहे हैं। मान्यवर, आप स्वयं और श्री बनारसी दास भी जानते हैं कि अब गये तो वापस आकर मंत्री भी नहीं बन सकते हैं। इसलिये वह कुर्सी बचाने के लिये नीचे से नीचे भी जा सकते हैं।

लेकिन इससे आने वाली नस्ल को क्या कोई रास्ता और मनोबल मिलेगा। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश विकास की तरफ नहीं, बल्कि विनाश की तरफ जा रहा है फिर चाहे जिसकी सरकारें रही हों। लेकिन जनता सरकार का तो 30 महीनों में केवल काम रहा है कि इन्दिरा गांधी की बुराई करना और अपनी कुर्सी और अपने परिवार को बचाना और पालना और प्रदेश को लूटना। इसके अलावा और कोई इस सरकार का काम नहीं रहा है।

जहां भी किसी क्षेत्र को देखें। सबसे पहले किसान की जो दुर्दशा है वह किसान ही जानता है, आप भी जानते है। किसान तीसों वर्ष से पीछे चला गया। सरकार जनता पार्टी की बनी तो बुनकरों पर यह समझ कर विजीलेन्स बैठा दिया कि किस दल से ताल्लुक रखते हैं। उनका विनाश किया। उनकी खेती बन्द कर दी। सूत और मंहगाई की आज क्या हालत है आप जानते ही हैं। मान्यवर, आप यह भी जानते हैं कि (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मुझे कम से कम पांच मिनट.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप तीन मिनट और बोलें।

श्री मन्जूर अहमद---

पांच मिनट बोलूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि लाखों लोग बागपत से दिल्ली में पड़े हैं आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, रेडियो में सुना होगा कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने वहां की ज्यादतियों को देखते हुए गिनती रोक दी थी। जो देश का सबसे बड़ा जनतन्त्र का दुश्मन है, दलबदलुओं का दोस्त है, जो जाने-अनजाने धोखा दे रहा है, जिसे बनारसी दास जी अपना नेता बना रहे हैं, जिनका नाम है चरण सिंह.....

श्री उपाध्यक्ष---

उनका नाम नहीं आना चाहिए यहां.....।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

इंदिरा गांधी का नाम आया तो कोई आपत्ति नहीं की गई। यह परम्परा डाली जा रही है .....

श्री मन्जूर अहमद---

मैं कहता हूं कि मेरठ में, बागपत में, गाजियाबाद में, बुलन्दशहर में, मुजफ्फरनगर में जांच नहीं कर सकते। जिस सरकार ने मतदाताओं के मत का अधिकार छीन लिया हो, उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। वहां 2 या 3 की रात को मत पत्र ले लिये और एक आदमी की मोहर लगायी और फिर गोलक में डाल दिये।

यह हालत है। सैकड़ों, हजारों लोग घायल हुए। मजदूरों के, हरिजनों के रखवाले, जनतन्त्र के रखवाले नहीं रह गये। इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया। यह अपने लोक दल के अध्यक्ष के रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। तीन अटेचियों में मिल मालिकों से लिया एक करोड़ रुपया चोरी हो गया, उसकी रखवाली नहीं कर पाये। राज नारायण की रखवाली नहीं कर पाये। यह एक ही काम कर सकते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

श्री मन्जूर अहमद---

मान्यवर, इनके सारे मंत्री लोग नोट कमा रहे हैं, फैसला कौन करे, प्रदेश को लूट रहे हैं, माइनरिटी के दुश्मन हैं, हरिजनों के शत्रु हैं, किसानों के शत्रु हैं, इस सरकार को एक मिनट रहने का हक नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह समय दिया। राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में जो रघुबरदयाल जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं अपने भाषण में रोऊंगा नहीं तो रो मत। मैं तो अपने प्रिय साथी राधेश्याम जी से कहूंगा तुम झींको मत, रोते क्यों हो? हमने तो तुमको हराया नहीं, आई-आई ने हराया है। मैं जहां तक समझता हूं हारा हुआ आदमी रोता ही है। दोष बतलाते हो पोलिंग स्टेशन पर लूट और कब्जे की। इसी तरह ओछा आदमी भी उस आदमी की बुराई करता है जिसको सारा विश्व ईमानदार कहता है और वह है चौधरी चरण सिंह। उसने छक्के छुड़ा दिये हैं। उत्तर प्रदेश में भंग-भंग कर रहे हो तो हम भंग-वंग से नहीं डरते। भंग करके देख लो। मूंढ़ देकर रोओगे। मैं अपने भाई राधेश्याम जी से कहूंगा जिस क्षेत्र के वह विधायक हैं वहां से 13 हजार वोट मिले हैं तो इनमें कौन सी चोरी हो गयी।

श्री राधे श्याम शर्मा---

वोट मिले नहीं वोट काट दिये, लूट लिये गये हरिजनों को वोट डालने नहीं दिया गया। घरों में बन्द कर दिया लोगों को। निष्पक्ष चुनाव करा कर देखा होता तो जमानत तक जब्त करा देता।

श्री लक्खी सिंह---

महामहिम राज्यपाल ने इस अभिभाषण में जो बात कही है वह सभी को पता है (व्यवधान) राज्यपाल का काम ही यह है। अगर आप राज्यपाल होते तो आप भी यही बखान करते और मैं राज्यपाल होता तो यही करता। सन् 52 से राज्यपाल ने जो कहा है वह सही कहा है। वैसे भगवान् सबको सद्बुद्धि दे समझने की। जो काम जनता सरकार ने किया है, 77 से अब तक; वह कांग्रेस सरकार ने तीस साल के अन्दर नहीं किया। फिर जो सामने बैठे हैं वे तो नकली कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी तो हम हैं जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं और गांधी जी के अनुयायी हैं। हम उस कांग्रेस से आशा करते थे कि गांव-गांव में और ज्यादा सड़कें बनेंगी। चाहे वह कच्ची हैं। और हर गांव में बिजली पहुंचेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्खी सिंह]

तो जो आप भंग-वंग की बात करते हो, अगर यह सरकार हटाई तो तुमने गल्ती की। कानून से तो हटा नहीं सकते, जोर लगा लो। आओ मैदान में। सरकार हटा नहीं सकते। उसमें तो राधेश्याम जी और हम एक ही हैं। आओ सरकार कैसे हटाते हो। गैर कानूनी तरीके से हटाते हो, अवैधानिक तरीके से हटाते हो, तानाशाही से हटाते हो तो तुम्हारी वही गति होगी जो सन् 77 में हुई थी। जाओ और इंदिरा जी से कह कर आओ कि उत्तर प्रदेश की सरकार से, बिहार की सरकार से और जहां भी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं उन पर हाथ भी लगाया तो वे 5 साल तक लोक सभा की प्रधान मंत्री नहीं रहेंगी। इतना घोर संग्राम और सत्याग्रह होगा कि जेलों में जगह नहीं मिलेगी तुमको दुबकने के लिये जगह नहीं मिलेगी। हमारे सिपाही हैं, लड़ जायेंगे। खेमे काटकर तुम्हारे नाक में दम कर देंगे।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में उस क्षेत्र के बारे में जरा भी चर्चा नहीं की। मेरे जिले और विशेष कर मेरे क्षेत्र में एक-एक गांव में 100,100 ट्रैक्टर्स हैं और किसी में 150 भी हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें 30,40,50 ट्रैक्टर वहां न हों। ट्रौली से किसान पानी निकालता है। हमारी केन्द्र की सरकार, जिसके चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री थे उन्होंने डीजल देकर खेतों की आब-पाशी करायी। उन्होंने फसल बो दी। लेकिन आज की जो सरकार वहां आयी है, कांग्रेस (आई) की सरकार, उसने डीजल की 50 हजार टन की कटौती कर दी। जिससे फसल सूख गई। जब फसल सूख गई तो अब गेहूं कैसे पैदा होगा। जब गेहूं नहीं पैदा होगा तो किसान किसानी नहीं करेगा जो कि देश के लिये एक भयंकर बात हो जायेगी। इसलिये मैं अपनी सरकार के मंत्रियों से भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का तुम पोस्ट-मार्टम करो। वहां से डीजल लाओ। किसानों को दो। नहीं तो गांवों में नहीं घुसने पाओगे। यदि सरकार को आपने भंग किया तो हम तो घुस जायेंगे, लेकिन आप घुसने नहीं पाओगे। मेरी सरकार ने गेहूं की फसल को खड़ा कर दिया है, लेकिन मंजूर साहब आप गांवों में घुस नहीं सकोगे। इसलिये उनके दिमाग ठीक करो। पेट्रोलियम के मंत्री कौन हैं—उत्तर प्रदेश के डीजल के कोटे को पूरा दो। तभी किसान की अच्छी फसल होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लक्खी सिंह—

अभी मेरा समय समाप्त नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि मेरी बात आपको भी अच्छी लगती है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन अब तो आपका समय समाप्त हो ही गया।

श्री लक्खी सिंह—

अच्छा तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए समर्थन पर खड़ा हुआ हूं। गोरी के दोस्त हैं न ये कौली के दोस्त हैं, हर दौरे की करम हुकुमते आली के दोस्त हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से सानी लगी हुई नाद पर बैल झपटते हैं उसी तरह बिहार से दिल्ली तक एक सिलसिला दल-बदल का शुरू हो चुका है। हमारे मंजूर साहब ने नेता सदन के लिए कहा कि वह हार लेकर गुलदस्ता लेकर गये, शायद अंगूर खट्टे हैं। आपको

इसमें एतराज क्यों होता है आपको मालूम होगा कि अगर एक विधवा के लिए एक विधुर गुल-दस्ता पेश करता है कोई गलत नहीं है। अभी हमारे गाजीपुर में एक कम्यूनिस्ट दोस्त ने विद्युत के सिलसिले में लेनिन की बात कही जिस तरह इंसान की रंगों में खून की जरूरत होती है उसी तरह से उद्योगों के लिए बिजली की जरूरत होती है। उसका यहां जिक्र करना इस वातावरण में ठीक नहीं, उसी लेनिन को मानने वाले रूस ने कमजोर अफगानिस्तान को रौंध दिया, उस पर कब्जा कर लिया है।

जनाबेआला इस अभिभाषण में किसानों की बात कही गई है, बिजली की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने बिजली की कटौती उद्योगों के लिए की थी किसानों के लिए नहीं, लेकिन मुखतलिफ तरीके से किसी न किसी तरह से उद्योग वालों को बिजली मिलती रही और किसानों को बिजली नहीं मिल पाई जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम खेत सूखे पड़े हैं। हमारा बहराइच का इलाका निहायत पिछड़ा इलाका है वहां सैलाब भी आते हैं और सूखा भी पड़ता है लेकिन बिजली नहीं मिलती है। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये थी कि जो तीन एकड़ से कम के किसान हैं उनको हर महीने डेढ़ क्विंटल अनाज मुफ्त दे, लेकिन यह ताजिर और कारोबारी सरकार उसको नहीं कर सकती, यह काम राजे रजवाड़ों के दौर में होता था कि जो गरीब किसान होता था उसकी मुसीबत में मदद करते थे।

मेरे शहर बहराइच में रामप्रकाश जी के जमाने में जब वह उद्योग मंत्री थे एक कताई मिल के आर्डर हुए थे, लेकिन अपने को सैकुलर कहने वाले समाजवादी कहने वाले राम नरेश जी खा गये और पता नहीं वह किस खाई में पाट दी गई। बुनकरों की तरक्की की बात इस अभिभाषण में की गई है। लेकिन बुनकरों को एक घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है जिस कारण से आज करोड़ों बुनकर रोटी-रोजी के लिये तरस रहे हैं उनके घरों में खाने के लिए रोटी नहीं है। गरीबी की जिस दौर से वह गुजर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बरबादी की गई है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। बुनकरों की तमाम पिछली रकम भी यह सरकार नहीं दे सकी है यह फैसल हुआ था कि बुनकरों की पिछली सारी रकम दे दी जायेगी। एक साल तक यह मामला चलता रहा। राम प्रकाश जी जब उद्योग मंत्री थे उन्होंने यह काम किया था कि एक साल में यह रकम अदा हो जायेगी, लेकिन नई सरकार ने एक कमेटी बना दी जिसकी एक मीटिंग हुई उसके बाद एक साल हो गया आज तक उन गरीबों का रुपया वापस नहीं किया गया।

हमारे कुछ दोस्त ने विधान सभा तोड़ने के सिलसिले में जिक्र किया। जनता पार्टी की सरकार ने उन विधान सभाओं को तोड़ा जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जिनका एक साल का समय बढ़ा दिया था उनको तोड़ा। उत्तर प्रदेश की विधान सभा को इसलिए तोड़ा था कि जनता ने वोट जम्हूरियत के हक में दिया था जब इमरजैंसी यहां नाफिज की गई थी उस समय यहां की सरकार दिल्ली की सरकार की एजेंट के रूप में काम कर रही थी। इस तरह से खुद ब खुद वह खतम हो गई और उसको तोड़ना पड़ा।

हजूरेवाला, हमारी सरकार ने एक नया शोशा छोड़ दिया संस्कृत और उर्दू का। प्रदेश के संस्कृत और उर्दू भाषा के पढ़ने वालों के बीच में एक खाई पैदा कर दी है लड़ाई पैदा करके हमें लड़ा देना चाहते हैं। जिस तरह से हिन्दू तहजीब और हिन्दू धर्म की किताबों को जानने के लिये संस्कृत पढ़ना जरूरी है उसी तरह से प्रदेश के मुसलमानों को अपनी तहजीब और खायात को समझने के लिये उर्दू पढ़ना जरूरी है। इसलिए उर्दू और संस्कृत की अपनी अपनी जगह पर अहमियत है। दोनों जबानों के पढ़ने वाले मिल कर और कन्धे से कन्धा मिलाकर आपकी नफरत भरी सियासी कोशिशों को नकामयाब बना देंगे आज ये सारे मसले ऐसे हैं जिन पर हमें और आपको हम चाहे किसी भी दल में हो, सोच समझ कर आपस में बैठकर तय करना होगा ताकि उत्तर प्रदेश का वातावरण विषाक्त न बनने पाये।

यकी मोहकम अमलपैहम, सियासत फातेहे आलम।
जिहादे जिन्दगानी में हैं यह मर्दों की शमशीरें।।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम 51 में प्राप्त सूचनायें लेता हूं। कल फिर इस पर चर्चा चलेगी।

नियम 51 में आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री रामसजीवन व श्री श्रीनारायण की है जिसमें बांदा जिले का कर्वी तहसील में थाना कमासिन के अन्तर्गत जमींदारों एवं सामन्तों द्वारा हरिजनों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको मैंने नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत किया और इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी 1 फरवरी 1980 को अपना बयान देंगे।

दूसरी सूचना श्री हरिकेवल प्रसाद की प्रदेश में डीजल की कटौती से उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है जिसमें प्रदेश में ईंधन के गम्भीर संकट से उत्पन्न जन-संताप के बारे में बताया है और चौथी सूचना श्री देवबहादुर सिंह की ग्राम नरायनपुर, जिला देवरिया में पुलिस द्वारा लूटने के सम्बन्ध में है इन सबको मैं अस्वीकार करता हू।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
28 जनवरी, 1980।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 204 पर]

नीलाम की गई बसों की सूची :—

1—यूपीएफ 5882 टाटा 1210 प्रेम शंकर सिंह, नरइन्द्रा होटल, वाराणसी कैण्ट ।

2—यूपीएल 9224 टाटा 1210 लक्ष्मी शाह, पिचास मोचन, वाराणसी ।

3—यूपीएल 7947 टाटा 1210 रामनाथ 118/222, जी0टी0 रोड, कानपुर ।

4—यूपीएल 8461 टाटा 1210 रामकुमार 36डी, गुप्ता मार्केट, कानपुर ।

5—यूपीएल 7994 टाटा 1210 किशनलाल, 122/90, कवाड़ी बाजार, कानपुर ।

6—यूपीएफ 2821 टाटा 1210 प्रेम शंकर सिंह, नरइन्द्रा होटल वाराणसी कैन्ट ।

7—यूपीएल 8825 टाटा 1210 लक्ष्मी शाह पिचास मोचन, वाराणसी ।

8—यूपीएफ 2154 टाटा 1210 रामधनी के-56/60, औसानगंज, वाराणसी ।

9—यूपीएफ 3327 टाटा 1210 पनारुलाल सी-18/15, मांकुण्ड, वाराणसी ।

10—यूपीएफ 63063 टाटा 1210 पनारुलाल सी-18/15, माताकुण्ड, वाराणसी ।

11—यूपीएफ 2249 टाटा 1210 हरिवंश सिंह, डी-50/193, नई सड़क, वाराणसी ।

12—यूपीएल 8992 टाटा 1210 शेष कुमार सिंह, छितोड़ी, जौनपुर ।

13—यूपीएल 8444 टाटा 1210 सरजूप्रसाद गुप्ता सी-27/8, जगतगंज, वाराणसी ।

———

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 218 पर)

पशुधन विकास सहायक संघ के ज्ञापन में सात मांगे रक्खी गई थीं। उक्त मांगे तथा उन पर कृत कार्यवाही की स्थिति निम्न प्रकार है—

1—वेतनमान उच्चीकरण	..	नवगठित वेतन आयोग द्वारा विचार किया जाना है।
2—पदनाम परिवर्तन	..	शासन के विचाराधीन है।
3—पदोन्नति के नये अवसर	..	अभी हाल में शासन द्वारा इनकी पदोन्नति हेतु निम्न लिखित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है :—

1—सलेक्शन ग्रेड (रु0 250–425)	493 पद
2—कुक्कुट निरीक्षक (रु0 250–425)	58 पद
3—सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन रु0280–460)	166 पद
4—वैटरिनेरी फील्ड असिस्टेन्ट (रु0 280–460)	167 पद
5—ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक (रु0 350–700)	12 पद

इस प्रकार 896 पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध हैं जो पशुधन विकास सहायकों के कुल पदों का लगभग 25 प्रतिशत हैं। इसके अलावा कृषि सम्बन्धी योग्यता रखने वाले पशुधन विकास सहायकों को चारा विकास निरीक्षक (रु0 280–460) के पदों पर नियुक्त किये जाने का प्राविधान है तथा प्रतिवर्ष 10 पशुधन विकास सहायकों को अपने व्यय पर बी0 वी0 एस–सी एण्ड एच0 कोर्स करने की सुविधा प्रदान की गई है जिससे उन्हें पशुधन विकास अधिकारी (रु0 550–1200) के पद पर नियुक्ति का अवसर भी प्राप्त होता है।

4—आवास भत्ता व सेवाकालीन प्रशिक्षण भत्ता	नि:शुल्क आवास सुविधा के बदले वेतन का प्रतिशत आवास भत्ता स्वीकृत हो चुका है। सेवाकालीन प्रशिक्षण भत्ते में वृद्धि विचाराधीन है।
5—पशुपालन विभाग का पुर्नगठन	यह प्रशासनिक विषय है। शासन जब इसका औचित्य समझेगा तब अवश्य विचार करेगा।
6—पशु औषधालयों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति।	औचित्यपूर्ण नहीं है।
7—दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा डिप्लोमा प्रदान करना।	विचाराधीन है।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 229 पर)

तालिका

अपूर्ण निर्मित सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 31 अप्रैल, 1979 तक पक्के किये गये मार्गों का जिलेवार विवरण

जिले का नाम	सोलिंग स्तर या उसके उपर के स्तर तक पक्के किए गए मार्गों की कुल लम्बाई (कि0 मी0)	जिले का नाम	सोलिंग स्तर या उसके उपर के स्तर तक पक्के किए गए मार्गों की कुल लम्बाई (कि0मी0)
1--मेरठ	10.00	26--बांदा	2.00
2--मुजफ्फरनगर	33.70	27--वाराणसी	7.70
3--सहारनपुर	15.75	28--जौनपुर	1.00
4--आगरा	27.30	29--सीतापुर	10.00
5--अलीगढ़	30.70	30--हरदोई	29.67
6--मथुरा	9.10	31--गोंडा	34.05
7--बरेली	18.45	32--बहराइच	24.75
8--पीलीभीत	3.90	33--बलिया	21.75
9--लखनऊ	15.67	34--गाजीपुर	9.83
10--उन्नाव	5.05	35--हमीरपुर	10.00
11--रायबरेली	15.52	36--उरई	18.22
12--इलाहाबाद	14.25	37--सुल्तानपुर	16.11
13--फतेहपुर	12.35	38--बाराबंकी	25.46
14--गोरखपुर	14.00	39--प्रतापगढ़	9.00
15--देवरिया	32.76	40--एटा	5.55
16--बदायूं	7.80	41--मैनपुरी	9.10
17--रामपुर	16.40	42--गाजियाबाद	24.60
18--कानपुर	9.80	43--बुलन्दशहर	14.70
19--इटावा	20.14	44--देहरादून	22.06
20--मुरादाबाद	12.15	45--पिथौरागढ़ ।	1.15
21--बिजनौर	22.65		
22--आजमगढ़	22.65		677.69
23--बस्ती	5.20		
24--झांसी	11.00	अर्थात,	678 कि0मी0
25--ललितपुर	4.70		

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 230 पर)

इलाहाबाद जनपद में 1977–78, 1978–79 तथा वर्ष 1979–80 के प्रथम त्रैमास तक (जून, 1979) जर्सी वीर्य से किये गये गर्भाधान से किये गये अनुसरणोपरान्त पाये गये उत्पन्न बच्चों की संख्या

क्रम-सं0	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र का नाम	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या			अनुसरण के उपरान्त पाये गये बच्चों की संख्या								
		1977–78	1978–79	1979–80 जून, 79 तक	1977–78			1978–79			जून, 1979 तक		
					नर	मादा	योग	नर	मादा	योग	नर	मादा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	करछना ..	301	389	120	23	14	37	42	30	72	13	8	21
2	मैजारोड ..	144	135	..	..	..	..	23	14	37	18	12	30
3	जसरा ..	130	77	..	14	19	33	24	18	42	11	7	1[illegible]
4	जारी ..	72	38	..	2	4	6	12	13	25	..	6	..
5	शंकरगढ़ ..	..	53	112	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	चाका ..	669	469	..	142	132	274	197	215	412	52	53	105
7	हडिया ..	..	490	150	..	..	..	..	..	..	28	26	54
8	सैदाबाद ..	355	307	45	..	..	..	..	..	..	9	11	20
9	फूलपुर ..	1613	1056	360	44	39	83	404	240	644	71	64	135
10	हनुमानगंज ..	449	389	95	69	45	114	62	52	114	18	16	34

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	भरवारी	..	296	383	132	15	8	23	60	63	120	18	16	34
12	बमरौली	..	342	334	109	25	22	47	69	51	120	19	12	31
13	झूसी	..	287	316	94	..	..	..	36	71	107	14	12	26
14	शुक्लपुर	..	64	60	..	..	..	..	5	1	6	..	..	..
15	मंझनपुर	..	..	3	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	धनूपुर	..	..	276	124	..	..	..	..	..	..	5	7	12
17	भारद्वाज	..	2830	2613	791	339	348	687	505	497	1002	154	125	279
18	नेवादा	..	..	..	66	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19	चायल	..	..	..	37	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20	सोराव	..	428	490	269	89	56	145	132	57	189	42	27	69
21	मऊ आइमा	..	279	347	167	84	14	48	48	26	74	17	7	24
22	कोडियार	..	216	296	93	27	20	47	35	15	50	16	5	21
23	बहरिया	..	304	340	88	55	42	97	42	46	88	9	17	16
24	प्रतापपुर	..	..	95	98	..	..	..	..	..	..	16	15	31
	योग	..	8779	8956	2995	878	763	1641	1696	1406	3102	530	430	960

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 231 पर)

विवरण

क्रम-संख्या	नाम विधान सभा क्षेत्र	धनराशि (रु0)
1	विधान सभा क्षेत्र, जलालपुर	.. 3123.39
2	विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज	.. 34,929.65
3	विधान सभा क्षेत्र, अकबरपुर	.. 12,561.29
4	विधान सभा क्षेत्र, टांडा	.. 6,422.67
5	विधान सभा क्षेत्र, कटेहरी	.. 1,44,401.61
6	विधान सभा क्षेत्र, अयोध्या	.. 30,705.54
7	विधान सभा क्षेत्र, बीकापुर	.. 1,55,689.49
8	विधान सभा क्षेत्र, सोहाबल	.. 23,087.96
9	विधान सभा क्षेत्र, मिल्कीपुर	.. 36,703.07

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 8 विधान सभा--29-4-80 (304) 1980-835 (प्रो0)।